सर्व शिक्षा अभियान

(2003-2007)

हनुमानगढ़

राजस्थान

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी.पी.ई.पी.)
30 कचहरी रोड सैक्टर नं. 6 हनुमानगढ़ जं.
फोन/फैक्स-(01552)56237

अध्याय-1

जिला परिदृश्य

1.1 भूमिका

राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले का प्रादुर्भाव 31 वे जिले के रुप में 12 जुलाई 1994 को हुआ था। जिला राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है एंवं इसकी सीमायें राजस्थान के श्री गंगानगर व चुरु जिले के साथ लगती है इसके साथ ही इसकी सीमायें देश के दो अन्य राज्य पंजाब एवं हरियाना से भी लगती है। जिला 3 ब्लॉक एवं 7 तहसीलो में बंटा हुआ है। यह जिला कृषि क्षेत्र में राजस्थान के समृद्ध जिलों में से एक माना जाता है।

1.2 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

हनुमानगढ़ जिला लगभग 8 हजार वर्ष पूर्व का माना जाता है। ऐसा कालीबंगा, पल्लू बड़ोपल, रंग महल, की खुदाई से ज्ञात होता है। इस जिले का वर्णन पौराणिक ग्रन्थ जैसे महाभारत, वायु पुराण, पदम पुराण, विश्णु पुराण में मिलता है। इनमें इस जिले के रंग महल करौत नगर, नोहर, भादरा आदि का वर्णन है।

विभिन्न ज्ञात स्त्रोतों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि राजा दशरथ के पुत्र भरत ने इस शहर को भरतनेर के नाम से बसाया था। जो बाद में भटनेर के नाम से जाना जाने लगा। प्रसिद्ध इतिहासविद् गौरी शंकर औझा एवं कर्नल टोड के अनुसार 295 ई.प. में जैसलमेर के भाटी राजा के पुत्र द्वारा भटनेर (हनुमानगढ़) को बसाया गया था तत्पश्चात यह व्यापार का एक महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन गया जहां से दिल्ली अफगानिस्तान, मुल्तान कन्धार, मध्य एशिया, सिंध व काबुल के सस्ते इस शहर के मध्य में से गुजरते थे।

बीकानेर के महाराजा सूरत सिंह ने अंतिम रुप से 1805 ई. में भटनेर किले को अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर इसमें श्री हनुमान मन्दिर के निर्माण करवाया और उन्होंने इसका नाम भटनेर से बदलकर हनुमान गढ़ रख दिया। 1949 ई. तक यह जिला केवल

किले की चारदीवारी में बसा था, लेकिन बीकानेर के महाराजा गंगासिंह द्वारा किले के बाहर इस शहर को फेलाने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।

1.2 भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु

हनुमान गढ़ जिला उत्तरी अक्षांश पर 28.4' से 30.6' तथा पश्चिम अक्षांस पर 72.39' से 75.30 के बीच में स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 183.793 मीटर लगभग है। जिले का क्षेत्रफल 5656.09 वर्ग किमी है।

जिले की जलवायु तापक्रम में काफी भिन्नता है। व अत्यंत शुष्क और कम वर्षा से प्रभावित है। शीत ऋतु में नवम्बर से प्रारम्भ होती है और मार्च तक बनी रहती है। इसके पश्चात ग्रीष्म ऋतु अप्रैल से प्रारम्भ हो जून तक रहती हैं। जुलाई से मध्य सितम्बर तक की अवधि दक्षिण-पश्चिम मानसून की है जबकि मध्य सितम्बर से अक्टूबर मानसून के बाद का परिवर्तन दर्शाता है। जलवायु की विपरीत परिस्थितियां तल पानी की कमी, मिट्टी की अस्थिरता आदि के कारण जिले में वन सम्पदा की कमी है। वन सम्पदा को बनाये रखने के लिए पौधारोपण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। नहरों के किनारों शीशम, शहतूत और यूक्लेप्टिस जैसे पौधों को लगाया गया है। शीशम और शहतूत के पौधे कई हैक्टेयर सुरक्षित जंगली क्षेत्रों में फेले हुए हैं।

राजस्थान फीडर और राजस्थान नहर के साथ-साथ बबूल, शीशम, खेजड़ा आदि के पौधे लगाये गये हैं। जिले में अन्य पाये जाने वाले महत्त्वपूर्ण पेड़ कींकर, नीम, कैर आदि हैं। रेतीले टीलों में पाये जाने वाले वनस्पतियां फोग, बूई, ऑक, बावली, खींप आदि हैं। घग्घर की तलहटी की जलद मिट्टी में वनस्पति प्रजातियों में मोथा, बथूआ, लानी, लाना आदि पाये जाते हैं। सिंचित पौधारोपण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिले में कई नर्सरी हैं।

जिप्साइट के साथ-साथ हाल के कैलकेरियस और रेतीले तलछट के कुछ पृथक पेवन के अतिरिक्त यह तेज बालू व जलोद मिटटी से आच्छादित हैं यह प्रकट होता है कि इस क्षेत्र में सबसे पुरानी चट्टानें, अरावली सुपर ग्रुप से सम्बन्धित हैं। जिसमें फाइलाइट, शेल और क्वार्टनाइट बेन्स शामिल हैं। ये ऊपर विन्ध्यायन की चट्टानों से ढकी हुई हैं। रेतीले

टिल्ले रिसेन्ट और सबरिसेन्ट युग के लघु बायोटाइट और मैगनेटाइट सहित क्वार्टज से बने हुए है। जिप्साइट की तह बालू टीले आच्छादित छिछली घसकन में पाई जाती है।

1.4 सामाजिक एवं आर्थिक परिदृश्य

हनुमानगढ़ जिला मुख्य रुप से कृषि आधारित जिला है। घग्घर नदी का बहाव क्षेत्र होने के कारण इस जिले के हनुमानगढ़, पीलीबंगा, कालीबंगा, क्षेत्रो में चावल की फसल बोई जाती है। जिसके कारण यह जिला विख्यात है। इसी के साथ-साथ इस जिले में राजस्थान नहर एवं भाखरा नहर का पानी लगने के कारण गेहूँ, चना, जौ, बाजरा की फसले मुख्य रुप से बोई जाती है। जिले में घग्घर नहर से सिंचाई सुविधा के भाखरा नहर से सिंचाई का कार्य होता है। एशिया में चने के क्षेत्र में नोहर मण्डी अपना विशेष स्थान रखती है। जिले का सामाजिक व आर्थिक परिक्षेत्र में यहां के लोग कास्तकार, खेतीहर मजदूर, जंगलात में काम करना, बागवानी, खनन आदि कार्यो में लगे हुये है। इस जिले में अनेक प्रकार के कुटीर उद्योग भी चलाये जाते है।

यह जिला सामाजिक दृष्टि से अनेक वर्गो में बंटा हुआ है जिसमें सभी प्रकार की जातियों का समिश्रण है। जिसमें अनुसुचित जाति लगभग 30 प्रतिशत तथा जनजाति के परिवार इस जिले में बहुत ही कम संख्य में पाये जाते है। जो इस जिले की कुल जनसंख्या का लगभग 3 प्रतिशत है। शेष जातियों में जाट, सिक्ख, मुसलिम, ब्राहमण, बणिया आदि जातियां भी इस जिले मे पायी जाती है।

इस जिले में नोहर तहसील के ग्राम गोगामेड़ी में गोगाजी के मन्दिर के पास भाद्रपद (अगस्त- सितम्बर) मास में एक मेला लगता है। जहां बड़ी संख्या में लोग पत्थर पर खुदे हुये सर्प की पूजा करते है। इसके साथ-साथ इस अवसर पर एक पशुमेला भी लगाया जाता है। जिसमें बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की खरीद बिक्री होती है। इसी प्रकार चैत्र मास (मार्च-अप्रैल) में गणगौर मेला लगता है। विवाहित स्त्रिया और कुंवारी लड़किया दोनो अपनी देवी गौरी की उपासना करती हैं। विवाति स्त्रिया अपने पत्ती के कल्याण, स्वास्थय और दिर्घायु की कामना के लिये पुजा करती है।

हिन्दुओ के त्योहारो में होली, दिवाली, दशहरा, गणगौर, शितलाष्टमी, अक्षयतृतीया, रक्षाबन्धन, मकरसंक्रान्ति आदि है। सिक्खो द्वारा समस्त दस गुरुओं का जन्मदिन मनाया

जाता है। परन्तु प्रथम गुरु नानक और दसवें गुरु गोविन्द सिंह जी के जन्म दिन को बड़े स्तर पर मनाया जाता है। मुसलमानों के त्योहारों में बाराबफात, शब-ए-बारात, रमजान, मोहरम, इदुलफितर और इदुलजुहा है।

1.5 व्यवसायिक स्वरुप

व्यवसायिक एवं वाणिज्य की दृष्टि से यह जिला काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस जिले का मुख्य व्यवसाय खेती के साथ-साथ पशुपालन, डेयरी उद्योग, मछली पालन एवं भेड़ पालन है। उद्योग की दृष्टि से भी इस जिले में मैसर्स राजस्थान ऑयल इन्डस्ट्रीज लि. हनुमानगढ़, मैसर्स राजस्थान मिल्क डवलपमेन्ट लि. हनुमानगढ़ विशेष उल्लेखनीय है। इनके अलावा जिले में खाद्य तेल एवं फैटस आदि के निर्माण, लकड़ी की चिराई मशीने, काटन मिले, ईंट के भट्टे आदि की विभिन्न इकाईया है।

जिले में कुटीर उद्योग धन्धो का भी महत्व समान रुप से है। इनमे शीट मैटल वस्तुओं सीमेन्ट उत्पादो, देशी जूतीयों, कृषि उपकरणों, मिट्टी के बर्तनों, साबुन बेकरी बनाने आदि से सम्बन्धित है। जिले में मुख्य रुप से निर्यात होने वाली वस्तुओ में गेहूँ, चना, कपास, ऊन व ऊनी वस्त्र, चमड़ा व खाले ईमारती लकड़ी आदि है।

जिले का व्यवसायिक स्वरुप

क्र सं	विवरण	पुरुष प्रतिशत	महिला प्रतिशत	प्रतिशत
1	पुर्णतया काम करने वाले	33.33	19.44	52.77
2	आंशिक काम करने वाले	18.51	9.26	27.77
3	काम न करने वाले	12.03	7.41	19.44

1.6 प्रशासनिक ढाचां

हनुमानगढ़ जिला 3 ब्लाक में विभाजित है। जिसके अन्तर्गत 7 तहसीले है। तथा पूरे जिले मे 251 ग्राम पंचायते है जिसमें से हनुमानगढ़ तहसील मे 121 ग्राम पंचायते है जो कि एशिया की सबसे बड़ी पंचायत समिति है। पूरा जिला 1905 गांवो मे विभाजित है जिसमें से 1726 आबाद गांव है। इसके अलावा जिलें में 6 Municipalaties भी है।

जिले में एक जिला परिषद् डीआरडीए कार्यरत है। जिसमें 9 कृषि उपज मंडीया अवस्थित है। जिले में 7 सब डीवीजन हैडक्वार्टस क्रमशः हनुमानगढ़, पीलीबंगा, संगरिया, टिब्बी, नोहर, रावतसर, भादरा आदि है। प्रशासनिक ढांचे का प्रारुप नीचे सारणी में दर्शाया गया है।

जिले का प्रशासनिक ढांचा

विवरण	संख्या
सबडिविजन	7
ब्लॉक	3
तहसील	7
गाँव	1905
हेबिटेशन	1726
पंचायत	251
शहर	6
पंचायत में वार्डो की संख्या	3072
शहर में वार्डो की संख्या	160

1.7 जनसांख्यकी

(अ) जनसंख्या वृद्धि-

हनुमानगढ़ जिले की कुल जनसंख्या जनगणना 2001 के अनुसार 1517390 है। जो कि 1991 की जनगणना 1220333 से 297057 अधिक है। अर्थात जनसंख्या में कुल वृद्धि 24.34 प्रतिशत की हुई है। इस जनसंख्या वृद्धि में पुरुष जनसंख्या में 24. 11प्रतिशत व महिला जनसंख्या में 24.60 प्रतिशत वृद्धि हुई है जो कि एक उल्लेखनीय बिन्दू है।

जनसंख्या वद्धि

	जनसंख्या 1991	जनसंख्या 2001	जनसंख्या वृद्धि	वृद्धि दर
योग	1220333	1517390	297057	24.34
पुरुष	645205	800796	155591	24.11
महिला	575128	716594	141466	24.60
लिंगानुपात	891	895		

(स्त्रोत- जनगणना 2001)

जिले का महिला पुरुष अनुपात जो कि 1991 मे 891महिला प्रति हजार पुरुष था वह भी अब बढकर 895 हो गया है। अर्थात महिला पुरुष अनुपात में अब 4 की वृद्धि हुई है।

(ब) शहरी एवं ग्रामिण जनसंख्या

जिले की कुल जनसंख्या जनगणना 2001 के अनुसार 1517390 है। इसमें से ग्रामिण जनसंख्या 1213766 है व शहरी जनसंख्या 303624 है। हनुमानगढ़ जिले की कुल जनसंख्या में पुरुष 800796 एवं महिला 716594 जो कि पुरुष जनसंख्या का 47.23 प्रतिशत है। जिले की जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या तहसील हनुमानगढ़ की एवं सबसे कम तहसील टिब्बी की है। टिब्बी तहसील में केवल ग्रामीण जनसंख्या ही है।

ग्रामीण एवं शहरी जनसंख्या

तहसील का नाम	कुल जनसंख्या			ग्रामीण जनसंख्या			शहरी जनसंख्या		
	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला	योग	पुरुष	महिला
हनुमानगढ़	363497	193254	170243	233843	123671	110172	129654	69583	60071
पीलीबंगा	178738	94345	84393	145131	76449	68682	33607	17896	15711
टिब्बी	141179	74281	66898	141179	74281	66898			
संगरिया	141697	74790	66907	107156	56431	50725	34541	18359	16182
योग	825111	436670	388441	627309	330832	296477	197802	105838	91964
नोहर	267111	140556	126555	224889	118268	106541	42362	22288	20014
रावतसर	169485	88804	80601	141022	73816	67206	28383	13395	14988
योग	436516	229360	207156	366831	192084	173747	70685	35683	35002
भादरा	255783	134796	120997	220626	116247	104379	35137	18519	16618
योग	255783	134796	120997	220626	116247	104379	35137	18519	16618
महायोग	1517390	800796	716594	1213766	639163	574603	303624	160940	143684

(स्त्रोत- जनगणना 2001)

1.8 जिले में संचालित विभिन्न विकास योजनाएं

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत विभिन्न योजनाएं जैसे ग्राम समृद्धि योजना, इन्दिरा आवास योजना योजनाएं यहां संचालित की गई हैं। गरीबी उन्मूलन केन्द्रीय योजनान्तर्गत कार्यक्रम है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सकल उत्पाद वृद्धि पर विषेश ध्यान दिया इस सोच के साथ दिया गया था कि उत्पादन बढने से गरीबी अपने आप समाप्त हो जाएगी। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जिले में गरीबी उन्मूलन पर विषेश ध्यान दिय गया। लोगों विषेशकर वंचित वर्ग, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति, विकलांग एवं अन्य पिछड़ों के उत्थान के लिए विभिन्न कार्यक्रम व योजनाएं जिले में संचालित हैं।

निर्धारित कार्यक्रम केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा गरीबों एवं गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वालों के लिए संचालित किए जा रहे हैं।

(अ) ग्राम समृद्धि योजना

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार एवं ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। अप्रैल 1985 से जिले में संचालित है। इस का मुख्य उद्देष्य बेरोजगार एवं अन्य महिला-पुरूषों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना है।

कार्यक्रम के उद्देश्य :

- बेरोजगार युवक-युवतियों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण आर्थिक ढांचे को सुदृढ़ कर रोजगार को बढावा देना।
- सामाजिक मूल्यों का निर्माण करना।
- अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से लाभ के अवसर प्रदान कराना।

(ब) इन्दिरा आवास योजना

इस योजना में ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति / जनजाति, बन्धुआ मजदूरों एवं गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के लिए निःशुल्क आवास गृहों की सुविधा प्रदान की जाती है।

योजना में निम्नांकित प्राथमिकताएं तय की गई हैं एवं उन्हें निःशुल्क आवास गृह प्रदान कराये जाते हैं।

- बन्धुआ मजदूर
- अनुसूचित जाति व जनजाति के शोषित परिवार
- अनुसूचित जाति व जनजाति के गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापनद करने वाले परिवार
- अनूसूचित जाति व जनजाति के बाढ़, भूकम्प एवं प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवार
- इस योजना के सम्बधित परिवारों को 16000 रू. गृह निर्माण तथा 1500 रू. शौचालयों एवं मूत्रालयों के निर्माण के लिए प्रदान किए जाते हैं।

(स)विधायक स्थानीय क्षैत्र विकास कार्यक्रम (एम.एल.ए.एल.ए.डी.)

योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्य निम्न प्रकार से है।

- राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए भवन निर्माण का कार्य।
- पुस्तकालय भवन/बस स्टेण्ड/धर्मशाला/विश्रामग्रह/ स्टेडियम /वालमिकी भवन/सामुदायिक भवन।
- चार दिवारी निर्माण।
- शिक्षण संस्थाओं में कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कम्प्यूटर।
- जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों/ पंचायती राज संस्थाओं हेतु फेक्स मशीन/कम्प्यूटर।
- राजकीय शिक्षण संस्थाओं के लिए अध्ययन-अध्यापन सामग्री / स्काउट सामग्री / खेल सामग्री /फर्नीचर/दरी।

कार्यो की स्वीकृति बाबत् प्रस्ताव

प्रत्येक विधानसभा सदस्य अपने अपने विधानसभा क्षैत्र में प्रति वर्ष 60.00 लाख रुपये तक की जनोंपयांगी परिसम्पत्तियों का निर्माण कराने के प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रेषित करेंगें जो स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्यान्वित कराये जा सकेंगें।

(द)सांसद स्थानीय क्षैत्र विकास योजना (एम.पी.एल.ए.डी.)

योजना के अन्तर्गत कराये जा सकने वाले कार्य

- विद्यालयों, छात्रावासों, पुस्तकालयों के लिए भवनों और शिक्षण संस्था के अन्य भवनों का निर्माण, जो सरकार अथवा स्थानीय निकाय के अधीन हो। ऐसे भवन यदि सहायता प्राप्त तथा गैर सहायता किन्तु मान्यता प्राप्त संस्थाओं के भी हो तो उनका निर्माण कराया जा सकता है।
- मान्यता प्राप्त जिला या राज्य स्तर के खेलकूद संघों की सांस्कृतिक तथा खेलकूद संबंधी गतिविधियों के लिए स्थानीय निकायों के भवनों का निर्माण। व्यायाम केन्द्रो,

खेलकूद संघों, शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं आदि में विभिन्न कसरतों की सुविधायें (मल्टीजिम-फेसिलिटीज) उपलब्ध कराने की भी अनुमति है।

- सार्वजनिक पुस्तकालय एवं वाचनालय।
- शिशुगृह एवं आंगनवाड़ियॉ।

******

अध्याय-2

शैक्षणिक परिदृश्य

यह अध्याय हनुमानगढ़ जिले के शैक्षणिक परिदृश्य जैसे की साक्षरता दर बच्चो का नामांकन, अध्यापकों की संख्या, विद्यालय में उपस्थिति मूलभूत आवश्यकताओं आदि से सम्बन्धित हैं। बच्चों के नामांकन में कितनी वृद्धि हुई है व उनको विद्यालय में मिलने वाली मूलभूत आवश्यकताओं को कितने विद्यालयों में पहुँचाना अभी शेष इस प्रकार यह खण्ड जिले के सभी प्रकार की शैक्षणिक परिदृश्य को दर्शाता हैं।

2.1 शैक्षणिक विकास का इतिहास

जिले के शैक्षणिक विकास 1884 से प्रारम्भ हुआ माना जाता है। जब बीकानेर रियासत के महाराजा डूंगरसिंह ने विभिन्न प्रकार के शैक्षणिक विकास की प्रशासनिक ढांचे के साथ में जिले में प्रारम्भ किया था।

प्रारम्भ में शिक्षा जिले में केवल उन लोगों तक ही सीमित थी जोकि आर्थिक रुप से काफी समृद्ध थे। जो लोग आर्थिक रुप समृद्ध नहीं थे वे शैक्षणिक रुप से भी काफी पिछड़े हुए थे।

शिक्षा के प्रसार में स्वामी केशवानन्द का योगदान अतुलनीय है। उन्होने शिक्षा को आर्थिक रुप से पिछड़े लोगों तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया। आज जिले के ग्रामोत्थान विद्यापीठ व कृषि महाविद्यालय काफी जाने जाते हैं।

2.2 साक्षरता दर

हनुमानगढ़ जिले में कुल साक्षरता 65.72 प्रतिशत है जो कि 1991 से काफी अधिक है। आज जिले की साक्षरता राजस्थान की साक्षरता दर 61.03 प्रतिशत से काफी अधिक है। कुल 65.72 प्रतिशत में से पुरुष साक्षरता 77.41 प्रतिशत व महिला साक्षरता 52.71 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्र की साक्षरता दर शहरी क्षेत्र की अपेक्षा कुछ कम है।

जिले की साक्षरता दर में सर्वाधिक साक्षरता भादरा तहसील की 68.50 प्रतिशत जिसमें भी पुरुष साक्षरता 81.53 प्रतिशत है।

साक्षरता दर

तहसील का नाम	साक्षरता दर			ग्रामिण साक्षरता दर			शहरी साक्षरता दर		
	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला	कुल	पुरुष	महिला
हनुमानगढ़	66.03	76.63	54.06	60.57	72.39	47.37	75.62	83.97	66.00
पीलीबंगा	63.76	75.66	50.56	62.72	75.10	49.60	68.17	78.02	57.01
टिब्बी	64.06	75.37	51.58	64.06	75.37	51.58			
संगरिया	64.45	74.72	53.10	59.40	70.54	47.14	79.61	87.14	71.17
नोहर	67.40	79.54	53.94	66.30	78.94	52.34	73.22	82.68	62.50
रावतसर	62.64	75.34	48.62	62.00	74.92	47.80	65.75	88.63	46.15
भादरा	68.50	81.53	54.09	67.65	81.01	52.87	73.74	84.79	61.62

(स्त्रोत-जनगणना 2001)

जिले में सबसे कम साक्षरता रावतसर तहसील में 62.24 प्रतिशत है उसमें भी महिला साक्षरता दर 48.62 प्रतिशत है।

2.3 शैक्षिक सुविधायें

(अ) औपचारिक विद्यालय

हनुमानगढ़ जिले की शैक्षिक सुविधाओ के अन्तर्गत राजकीय विद्यालयो एवं निजि विद्यालयो दोनो प्रकार के विद्यालयो का समान योगदान है।

जिले में कुल 552 राजकीय प्राथमिक विद्यालय व 358 निजि प्राथमिक विद्यालय है। जिले में कुल 302 राजीव गांधी पाठशालाये संचालित की जा रही है एवं 856 उच्च प्राथमिक विद्यालय कार्यरत है।

856 उच्च प्राथमिक विद्यालयो में से 320 सरकारी व 536 निजि क्षेत्र के है। जिले में कुल 23 राजकीय संस्कृत विद्यालय भी राज्य सरकार के द्वारा चलाये जा रहे है।

हनुमानगढ़ जिले में चलाये जा रहे माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयो की संख्या क्रमशः 158 एवं 92 है। जिसमें निजि क्षेत्र के क्रमशः 65 एवं 46 है। जिले में संचालित विभिन्न प्रकार के विद्यालयो का विवरण आगे दी गयी सारणी में दर्शाया गया है।

जिले में संचालित औपचारिक विद्यालय

संस्थान	सरकारी	गैर सरकारी	योग
प्रा.वि. एवं संस्कृत प्रा वि	552	358	910
रा.मा.स्व.ज.पाठ.	302	-	302
शिक्षाकर्मी प्रा.वि.	-	-	-
कुल योग प्रा.वि.	854	358	1212
उ.प्रा.वि.	320	536	856
शिक्षाकर्मी उ.प्रा.वि.	-	-	-
संस्कृत उ.प्रा.वि.	5	-	5
कुल योग उ.प्रा.वि	325	536	861
सेकण्डरी	93	65	158
प्रवेशिका विद्यालय	-	-	-
सी.सेकण्डरी	46	46	92
उपाध्याय विद्यालय	-	-	-
अन्य विद्यालय	-	-	-

(स्त्रोत-जिला शिक्षा अधिकारीहनुमानगढ़)

(ब) उच्च शिक्षा केन्द्र

हनुमानगढ़ जिले में जिले की जनता उच्च शिक्षा देने के लिये विभिन्न प्रकार के उच्च शिक्षा केन्द्र सरकारी एवं निजि क्षेत्र में संचालित किये जा रहे है। जिले में 5 स्नातक महाविद्यालय संचालित किये जा रहे है जिसमें से 1 सरकारी एवं 4 निजि क्षेत्र के द्वारा लायी जा रही है।

उच्च शिक्षा केन्द्र

संस्थान का प्रकार	सरकारी	निजि	कुल
स्नातक महाविद्यालय	1	4	5
अधिस्नातक महाविद्यालय	-	3	3
डाइट	-	-	-
बी.एड महाविद्यालय	-	1	1
आई.ए.एस.ठ	-	-	0
आई.टी.आई	1	-	1
अभियांत्रिकी महाविद्यालय	-	-	0
आयुर्विज्ञान महाविद्यालय	-	-	0
विश्वविद्यालय	-	-	0

(स्त्रोत-जिला शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ़)

जिले में निजि क्षेत्र के अन्तर्गत 3 अधिस्नातक महाविद्यालय एवं एक आई टी आई केन्द्र सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत चलायी जा रही है।

2.4 नामांकन

डाइस 2002-2003 के द्वारा एकत्रित किये गये आंकड़ो के अनुसार हनुमानगढ़ जिले में कुल 276186 बालक-बालिकायें विभिन्न प्रकार के सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयो में कक्षा 1 से 8 तक नामांकित है। नामांकित बालक-बालिकाओ में से बालको की संख्या 150043 एवं बालिकाओ की संख्या 126143 है। कुल नामांकित बच्चो में से बालिकाओं का नामांकन प्रतिशत 45.67 प्रतिशत है। नामांकित बच्चो में से काफी संख्या में बालक बालिकायें गैर सरकारी विद्यालयो में भी नामांकित है।

(अ) जातिवार नामांकन (कक्षा 1 से 8 तक)

जिले में जातिवार नामांकन में काफी विभिन्नतायें पायी गयी है। कुल नामांकित 276186 बालक-बालिकाओं में 81664 बालक-बालिकाये अनुसूचित जाति व 192669

बालक-बालिकायें अन्य है। जिले में अनुसूचित जन जाति के परिवारो की संख्या कम होने के कारण नामांकित अनुसूचित जाति के बालक बालिकाओ की संख्या केवल 1853 है।

जातिवार नामांकन

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	एस.सी.			एस.टी.			अन्य			योग		
		बालक	बालिका	योग	बलक	बलिका	योग	बालक	बालिका	योग	बालक	बालिका	योग
1	हनुमानगढ़	24586	22143	46729	820	673	1493	45680	36954	82635	71086	59771	130857
2	नोहर	13758	10149	23907	96	84	180	36868	32394	69262	50722	42627	93349
3	भादरा	6354	4674	11028	107	73	180	21774	18998	40772	28235	23745	51980
	कुल	44698	36966	81664	1023	830	1853	104322	88347	192669	150043	126143	276186

(स्त्रोत-डाइस2002-2003)

(ब) कक्षावार नामांकन

जिले में कुल नामांकित 276186 बालक बालिकाओ में से सर्वाधिक बालक बालिकाये पहली कक्षा में 67112 नामांकित है। सबसे कम नामांकित बालक बालिकाये कक्षा आठ में नामांकित है। जो जिले में बच्चो कीं विद्यालय त्यागने की प्रवृति को दर्शाती है।

कक्षावार नामांकन

क्र सं	ब्लॉक का नाम	1			2			3			4			5			6			7			8			महायोग		
		छात्र.	छात्रा.	योग	छात्र.	छात्रा.	योग	छात्र.	छात्रा.	योग	छात्र.	छात्रा.	योग	छात्र.	छात्रा.	योग	छात्र.	छात्रा.	योग	छात्र.	छात्रा.	योग	छात्र.	छात्रा.	योग	छात्र.	छात्रा.	योग
1	हनुमानगढ़	16843	15233	32076	10342	9474	19816	9432	8465	17897	8849	7516	16366	7709	6391	14100	6332	4931	11264	6018	4234	10252	5562	3526	9087	71086	59771	130857
2	नोहर	12033	10864	22897	7378	6756	14132	6727	6037	12764	6311	5361	11672	5498	4558	10056	4516	3517	8033	4291	3018	7310	3985	2515	6480	50722	42627	93349
3	भादरा	6689	6050	12739	4108	3763	7872	3747	3362	7109	3515	2986	6501	3084	2539	5603	2515	1959	4474	2390	1682	4072	2208	1405	3613	28235	23745	51980
	योग	35565	32147	67712	21827	19993	41820	19906	17864	37770	18675	15864	34539	16271	13488	29759	13364	10407	23771	12700	8934	21634	11735	7446	19181	150043	126143	276186

(स्त्रोत–डाइस2002–2003)

(स) प्रबन्धनवार नामांकन (कक्षा 1 से 8 तक)

हनुमानगढ़ जिले के विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी विद्यालयो में नामांकित 276186 बालक बालिकाओं में से सरकारी क्षेत्र की पाठशालाओं में 193673 बच्चे एवं गैरसरकारी क्षेत्र के विद्यालयो में 82513 बच्चे नामांकित है। प्रबन्धवार एवं ब्लॉकवार छात्र छात्राओ का विवरण सारणी में विस्तृत रुप में दिया गया है।

प्रबन्धवार नामांकन

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	सरकारी विद्यालय			गैरसरकारी विद्यालय			योग		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	छात्र
1	हनुमानगढ़	47166	45140	92306	23920	14631	38551	71086	59771	130857
2	नोहर	32392	31041	63433	18330	11586	29916	50722	42627	93349
3	भादरा	19393	18539	37932	8842	5206	14048	28235	23745	51980
	योग	100709	92964	193673	51091	31422	82513	150043	126143	276186

(स्त्रोत–डाइस2002–2003)

(द) विद्यालयवार नामांकन

जिले में कुल 276186 बालक बालिकायें कक्षा 1 से 8 तक विभिन्न प्रकार के निजि एवं सरकारी विद्यालयो में नामांकित है।

विद्यालयवार नामांकन

विद्यालय का प्रकार	कक्षा 1 से 5 तक			कक्षा 6 से 8 तक			योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
प्रा.वि	60414	53365	113779	-	-	-	60414	53365	113779
उ.प्रा.वि.	44947	36836	81783	21633	17152	38785	66580	53988	120568
रा.गा.स्व.ज.पाठ.	12303	11451	23754	-	-	-	12303	11451	23754
सेकण्डरी / सी.सेकण्डरी	3009	2191	5200	7737	5148	12885	10746	7339	18085
योग	120673	103843	224516	29370	22300	51670	150043	126143	276186

(स्त्रोत-डाइस2002-2003)

224516 बालक बालिकायें कक्षा 1 से 5 एवं 51670 बालक बालिकाये उच्च प्राथमिक विद्यालयो से जुड़े हुये है। जिलें में प्राथमिक विद्यालयो में बालक बालिकाओ की संख्या सर्वाधिक है।

(य) आयुवार नामांकन

जिले में कक्षा 1 से 8 तक नामांकित कुल बालक बालिकाओ में 6 वर्ष से कम बालक बालिकाओ की संख्या 11914 है जिसमें 6711 बालक एवं 5203 बालिकायें है।

आयुवार नामांकन

आयु	कक्षा 1 से 5 तक			कक्षा 6 से 8 तक			योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
6 से कम	6711	5203	11914	-	-	-	6711	5203	11914
6-10	87461	74523	161984	3915	2729	6644	91376	77252	168628
11-14	25722	24763	50485	23975	17162	41137	49697	41925	91622
14 से अधिक	-	-	0	2259	1763	4022	2259	1763	4022
योग	120673	103843	224516	29370	22300	51670	150043	126143	276186

(स्त्रोत-डाइस2002-2003)

कुल नामांकित बालक बालिकाओ में 14 वर्ष से अधिक बालक बालिकओ की संख्या 4022 है। जो कि कुल नामांकन की तुलना में काफी कम है।

2.5 अनामांकित बच्चो की सूचना

जिलें में 6-14 आयु वर्ग के कुल 295322 बालक बालिकाये है। जिनमें से 6से 11 आयुवर्ग के बालक बालिकाओ की संख्या 186519 एवं 11से14 आयुवर्ग के बालक बालिकाओं की संख्या 108803 है। 6-11 आयुवर्ग के 108803 बालक बालिकाओं में से कुल 5309 (2335 बालक, 2974 बालिकाये) अनामांकित है ।

अनांमांकित बच्चो की संख्या

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	बच्चों की संख्या(6-11)			बच्चों की संख्या(11-14)			अनामांकित बच्चे (6-11) वर्ष			अनामांकित बच्चे (11-14)			प्रति. अनामांकित बच्चे (6-11)			प्रति. अनामांकित बच्चे (11-14)		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	हनुमानगढ़	43068	37942	81010	32835	25438	58273	1921	2645	4566	1234	1761	2995	4.46	6.97	5.64	3.76	6.92	5.14
2	नेहर	36943	31109	68052	18138	14077	32215	729	1176	1905	724	656	1380	1.97	3.78	2.80	3.99	4.66	4.28
3	भादरा	20319	17138	37457	10318	7997	18315	391	549	940	377	557	934	1.92	3.20	2.51	3.65	6.97	5.10
	योग	100330	86189	186519	61291	47512	108803	3041	4370	7411	2335	2974	5309	3.03	5.07	3.97	3.81	6.26	4.88

(स्त्रोत-डाइस2002-2003)

इसी प्रकार 6-11 आयुवर्ग के 186519 बालक बालिकाओ में से 7411 बच्चे (3041 बालक, 4370 बालिकायें) अनामांकित है।

2.6 (अ) शुद्ध नामांकन दर

शुद्ध नामांकन दर जिले में उपस्थित बालक बालिकाओं व नामांकित बालिका बालिकाओ के अनुपात का घोतक है। शुद्ध नामांकत दर के आकलन के अनुसार जिले का शुद्ध नामांकन दर 95.69 प्रतिशत है। जिसमें सर्वाधिक नामांकन 96.64 प्रतिशत भादरा में है।

शुद्ध नामांकन दर (ब्लॉकवार)

क्र सं	ब्लाक का नाम	बच्चो की संख्या (6-14)	नामांकन (6-14)	शुद्ध नामांकन दर
1	हनुमानगढ़	139283	131722	94.57
2	नेहर	100267	96982	96.72
3	भादरा	55772	53898	96.64
	योग	295322	282602	95.69

(स्त्रोत-डाइस2002-2003)

सबसे कम नामांकन हनुमानगढ़ में 94.57 प्रतिशत है। शुद्ध नामांकन दर का विस्तृत विवरण सारणी में दिया गया है।

(ब) सकल नामांकन दर

सकल नामांकन दर जिले में उपस्थित कुल 6-14 आयुवर्ग के बालक बालिकाओ एवं कक्षा 1 से 8 के नामांकन का अनुपात है। जिले की सकल नामांकन दर 93.52 प्रतिशत है।

सकल नामांकन दर

क्र.सं	ब्लॉक का नाम	जनसंख्या(6-14)			नामांकन कक्षा 1 से 8			सकल नामांकन दर		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	हनुमानगढ़	76936	62966	139901	71086	59771	130857	92.40	94.93	93.54
2	नोहर	54912	44917	99830	50722	42627	93349	92.37	94.90	93.51
3	भादरा	30579	25012	55591	28235	23745	51980	92.33	94.93	93.50
	कुल	162427	132895	295322	150043	126143	276186	92.38	94.92	93.52

(स्त्रोत-डाइस2002-2003)

2.7 ठहराव दर

विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में ठहराव की विकट समस्या है। खेती करने वाले तथा श्रमिकों के बच्चे उनके व्यवसाय में हाथ बटाते है । ऐसे परिवारो के लोग कुछ लोगों के

समझाने तथा दबाव डालने पर बच्चों को विद्यालयों में प्रवेश तो दिला देते है, परन्तु कुछ समय बाद बालकों का विद्यालय से विलग कर देते है ।

ठहराव दर (कक्षा 5 के अनुसार)

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	कक्षा 1 में नामांकन			कक्षा 5 में नामांकन (2001-02)			ठहराव दर		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	हनुमानगढ़	16843	15233	32076	7709	6391	14100	45.77	41.96	43.96
2	नोहर	12033	10864	22897	5498	4558	10056	45.69	41.95	43.92
3	भादरा	6689	6050	12739	3064	2539	5603	45.81	41.97	43.98
	योग	35565	32147	67712	16271	13488	29759	45.75	41.96	43.95

(स्त्रोत-डाइस2002-2003)

विद्यालय में शिक्षण सुविधाओं की कमी, विद्यालय का वातावरण अनाकर्षक होना, शिक्षण आनन्ददायी न होना आदि की बच्चों के विद्यालय छोड़ने का कारण है ।

ठहराव दर (कक्षा 8 के अनुसार)

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	कक्षा 1 में नामांकन			कक्षा 8 में नामांकन (2001-02)			ठहराव दर		
		छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
1	हनुमानगढ़	16843	15233	32076	5562	3526	9087	33.02	23.15	28.33
2	नोहर	12033	10864	22897	3965	2515	6480	32.95	23.15	28.30
3	भादरा	6689	6050	12739	2208	1405	3613	33.01	23.22	28.36
	योग	35565	32147	67712	11735	7446	19181	33.00	23.16	28.33

(स्त्रोत-डाइस2002-2003)

2.8 पुनरावृति दर

हनुमानगढ़ जिले में पुनरावृति दर सर्वाधिक कक्षा आठ एवं कक्षा पांच में बोर्ड परीक्षायें होने के कारण दिखाई देती है। चूकि प्राथमिक विद्यालयो में सभी बच्चो को क्रमोन्नत किया जाता है। जिसके कारण प्राथमिक की पुनरावृति दर उच्च प्राथमिक से कम है। छात्राओ में छात्रो की अपेक्षा पुनरावृति अधिक है।

पुनरावृति दर

	1			2			3			4			5			6			7			8			योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
पिछले वर्ष का नामांकन	34104	30987	65091	21487	19527	41014	19442	17448	36890	18240	15494	33734	15882	13174	29056	13063	10165	23217	11404	8725.8	20130	10975	7264	18239	144597	122784	267381
रुकत हुये	33959	30863	64822	21297	19349	40646	19053	17144	36197	17565	14916	32481	14651	12087	26738	12068	9373	21440	10377	7872	18249	9397	5767	15164	138367	117370	255737
पुनरावृति	145	124	269	190	178	368	389	304	693	675	578	1253	1241	1087	2328	995	792	1777	1027	854	1881	1578	1497	3075	6230	5414	11644
पुनरावृति दर	0.43	0.40	0.41	0.88	0.91	0.90	2.00	1.74	1.88	3.70	3.73	3.71	7.81	8.25	8.01	7.55	7.79	7.65	9.01	9.79	9.34	14.38	20.61	16.86	4.31	4.41	4.35

(स्त्रोत-डाइस2002-2003)

2.9 (अ) विद्यालय त्यागने वालो बालको की संख्या (ड्रिप आउट दर)

ऐसा देखा गया है कि वर्ष के प्रारंभ में छात्र छात्राये विभिन्न प्रकार के विद्यालयो में प्रवेश ले लेते है लेकिन किन्ही कारणो से उनमे कुछ छात्र छात्राये अपनी शिक्षा वर्ष के बीच में ही त्याग कर चले जाते है।

डाइस 2002 के अनुसार जिले में विद्यालय त्यागने की प्रवृति 2.10 प्रतिशत है।

विद्यालय त्यागने वाले छात्र छात्राओ की संख्या

	1			2			3			4			5			6			7			8			योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
नामांकन (30 सित.2002 तक)	34104	30987	65091	21487	19527	41014	19442	17448	36890	18240	15494	33734	15882	13174	29056	13053	10165	23217	11404	8725.8	20130	10975	7264	18239	144597	122784	267381
नामांकन वर्धनता में	33562	30500	64062	21069	19312	40381	19157	17235	36392	18023	15337	33360	14924	12385	27319	12901	10031	22931	11207	8596.8	19804	10588	6937	17525	141441	120333	261774
विद्यालय त्यागने वाले	542	487	1029	418	215	633	285	213	498	217	157	374	958	789	1747	152	134	286	197	129	326	387	327	714	3156	2451	5607
विद्यालय त्यागने वाले का प्रतिशत	1.59	1.57	1.58	1.95	1.10	1.54	1.47	1.22	1.35	1.19	1.01	1.11	6.03	5.99	6.01	1.16	1.32	1.23	1.73	1.48	1.62	3.53	4.50	3.91	2.18	2.00	2.10

(स्त्रोत-डाइस2002-2003)

(ब) क्रमोन्नति दर

क्रमोन्नति दर किसी कक्षा में उपस्थित छात्र छात्राओ कक्षा में सफलता का द्योतक है। इसके अनुसार जिले में किसी कक्षा विशेष में कितने छात्रो ने नामांकन करवाया और उनमें से कितने छात्र छात्राये सफल हुये।

डाइस 2001-2002 के अनुसार जिले में कक्षा 1 से 8 तक कुल क्रमोन्नति दर 94.70 प्रतिशत है जिसमें से सर्वाधिक क्रमोन्नति दर कक्षा एक एवं सबसे कम क्रमोन्नति दर कक्षा आठ में बोर्ड परिक्षाऐ होने के कारण केवल 83.20 प्रतिशत है। कक्षा पांच में भी बोर्ड परिक्षाओ के होने के कारण क्रमोन्नति दर 90.49 प्रतिशत है।

क्रमोन्नति दर

	1			2			3			4			5			6			7			8			योग		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
पिछले वर्ष का नामांकन	34104	30987	65091	21487	19527	41014	19442	17448	36890	18240	15494	33734	15892	13174	29066	13053	10165	23217	11404	8725.8	20130	10975	7264	18239	144697	122784	267381
सफल हुये	33897	30574	64471	20983	19143	40126	18889	16754	35643	17638	14532	32170	14367	11935	26302	11787	9163	20950	10532	7853	18385	9073	6101	15174	137166	116055	253221
क्रमोन्नति दर	99.39	98.67	99.05	97.65	98.03	97.83	97.15	96.02	96.62	96.70	93.79	95.38	90.40	90.60	90.49	90.30	90.15	90.24	92.35	90.00	91.33	82.67	83.99	83.20	94.86	94.52	94.70

(स्त्रोत-डाइस2002-2003)

(स) संक्रमण दर

संक्रमण दर के अनुसार पुर्व में किसी कक्षा में कितने छात्र छात्राये है एवं उसके अगले वर्ष उससे अगली कक्षा में कितने छात्र छात्राये है।

संक्रमण दर

	1			2			3			4			5			6			7			8		
	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग	छात्र	छात्रा	योग
पिछले वर्ष का नामांकन	34104	30987	65091	21487	19527	41014	19442	17448	36890	16240	15494	33734	15892	13174	29066	13053	10165	23217	11404	8725.8	20130	10975	7264	18239
इस वर्ष का उससे अगली नामांकन	21827	19983	41820	19006	17884	37770	18676	15884	34539	16271	13488	29759	13384	10407	23771	12700	8934	21634	11735	7446	19181	-	-	-
संक्रमण दर	64.00	64.52	64.25	92.64	91.48	92.09	96.05	90.92	93.63	88.21	87.05	88.22	84.09	79.00	81.78	97.30	87.89	93.18	102.90	85.33	95.29	-	-	-

(स्त्रोत-डाइस2002-2003)

जिले में सबसे कम संक्रमण दर कक्षा एक के बालाक बालिकाओ की है जो कि कक्षा वार आगे बढ़ती जाती है। कक्षा चार तक संक्रमण दर बढ़ती जाती है। लेकिन उसके बाद संक्रमण दर में गिरावट आती है, जो कि फिर बाद में कक्षा अनुसार बढ़ती जाती है।

2.10 अध्यापकों का विवरण

(अ) विद्यालयवार विवरण

किसी भी विद्यालय में बच्चो को समुचित शिक्षा प्रदान करने एवं बच्चो को शिक्षा से जोड़े रखने में अध्यापक का एक महत्वपूर्ण जगह होती है। यदि विद्यालय में शिक्षको की संख्या बच्चों की संख्या कें समुचित अनुपात में होती है तो अध्यापक बच्चो पर समुचित ध्यान दे पाता है। जिससे बच्चे भी शिक्षा से जुड़े रहते है। इसलिये बच्चो को विद्यालय तक पहुंचाने एवं उनके ठहराव के लिये अध्यापको की समुचित संख्या का होना अति आवश्यक लेवें।

विद्यालयवार अध्यापको की स्थिति

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रा.वि.			रा.मा.स्व.ज.पा.			उ.प्रा.वि.			शिक्षाकर्मी			संस्कृत			योग		
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1	हनुमानगढ़	460	324	784	178	44	222	571	336	907	–	–	–	–	–	–	1209	704	1913
2	नोहर	400	77	477	102	12	114	406	90	496	–	–	–	–	–	–	908	179	1087
3	भादरा	234	40	274	65	8	73	318	95	413	–	–	–	–	–	–	617	143	760
	योग	1094	441	1535	345	64	409	1295	521	1816	–	–	–	–	–	–	2734	1026	3760

(स्त्रोत-जिला शिक्षा अधिकारी, हनुमानगढ़)

हनुमानगढ़ जिले में सरकारी प्राथमिक विद्यालयो में कुल 1535 अध्यापक कार्यरत है। जिसमें से 1094 पुरुष एवं 441 महिला अध्यापक कार्यरत है। इसी प्रकार राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाओ में कुल 409 अध्यापक कार्यरत है। जिसमें से 64 महिला अध्यापिका कार्यरत है। जिले में उच्च प्राथमिक विद्यालयो में कुल 1816 अध्यापक कार्यरत है।

(ब) जातिअनुसार अध्यापको का विवरण

हनुमानगढ़ जिले में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अध्यापको की संख्या अन्य से काफी कम है। जिले में सरकारी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालय, राजीव गांधी विद्यालयो एवं संस्कृत विद्यालयो में कुल 3760 अध्यापक कार्यरत है जिसमें से 624 अनुसूचित जाति एवं 51 अनुसूचित जनजाति के अध्यापक कार्यरत है।

जाति अनुसार विवरण

क्र सं	ब्लॉक का नाम	अनुसूचित जाति			अनुसूचित जनजाति			अन्य			योग		
		पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग	पु.	म.	योग
1	हनुमानगढ़	237	70	307	11	6	17	961	628	1589	1209	704	1913
2	नेहर	180	26	206	23	1	24	705	152	857	908	179	1087
3	भादरा	94	17	111	8	2	10	515	124	639	617	143	760
	योग	511	113	624	42	9	51	2181	904	3085	2734	1026	3760

(स्त्रोत-जिला शिक्षा अधिकारी, हनुमानगढ़)

(स) विद्यालय में अध्यापको की संख्या अनुसार विद्यालयो का विवरण

जिले के सरकारी विद्यालयो में ऐसे विद्यालयो की संख्या सर्वाधिक जिनमें से एकल अध्यापक या दो अध्यापक है। जिले में एकल अध्यापक विद्यालयो की संख्या 338 एवं दो अध्यापक विद्यालयो की संख्या 279 है। सर्वाधिक एकल अध्यापक राजीव गांधी प्राथमिक विद्यालयो में कार्यरत है।

विद्यालय में अध्यापको की संख्या अनुसार विद्यालयो का विवरण

विद्यालय	एक अ.	दो अ.	तीन अ.	चार अ.	पांच अ.	छः अ.	सात अ.	आठ अ.	आठ से अधिक
प्रा.वि.	140	160	93	72	33	25	12	15	7
उच्चप्रा. वि.	3	12	15	24	47	98	28	62	13
रा.गां.स्व.ज. वि.	195	107	-	-	-	-	-	-	-
अन्य	-	-	-	-	-	-	-	-	-
योग	338	279	116	103	80	123	40	77	20

(स्त्रोत-डाइस2002-2003)

(द) अध्यापको की रिक्तियां

हनुमानगढ़ जिले में प्राथमिक विद्यालयो में अध्यापको के कुल 1641 पद स्वीकृत पद है। जिसमें 1535 पदो पर इस समय अध्यापक कार्यरत है एवं 106 पद रिक्त पड़े हुये है। इसी सरकारी उच्च प्रायमिक विद्यालयो में 2053 पद स्वीकृत एवं 1816 पद कार्यरत है एवं 239 पद रिक्त है।

अध्यापको की रिक्तियो का विवरण

विद्यालय का प्रकार	स्वीकृत पद	कार्यरत	रिक्त पद
प्रा.वि.	1641	1535	106
उच्च प्रा.वि.	2053	1816	239
रा.गां.स्व.ज.वि.	415	409	6
शिक्षाकर्मी	-	-	-

(स्त्रोत जिला शिक्षा अधिकारी हनुमानगढ़)

2.11 अध्यापक छात्र अनुपात

अध्यापक छात्र अनुपात यह बताता है कि प्रति अध्यापक किसी निश्चित विद्यालय में कितने छात्र है। अध्यापक छात्र के अनुपात के अनुसार जिले में सर्वाधिक अध्यापक छात्र

अनुपात राजीव गांधी विद्यालयो में 58.08 जिसमें सर्वाधिक अध्यापक छात्र अनुपात भादरा ब्लॉक में 65.11 है। जिले में सबसे कम अध्यापक छात्र अनुपात उच्च प्राथमिक विद्यालयो में 38.92 है।

अध्यापक छात्र अनुपात

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रा.वि			उ.प्रा.वि.			रा.गा.स्व.ज.पाठ		
		नमांकन	कार्यरत अध्यापकों की सं.	टी.पी.आर.	नामांकन	कार्यरत अध्यापकों की सं.	टी.पी.आर.	नामांकन	कार्यरत अध्यापकों की सं.	टी.पी.आर.
1	हनुमानगढ़	40179	784	51.25	33973	907	37.46	12321	222	55.50
2	नोहर	26643	477	55.86	22673	496	45.71	7423	114	65.11
3	भादरा	14192	274	51.80	14024	413	33.96	4010	73	54.93
	योग	81014	1535	52.78	70670	1816	38.92	23754	409	58.08

(स्त्रोत-डाइस2002-2003)

2.12 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान(डाइट)

जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान इस समय जिले में कार्यरत नही है। हनुमानगढ़ जिला पूर्व में श्री गंगानगर जिले का अंग था अतः पूर्व में शिक्षा प्रशिक्षण से सम्बन्धित सभी गतिविधियां श्री गंगानगर में उपस्थित जिला प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित कि जाती है।

2.13 विद्यालयो की भौतिक स्थिति

प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण एवं ठहराव तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षण के लिए आकर्षक विद्यालय भवनों का होना आवश्यक है। जिले में संचालित 53 राजकीय प्राथमिक विद्यालयों के पास स्वयं के भवन नहीं हैं। इसी प्रकार जिले में काफी उच्च प्राथमिक विद्यालय भी किराए के भवनों में चल रहे हैं अथवा अन्य सार्वजनिक स्थानों पर संचालित हैं। स्वयं के आनन्ददायी एवं आकर्शक भवन नहीं होने के कारण नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्तापूर्वक शिक्षण पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इसी तरह बहुत से प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पर्याप्त कक्षा-कक्ष बालक-बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालयों

एवं मूत्रालयों की व्यवस्था न होने के कारण एवं उपर्युक्त चार दीवारी के अभाव में विद्यालयों में सुव्यवस्थित एवं सुनियोजित शिक्षण क्रिया पर विपरित प्रभाव पड़ता है। अच्छे एवं साफ-सुथरे तथा पर्याप्त सुविधाओं से वंचित सरकारी विद्यालयों में विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा अभियान चलाकर नामांकन अभिवृद्धि करने के बाद ड्रॉप आउट दर बढ़नी शुरू हो जाती है। अतः पर्याप्त एवं संतोषजनक भौतिक सुविधाओं की तरफ ध्यान दिया जाना आवश्यक है।

(अ) विद्यालय की इमारत (केवल सरकारी विद्यालय)

जिले में 552 प्राथमिक विद्यालय है जिसमें से 543 विद्यालय भवन युक्त एवं 9 विद्यालय भवन रहित है। जिलें में उपस्थित 302 राजीव गांधी विद्यालयो में सभी विधालय भवन युक्त है। जिलें में 320 उच्च प्रा वि में 7 विद्यालय भवन रहित है।

विद्यालय भवन की स्थिति

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रा.वि.			रा.गा.स्व.ज.पाठ.			उ.प्रा.वि.			अन्य		
		विद्या.की सं.	इमारत सहित	इमारत	विद्या.की सं.	इमारत सहित	इमारत	विद्या.की सं.	इमारत सहित	इमारत	विद्या.की सं.	इमारत सहित	इमारत
1	हनुमानगढ़	263	257	6	182	182	0	165	165	4	-	-	-
2	नोहर	191	189	2	74	74	0	88	88	3	-	-	-
3	भादरा	98	97	1	46	46	0	67	67	0	-	-	-
	योग	552	543	9	302	302	0	320	320	7	-	-	-

(स्त्रोत-डाइस2002-2003)

(ब) कक्षा कक्ष (केवल सरकारी विद्यालयों में)

जिले के 552 प्राथमिक विद्यालयों में से 108 विद्यालय दो कक्ष युक्त, 130 विद्यालय तीन कक्ष युक्त 137 विद्यालय 4 कक्षा युक्त एवं 104 विद्यालय 5 कक्षा युक्त है। प्राथमिक विद्यालयो में सर्वाधिक कक्षा कक्षो की संख्या ब्लॉक हनुमानगढ़ में उपस्थित है।

कक्षा कक्ष

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्राथमिक विद्यालय						उच्च प्राथमिक विद्यालय						रा.मा.स्व.ज.पा.						अन्य विद्यालय					
		विद्या. की सं.	1	2	3	4	5	5 से अधिक	विद्या. की सं.	1	2	3	4	5	5 से अधिक	विद्या. की सं.	1	2	3	4	5	5 से अधिक	विद्या. की सं.	1	2	3	4	5	5 से अधिक
1	हनुमानगढ़	263	–	38	63	71	52	9	165	–	–	–	57	63	26	182	69	99	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2	नोहर	191	–	57	49	42	20	8	88	–	–	–	26	41	12	74	8	65	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
3	भादरा	98	–	13	18	24	32	8	67	–	–	–	19	34	6	46	3	42	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
	योग	552		108	130	137	104	25	320				102	138	44	302	80	206	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–

(स्त्रोत–डाइस2002–2003)

320 उच्च प्राथमिक विद्यालयो में से 102 विद्यालय 4 कक्षा कक्ष युक्त 138 विद्यालय 5 कक्षा युक्त एवं 44 विद्यालय 5 या 5 से अधिक कक्षा कक्ष युक्त है।

(स) जल सुविधायें (केवल सरकारी विद्यालयों में)

552 प्राथमिक विद्यालयो में से 278 विद्यालयो में पानी की व्यवस्था है एवं 274 विद्यालयों में पानी की आवश्यकता है। 302 राजीव गांधी विद्यालयो में से 202 विद्यालयो में पानी की आवश्यकता है।

विद्यालयो में उपस्थित पानी व्यवस्था एवं आवश्यकता

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रा.वि.			रा.मा.स्व.ज.माध.			उ.प्र.वि.			अन्य		
		विद्या. की सं.	पानी की व्यवस्था है	पानी की आवश्यकता	विद्या. की सं.	पानी की व्यवस्था है	पानी की आवश्यकता	विद्या. की सं.	पानी की व्यवस्था है	पानी की आवश्यकता	विद्या. की सं.	पानी की व्यवस्था है	पानी की आवश्यकता
1	हनुमानगढ़	263	166	97	182	46	136	165	90	75	12	10	2
2	नोहर	191	72	119	74	14	60	88	34	54	5	3	2
3	भादरा	98	40	58	46	40	6	67	46	21	6	3	3
	योग	552	278	274	302	100	202	320	170	150	23	14	9

(स्त्रोत–डाइस2002–2003)

301 उच्च प्राथमिक विद्यालयो में से 170 विद्यालयो में वर्तमान में पानी की व्यवस्था है एवं 131 विद्यालयों में पानी की आवश्यकता है जिसमें ब्लॉक हनुमानगढ़ में 66, नोहर में 48 एवं भादरा में 17 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पानी की आवश्याकता है।

(द) शौचालय (केवल सरकारी विद्यालयों में)

302 उच्च प्राथमिक विद्यालयो में से 195 विद्यालयों में वर्तमान में शौचालय अवस्थित है एवं 107 विद्यालयो में शौचालय की आवश्यकता है।

विद्यालयो में उपस्थित शौचालय एवं आवश्यकता

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रा.वि.			रा.मा.स्व.ज.पाठ.			उ.प्रा.वि.			अन्य		
		विद्या. की सं.	शौचालय युक्त	शौचालय की आवश्यकता	विद्या. की सं.	शौचालय युक्त	शौचालय की आवश्यकता	विद्या. की सं.	शौचालय युक्त	शौचालय की आवश्यकता	विद्या. की सं.	शौचालय युक्त	शौचालय की आवश्यकता
1	हनुमानगढ़	263	144	119	182	58	124	165	81	84			
2	नोहर	191	64	127	74	20	54	88	43	45			
3	भादरा	98	34	64	46	29	17	67	43	24			
	योग	552	242	310	302	107	195	320	167	153			

(स्त्रोत-डाइस2002-2003)

प्राथमिक विद्यालयो में सर्वाधिक 310 शौचालय की आवश्यकता है। जिसमें सर्वाधिक 127 की नोहर ब्लॉक के विद्यालयो में आवश्यकता है।

(य) चारदिवारी (केवल सरकारी विद्यालयों में)

जिले के सरकारी विद्यालयो में 320 उच्च प्राथमिक विद्यालयो में से डाइस 2002 के अनुसार 167 उच्च प्राथमिक विद्यालयो में वर्तमान में चारदिवार की सुविधा है एवं 153 विद्यालयो में चारदिवारी की आवश्यकता है।

विद्यालयो में उपस्थित चारदिवारी एवं आवश्यकता

क्र. सं.	ब्लॉक का नाम	प्रा.वि.			रा.मा.स्व.ज.पाठ			उ.प्रा.वि.			अन्य		
		विद्या. की सं.	चारदिवारी युक्त	चारदिवारी की आवश्यकता	विद्या. की सं.	चारदिवारी युक्त	चारदिवारी की आवश्यकता	विद्या. की सं.	चारदिवारी युक्त	चारदिवारी की आवश्यकता	विद्या. की सं.	चारदिवारी युक्त	चारदिवारी की आवश्यकता
1	हनुमानगढ़	263	84	179	182	11	171	165	81	84	-	-	-
2	नोहर	191	56	135	74	9	65	88	43	45	-	-	-
3	भादरा	98	57	41	46	6	40	67	43	24	-	-	-
	योग	552	197	355	302	26	276	320	167	153	-	-	-

(स्त्रोत-डाइस2002-2003)

552 प्रायमिक सरकारी विद्यालयो में से केवल 197 विद्यालयो में चारदिवारी की सुविधा है एवं 355 विधालयो में चाददिवारी की आवश्यकता है।

2.14 प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासनिक ढाचां

जिले के प्रारम्भिक शिक्षा के प्रशासनिक ढाचें में अप्रैल 2000 के बाद एक जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि. की व्यवस्था की गई है जो जिले में प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित सभी प्रकार की गतिविधियो की मॉनिटरिंग करता है। जिले के तीनो ब्लॉक में एक-एक ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी को मॉनिटरिंग में सहायता करते है एवं ब्लॉक में प्रारम्भिक शिक्षा से सम्बन्धित सभी गतिविधियो को संचालित करते है। जिले के प्रारम्भिक शिक्षा के ढाचां आगे दर्शाया गया है।

<u>जिले का प्रारम्भिक शिक्षा का प्रशासनिक ढाचां</u>

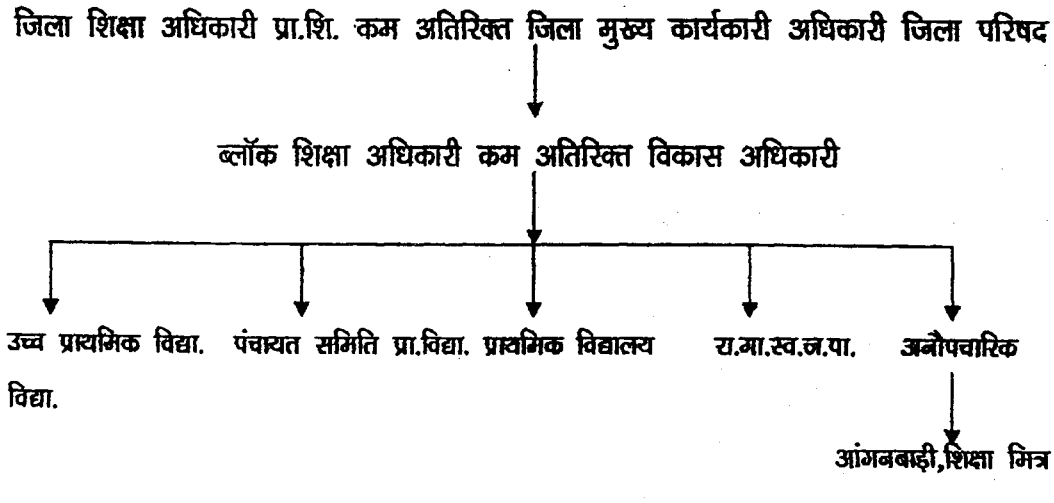

2.15 जिले में संचालित विभिन्न योजनायें

(अ) एकीकृत बाल विकास परियोजना

पूरे जिले में बाल विकास परियोजना संचालित हैं। इस परियोजना के निम्नांकित उद्देश्य हैं

- 0-6 आयुवर्ग के बच्चों के स्वास्थय एवं पोषण स्तर में सुधार करना।
- उक्त आयुवर्ग के बच्चों के शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक विकास में अभिवृद्धि करना।
- बच्चों की मृत्युदर में कमी करना व कुपोषण को दूर करना।
- माताओं / महिलाओं में स्वास्थय एवं शिक्षा के प्रति जागरूक करना।
- धात्री महिलाओं को कुपोशण से बचाना एवं स्वास्थय सम्बन्धी जानकारी देना। पोषाहार वितरण का कार्य।
- 0-6 आयुवर्ग के बच्चों व धात्री महिलाओं के लिए टीकाकरण एवं स्वास्थय जांच में मदद करना। स्वास्थय के प्रति उचित देखभाल के योग्य बनाना।
- 3-6 आयुवर्ग के बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना,

इसके लिए निम्नांकित कार्यक्रम हाथ मे लिए जाते हैं -

- बच्चों में शारीरिक मांसपेषियों का विकास।
- बालक-बालिकाओं में भाषाई विकास।
- सामाजिक व संवेगात्मक विकास
- नैतिक एवं संज्ञानात्मक विकास।

हनुमानगढ़ जिले में 751 ग्रामीण एवं 79 शहरी क्षेत्र के आँगन-बाड़ी केन्द्र संचालित है जहां महिलाओं एवं बच्चों को लाभ प्राप्त हो रहा है।

(ब) डी.पी.ई.पी.

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण, शत-प्रतिशत ठहराव एवं शत-प्रतिशत गुणवत्ता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए विश्व बैंक, भारत सरकार एवं राज्य के आर्थिक सहयोग से यह योजना संचालित की गई है। जिले के सभी विकास खण्डों में यह योजना संचालित हैं। इस योजना के निम्नांकित लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं :

- शत-प्रतिशत नामांकन
- शत-प्रतिशत ठहराव
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षण
- संस्थागत क्षमताओं का विकास

अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम जिले में 2001 से संचालित हैं।

नामांकन एवं ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए परियोजना में ग्राम स्तर पर जनसम्पर्क, बाल मेलों एवं महिला बैठकों का आयोजन किया गया है। प्रत्येक विद्यालय के शाला प्रबन्धन समितियों का गठन किया गया है जो गांव के शैक्षिक विकास में अग्रसर है। शिक्षण को रोचक व आनन्ददायी बनाने हेतू प्राथमिक कक्षाओं के समस्त अध्यापकों को प्रेरण एवं विषयगत प्रशिक्षण दिए गए हैं। विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं बढ़ाने के लिए सिविल कार्य का प्रावधान है जिसके अन्तर्गत भवन विहीन विद्यालयों के लिए नये भवन, अतिरिक्त कक्षा-कक्षों का निर्माण एवं नल सुविधा इत्यादि मुहैया करवाया जाता है। विद्यालयों में शैक्षिक सम्बलन के लिए संकुल एवं खण्ड स्तर संदर्भ केन्द्रों की स्थापना की गई है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम एक बहुआयामी व बहुउद्देषीय कार्यक्रम है जिसके प्रादुर्भाव से नामांकन एवं ठहराव में तीव्र प्रगति हुई है।

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए परियोजना में वैकल्पिक विद्यालयों, मदरसों एवं पूर्व प्राथमिक षिक्षा केन्द्रों की स्थापना किये जाने का प्रावधान है।

(स) अन्य शैक्षिक योजनाये

(क) राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम (मध्याह्न भोजन योजना)

राष्ट्रीय पोशाहार सहायता कार्यक्रम में भारत सरकार द्वारा सभी सरकारी/अर्द्धसरकारी/अनुदानित/स्वायतष्शासी संस्थाओं द्वारा संचालित प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों एवं राजीव गांधी पाठष्शालाओं में कक्षा 1 से 5 तक अध्ययनरत विद्याथियों के लिए निःशुल्क मध्याव्ह भोजन उपलब्ध कराया जाता है।

उद्देश्य

इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, प्राथमिक कक्षाओं में नामांकन वृद्धि करना, विद्यार्थियों को स्कूल में ठहराव सुनिश्चित करना तथा विद्यार्थियों को पोष्टिक आहार उपलब्ध कराना हैं।

सम्पर्क अधिकारी

प्रधानाध्यापक-प्राथमिक विद्यालय, खण्ड शिक्षा अधिकारी, पंचायत समिति, विकास अधिकारी पंचायत समिति, अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिशद्, जिला कलक्टर, निदेशक पंचायती राज विभाग।

******

अध्याय-3

योजना निर्माण

3.1 भूमिका

शैक्षिक कार्यक्रमों/अभियानों को सफल बनाने एवं पूर्ण परिणाम प्राप्त करने के लिए उसकी सुविचारीत योजना बना लेना आवश्यक हैं। योजना बनाते समय उद्देश्यों को दृष्टिगत रखना आवश्यक है । कार्यक्रम/अभियान के विभिन्न उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए कौन-कौन से वित्तीय भौतिक एवं मानवीय संसाधनों की आवश्यकता होगी? वे कहाँ से प्राप्त होगें? तथा कार्यक्रम के विभिन्न चरण तथा उनकी रणनीति का स्पष्ट वर्णन योजना में किया जाता है।

3.2 योजना समिति का गठन

योजना का निर्माण में जानभागीदारी चाहिए ताकि समाज के सभी वर्गो के हितों को योजना में पर्याप्त स्थान दिया जा सकें । योजना निर्माण हेतु विद्यालय, ब्लॉक व जिला स्तर पर योजना समिति का गठन किया जायेगा । विभिन्न स्तरों पर योजना समिति नियमानुसार होगी ।

जिला स्तर पर

- जिला प्रमुख
- जिला परिषद की शिक्षा समिति का सदस्य
- जिला कलक्टर
- परियोजना निदेशक, विकास
- अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
- जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारं.),
- जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
- जिला परियोजना समन्वयक (डी.पी.ई.पी.)

- सेवानिवृत शिक्षाविद (2)
- मुख्य चिकित्सा अधिकारी
- आई.पी.एफ. अधिकारी

इस समिति ने 6.11.2001 से "शिक्षा आपके द्वार" जो सर्वशिक्षा अभियान का एक भाग है, विभिन्न समस्याओ के बारे में व्यूह रचना तय की गई। इस समिति ने राज्य स्तर से प्राप्त निर्देशों के अनुसार जिले में संचालित विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित करते हुए योजना का निर्माण किया।

ब्लॉक स्तर पर

जिले की विभिन्न पंचायत समितियों पर इन समितियों का गठन किया गया जिनके द्वारा इस अभियान के अन्तर्गत आई हुई विभिन्न समस्याओं एवं मुद्दों पर कार्यशालाएँ आयोजित की गई। इस समिति में निम्न सदस्य है -

- प्रधान अध्यक्ष
- विकास अधिकारी - पं.स.
- पंचायत समिति की शिक्षा समिति के दो सदस्य
- ब्लॉक सन्दर्भ केन्द्र प्रभारी डी.पी.ई.पी.
- प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय
- विशेष आगन्तुक
- सी.डी.पी.ओ.
- ब्लॉक स्तरीय चिकित्सा अधिकारी
- सेवानिवृत अध्यापक

ब्लॉक स्तरीय समितियां निम्न कार्य करेगी :-

- अभियान का क्रियान्वयन एवं प्रगति का प्रबंधन एवं व्यूह रचना एवं गतिविधियों का विश्लेषण ।
- ब्लाक को संकुलों में अभियान के सुचारू रुप से क्रियाव्वन हेतु बांटना।
- आवश्यकता आधारित नियोजन का यथावत क्रियान्वन।
- आंकड़ो एवं सूचनाओं का एकत्रीकरण।

- ◆ चिकित्सा विभाग के सहयोग से ब्लॉक के विद्यालयों में बच्चों के लिए स्वास्थ शिविरों का आयोजन।

ग्राम स्तर पर (पंचायत स्तर)

ग्राम समिति के निम्न सदस्य है -

- ➢ सरपंच
- ➢ वार्ड सदस्य - 5 (1 अ.जा.,1 ज.जा., 1 महिला,2 अन्यं)
- ➢ ग्राम सेवक
- ➢ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
- ➢ अध्यापक - 2 (प्र.अ.,प्रा.वि. द्वारा मनोनित)
- ➢ अभिभावक/संरक्षक -2 (प्र.अ.,उ.प्रा.वि. द्वारा मनोनित)
- ➢ विशेष आगन्तुक
- ➢ ए.एन.एम.
- ➢ सेवानिवृत कर्मचारी
- ➢ प्र.अ., उ.प्रा.वि.

इस समिति के निम्न उद्देश्य है

- ◆ "शिक्षा आपके द्वार" योजना के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के उत्तरदायित्व पूर्ण निर्वहन।
- ◆ ग्राम समिति द्वारा बैठको का आयोजन।
- ◆ समस्त वर्गो एवं जातियो की सहभागिता सुनिश्चित करना।
- ◆ समिति द्वारा विभिन्न षैक्षिक योजनाओं यथा वैकल्पिक विद्यालय, रा.गा.पा.स्व.ज. पा., आंगनवाड़ी, पैराटीचर, शिक्षामित्र योजना के बारे में उनका कर्तव्य एवं अधिकारों के बारे में बताना।
- ◆ समिति द्वारा विद्यालयों की सहभागिता से निर्मित योजना के बारे में जानकारी देना।

डी.पी.ई.पी. द्वारा समस्त विद्यालयों हेतु शाला प्रबंधन समितियों का गठन किया जा चुका है जिनका योजना निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका रही।

3.3 कोर टीम का गठन

जिले में पूरी योजना को संचालित करने के लिये एक कोर टीम होगी जिसमें निम्न सदस्य होगें।

1. जिला परियोजना समन्वयक
2. सहायक जिला परियोजना समन्वयक प्रभारी
3. समस्त खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी
4. संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी(हनुमानगढ़ से 2, नोहर 2, भादरा 1)

3.4 विभिन्न स्तर पर बैठको का आयोजन एवं उपस्थित रिर्पोट

सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्यों एवं प्रमुख बिन्दुओ पर चर्चा हेतु आयोजित बैठकों का विवरण

क्रम	दिनांक	स्थल	सम्भागियो की संख्या	सम्भागियो का विवरण	उठाये गये मुद्दे	आमंत्रित सुझाव
1	28.08.02	ब्लॉक भादरा	32	प्रधान पंचायत समिति भादरा,ग्राम सरपंच,अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति,ग्राम सचिव, प्र.अ.,अध्यापक एवं सीआरसीएफ, ग्रामवासी	ग्राम के शैक्षिक वातावरण एवं मुलभुत सुविधायें तथा भावी आवश्यकतायें	प्राथमिक वि. में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण,छात्रा विद्यालय में अतिरिक्त अध्यापक,प्राथमिक विद्यालय में शौचालय निर्माण, ब्रिज कोर्स प्रारम्भ करना, स्टेडियम खेल मैदान बनवाना,
2	29.08.02	ब्लॉक भादरा	24	सरपंच,पंच,अध्यक्ष ग्राम शिक्षा समिति,ग्राम सचिव, प्र.अ.,अध्यापक एवं सीआरसीएफ, ग्रामवासी	ग्राम नामांकन एवं ठहराव बढाने बाबत विचार विमर्श	रा.उ.प्रा.वि. में अध्यापकों की संख्या बढ़ाना, अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण, कमरों की मरम्मत, आंगनबाड़ी केन्द्र खोलना,शौचालय निर्माण करवाना

3	30.08.02	बहलोल नगर, हनुमानगढ़	58	प्र.अ.,अ. सरपंच,जनप्रतिनिधिएवं ग्राम वासी	ग्राम का शैक्षिक वातावरण,स्थिति,छात्रा शिक्षा की मुलभूत आवश्यकताये नामांकन एवं ठहराव एवं शैक्षिक आवश्यकतायें	प्राथमिक वि. में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण,छात्रा शौचालय एवं पेशाबघर का निर्माण करवाना एवं खेल मैदान में पानी की व्यवस्था करवाना
4	03.09.02	कालीबंगा हनुमानगढ़	68	जनप्रतिनिधि,प्र.अ.,अ.,ग्राम रविद,पटवारी हल्का,सीआरसीएफ एवं ग्रामवासी	ग्राम की शैक्षिक स्थिति एवं विद्यालय में नामांकन,ठहराव तथा शैक्षिक बाधायें	उ.पा.वि. को क्रमोन्नत करवाना, राजीव गांधी विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण करवाना, आंगनबाड़ी केन्द्र को खोलना, पीने का पानी एवं शौचालय का निर्माण करवाना
5	03.09.02	26 एसएसडब्लयु हनुमानगढ़	42	पंच,पत्रकार,प्र.अ. ,अध्यापक,जन प्रतिनिधि,ग्रामवासी,सीआर सीएफ	ग्राम की शैक्षिक स्थिति, सभी को शिक्षा के लिये प्रयास	पीने के पानी की व्यवस्था, बिजली व्यवस्था करना, अतिरिक्त अध्यापक की नियुक्ति करना क्योंकि एकल अध्यापक कार्यरत है। विद्यालय की चारदीवारी का निर्माण करवाना
6	4.09.02	पल्लीका नोहर	43	सरपंच,पंच,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,सीआरसीएफ,ग्रा मवासी	विद्यालय व्यवस्था, आंगनबाड़ी व्यवस्था,नामांकन,छात्रा शिक्षा, विद्यालय भवन में भौतिक सुविधाओ पर विचार	प्रा.वि. में अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण, बच्चो के पीने के पानी का हौज, अतिरिक्त अध्यापक की आवश्यकता, विद्यालय भवन की मरम्मत व रंग हेतु
7	4.09.02	दीपलाना नोहर	21	सरपंच,पंच,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,सीआरसीएफ,ग्रा मवासी	विद्यालय व्यवस्था, आंगनबाड़ी व्यवस्था,नामांकन,छात्रा शिक्षा, विद्यालय भवन में भौतिक सुविधाओ पर विचार	छात्राओ के लिये दो शोचालय निर्माण करवाना, प्राथमिक विद्यालय को क्रमोन्नत करवाना, बड़ी उम्र की बालिकाओ को अनौपचारिक शिक्षा से जोड़ना,
8	4.09.02	रामसरा नोहर	100	सरपंच,पंच,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,सीआरसीएफ,ग्रा मवासी	विद्यालय व्यवस्था, आंगनबाड़ी व्यवस्था,नामांकन,छात्रा शिक्षा, विद्यालय भवन	पीने के पानी की हौज, अधुरी चारदिवारी को पूरा करना व मुख्य दरवाजा निर्माण करना। शौचालय निर्माण छात्र-छात्रा,

					में भौतिक सुविधाओ पर विचार	विद्यालय भवन नीची जगह होने के कारण उसका भराव करना।
9	4.09.02	रामगढ़ नोहर	52	सरपंच,पंच,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,सीआरसीएफ,ग्रामवासी,एसएमसी सदस्य	विद्यालय व्यवस्था, आंगनबाड़ी व्यवस्था,नामांकन,ठहराव ,छात्रा शिक्षा, विद्यालय भवन में भौतिक सुविधाओ पर विचार	विद्यालय में दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण करवाना, चार दिवारी एवं मुख्य दरवाजा बनवाना, छत का मरम्मत कार्य करना, पानी की टंकी का निर्माण करना, बिजली बिल का भुगतान करना।
10	4.09.02	10 डी पी एन नोहर	23	सरपंच,पंच,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,सीआरसीएफ,ग्रामवासी,एसएमसी सदस्य,पीएचइडी सहायक	विद्यालय व्यवस्था, आंगनबाड़ी व्यवस्था,नामांकन,ठहराव ,छात्रा शिक्षा, विद्यालय भवन में भौतिक सुविधाओ पर विचार	गैरालय छात्र छात्रा का निर्माण करवाना, अधुरी चार दिवारी पुरी करवाना, क्षतीग्रस्त 3 कक्षा कक्ष पुनः बनवाने, खिड़की दरवाजे एवं मरम्मत कार्य
11	4.09.02	प्रेमपुरा नोहर	17	उप सरपंच, पंच, अध्यापक, ग्रामीण	विद्यालय व्यवस्था, आंगनबाड़ी व्यवस्था,नामांकन,ठहराव ,छात्रा शिक्षा, विद्यालय भवन में भौतिक सुविधाओ पर विचार	विद्यालय भवन की 1240 फुट की चारदिवारी का निर्माण करवाना, शौचालय का निर्माण करवाना, पानी का कनैक्शन व हौज निर्माण, अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण करवाना।
12	4.09.02	किकरली नोहर	34	पंच,पत्रकार,प्र.अ. ,अध्यापक,आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,जन प्रतिनिधि,ग्रामवासी,सीआर सीएफ	विद्यालय व्यवस्था, आंगनबाड़ी व्यवस्था,नामांकन,ठहराव ,छात्रा शिक्षा, विद्यालय भवन में भौतिक सुविधाओ पर विचार	विद्यालय में दो अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण करवाना, पाइप लाईन से कनैक्शन, शौचालय छात्र-छात्रा मुख्य द्वार, बिजली की व्यवस्था।
13	4.09.02	सोनड़ी नोहर	25	पंच, अध्यापक, आंगनबाड़ी, एस एम सी सदस्य, ग्रामीण	विद्यालय व्यवस्था, आंगनबाड़ीव्यवस्था,नामांकन,ठहराव,छात्रा शिक्षा, विद्यालय भवनमेभौतिकसुविधाओ पर विचार	चार दिवारी की लम्बाई 1300 फुट का निर्माण करना, विद्यालय में कक्षा कक्ष का निर्माण, शौचालय छात्र छात्रा का निर्माण करना, मुख्य द्वार का निर्माण, अध्यापको की आवश्यकता

14	26.08.02	दौलेवालाबास नोहर	11	पंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापक, ग्रामवासी	विद्यालय व्यवस्था, नामांकन, छात्रा शिक्षा, विद्यालय भवन में भौतिक सुविधायें	शौचालय निर्माण छात्र छात्राओ के लिये पृथक-पृथक
15	30.08.02	दलपतपुरा नोहर	11	उपपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापक, ग्रामवासी	विद्यालय व्यवस्था, नामांकन, छात्रा शिक्षा, विद्यालय भवन में भौतिक सुविधायें	शौचालय निर्माण एवं चार दिवारी का निर्माण करवाना।
16	4.09.02	गन्धेली नोहर	29	वार्डपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापक, ग्रामवासी	विद्यालय व्यवस्था, नामांकन, छात्रा शिक्षा, विद्यालय भवन में भौतिक सुविधायें	दो कक्षा कक्षो का निर्माण करवाना, अतिरिक्त अध्यापक को रखना, पीने के पानी की व्यवस्था करना, विद्यालय में चारदिवारी का निर्माण करवाना
17	4.09.02	34 आर डब्ल्यु डी नोहर	17	वार्डपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापक, ग्रामवासी,एस एम सी सदस्य एवं बीएनएस सदस्य	विद्यालय व्यवस्था, नामांकन, छात्रा शिक्षा, विद्यालय भवन में भौतिक सुविधायें	विद्यालय में मेज कुर्सी व अन्य सामान हेतु, विद्यालय को क्रमोन्नत करवाना, एक अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण करवाना, चाद दिवारी का निर्माण करवाना
18	4.09.02	नेहरा वाली ढाणी नोहर	35	वार्डपंच, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापक, ग्रामवासी,एस एम सी सदस्य एवं बीएनएस सदस्य	विद्यालय व्यवस्था, नामांकन, छात्रा शिक्षा, विद्यालय भवन में भौतिक सुविधायें	शौचालय निर्माण, कमरा निर्माण, हैण्डपम्प, चारदिवारी का निर्माण, मेनगेट का निर्माण
19	4.09.02	ललाना नोहर	39	सरपंच, ग्रामसेवक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अध्यापक, ग्रामवासी,एस एम सी सदस्य एवं बीएनएस सदस्य	गांव की शैक्षिक स्थिति पर, छात्रा शिक्षा पर, अनौपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा, अध्यापको की स्थिति, विद्यालय स्तर	विद्यालय भवन की मरम्मत, विद्यालय की चारदिवारी, छात्र छात्रा का शौचालय, पीने के पानी हेतु कनैक्शन, विद्युत कनैक्शसन, बालिकाओ का उच्च प्राथमिक विद्यालय, विद्यालय का मुख्य द्वार
20	4.09.02	करेती नोहर	41	वार्डपंच, स्वास्थय कार्यकर्ता ग्रामसेवक , अध्यापक, ग्रामवासी,एस एम सी सदस्य एवं बीएनएस सदस्य	गांव की शैक्षिक स्थिति पर, छात्रा शिक्षा पर, अनौपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा, अध्यापको की स्थिति,	प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नत करवाना, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, भवन की मरम्मत, विद्युत कनैक्शन, छात्र छात्रा व अध्यापको का

					विद्यालय स्तर	पैशाबघर
21	4.09.02	खरसंडी नोहर	14	सरपंच, पंच, सेवानिवृत्त अध्यापक, एसएमसी सदस्य, ग्रामवासी	गांव की शैक्षिक स्थिति पर, छात्रा शिक्षा पर, अनौपचारिक एवं वैकल्पिक शिक्षा, अध्यापकों की स्थिति, विद्यालय स्तर	अतिरिक्त कक्षा कक्ष का निर्माण, अतिरिक्त शिक्षा सहयोगी, चार दिवारी का निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था, शौचालय छात्र छात्रा
22	4.09.02	सरदारपुराबा स नोहर	17	वार्ड पार्षद, अध्यापक, एस एम सी सदस्य, भुतपुर्व सरपंच	विद्यालय व्यवस्था,नामांकन, छात्रा शिक्षा विद्यालय भवन में भौतिक सुविधाओं पर विचार	दरवाजा मय चौखट, खिड़किया, चारदिवारी निर्माण, बरामदा निर्माण

3.5 (अ) शिक्षा आपके द्वार

शिक्षा आपके द्वार के अन्तर्गत शिक्षा दर्पण सर्वे 2002 करवाया गया। शिक्षा दर्पण सर्वे 2002 के अनुसार जिलें में 6-14 आयु वर्ग के कुल 278402 बालक बालिकाये है। जिनमें से 6से 11 आयुवर्ग के बालक बालिकाओ की संख्या 165049 एवं 6-14 आयुवर्ग के बालक बालिकाओं की संख्या 113353 है। 6-14 आयुवर्ग के 113353 बालक बालिकाओं में से कुल 3688 (1548 बालक, 2140 बालिकाये) अनामांकित है इसी प्रकार 6-11 आयुवर्ग के 165049 बालक बालिकाओ में से 7214 बच्चे (3067 बालक, 4147 बालिकायें) अनामांकित है।

15 अगस्त 2002 को प्रत्येक गांव में ग्राम सभा का आयोजन किया गया जिसमें शैक्षणिक गतिविधियों पर भी चर्चा की गई। जिसमें "शिक्षा आपके द्वार" सर्वे के आधार पर अधिकतर बच्चों के नामांकन करवा दिया गया बताया। कुछ अन्य समस्याओं पर भी चर्चा की गई जिनके लिए जिला स्तर पर निराकरण के प्रयास डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत प्रारम्भ कर दिये गये हैं।

(ब) प्रशासन गांव/शहरों के संग

राजस्थान सरकार के द्वारा प्रशासन गांवों के संग / प्रशासन शहरों के संग अभियान प्रत्येक जिले में चलाया गया उसी कार्यक्रम के अनुसार इस जिले में भी ये दोनों अभियान चलाये गये जिसमें शिक्षा विभाग की और से एक प्रभारी अधिकारी कैम्प स्थल पर बराबर उपस्थित रहे। और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी सम्बन्धित गांव / शहर की चर्चा मोके पर ही की गई। उनका निराकरण डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत किया गया। जिसके अनुसार जिले के जरुरत वाले विद्यालयों में कक्षा कक्ष का निर्माण, शाचालय निर्माण, पीने के पानी की व्यवस्था एवं मरम्मत सम्बन्धित प्रस्ताव प्राप्त किये गये। जिसके अनुसार डी. पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत इन सिविल कार्यो की कुछ स्वीकृतियां जारी की जा चुकी हैं एवं कुछ स्वीकृतियां जारी करने की प्रकिया में हैं। प्रशासन शहरों के संग अभियान के अन्तर्गत ऐसे स्थानों की भी चर्चा की गई जहाँ शैक्षिक सुविधाओं का अभाव है। उन स्थानों के लिए जिले के कुछ शहरों में राजीव गाँधी पाठशालाएं प्रस्तावित की गई, जिन्हें खोलने की स्वीकृति राज्य सरकार के आदेशानुसार जिला कलेक्टर द्वारा दी जा चुकी है।

3.6 आधारभूत सर्वे (Base Line Achievement Survey)

आधारभूत सर्वे प्राथमिक स्तर तक डी.पी.ई.पी योजना के अन्तर्गत राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा कर लिया गया था इसके अन्तर्गत कक्षा 2 से 5 तक के छात्रो का भाषा एवं गणित में आधारभूत सर्वे किया गया। इस आधारभूत सर्वे के आधार पर छात्रो की उपलब्धि शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में अध्ययनरत बालिकाओ को निम्नांकित सारणी में प्रस्तुत है।

Gender wise and area wise mean achievement of class-II students in language

Gender	Rural			Urban			Total			*CR value
	N	Mean	SD	N	Mean	SD	N	Mean	SD	
Boys	225	11.7	5.47	57	9.65	5.16	312	11.33	5.47	2.68
Girls	228	11.98	5.27	67	9.48	6.78	355	11.51	5.66	2.83
Total	543	11.85	5.36	124	9.56	6.07	667	11.42	5.57	3.88

** CR Value		0.61			0.16			0.42	

indicates that CR value is significant at 0.05 level

**indicates that CR value is significant at 0.01 level

इस सर्वेक्षण के द्वारा क्षेत्रवार एवं लिगांनुसार सर्वेक्षण से उपलब्धि कक्षा 2 की बालिकाओं का शहरी बालिकाओं की अपेक्षा ग्रामीण बालिकाओं की उपलब्धि अधिक रही है। ग्रामीण क्षेत्र के बालको ने भी शहरी क्षेत्र के बालकों की अपेक्षा उपलब्धि अच्छी रही ।

Gender wise and Category wise mean achievement of class-II students in language

Gender	SC			ST			Others			Total			* CR value	** CR value
	N	Mean	SD	N	Mean	SD	N	Mean	SD	N	Mean	SD		
Boys	117	11.67	5.8	29	10.59	5.64	166	11.22	5.21	312	11.33	5.47	0.67	0.56
Girls	111	11.14	5.69	41	11.54	5.42	203	11.71	5.71	355	11.51	5.66	0.85	0.18
Total	228	11.41	5.74	70	11.4	5.49	369	11.49	5.49	667	11.42	5.57	0.17	0.48

* indicates that CR value is significant at 0.05 level

**indicates that CR value is significant at 0.01 level

इस सारणी से यह ज्ञात होता है कि अनुसुचित जाति के बालकों ने अनुसुचित जनजाति के बालकों की अपेक्षा उपलब्धि अधिक रही है। लेकिन अन्य वर्ग की छात्राओ की उपलब्धि अधिक रही है। लेकिन अन्य वर्ग की छात्राओं की उपलब्धि अनुसुचित जाति एवं अनुसुचित जाति की बालिकाओं से अधिक रही है।

Area wise and Cctegory wise mean achievement of class-II students in language

Gender	SC			ST			Others			Total			* CR value	** CR value
	N	Mean	SD	N	Mean	SD	N	Mean	SD	N	Mean	SD		
Rural	188	11.69	5.46	65	11.15	5.58	290	12.11	5.25	543	11.85	5.36	0.85	1.27
Urban	40	10.1	6.82	5	11	4.64	79	9.19	5.76	124	9.56	6.07	0.72	0.83
Total	228	11.41	5.74	70	11.14	5.49	369	11.49	5.49	667	11.42	5.57	0.17	0.48

indicates that CR value is significant at 0.05 level

**indicates that CR value is significant at 0.01 level

सारणी अध्ययन से स्पष्ट होता है कि जिले के अन्य वर्ग के बालक बालिकाओं ने शहरी क्षेत्र की अपेक्ष ग्रामीण बालिकाओ की उपलब्धि भाषा के क्षेत्र में अधिक रही है। ग्रामीण क्षेत्र के अनुसूचित जाति के बालको की उपलब्धि शहरी क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के बालको की अपेक्षा अच्छी रही है।

Gender wise and area wise mean achievement of class-II students in Mathematics

Gender	Rural			Urban			Total			*CR value
	N	Mean	SD	N	Mean	SD	N	Mean	SD	
Boys	225	13.77	5.33	57	13.35	5.32	312	13.7	5.32	0.54
Girls	228	13	5.16	67	13.22	4.67	355	13.04	5.07	0.35
Total	543	13.36	5.25	124	13.28	4.96	667	13.35	5.19	0.16
** CR Value			1.71			0.14			1.62	

* indicates that CR value is significant at 0.05 level

**indicates that CR value is significant at 0.01 level

हनुमानगढ़ जिले के गणित विषय में उपलब्धि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में लगभग समान रही है।

Genderwise and Category wise mean achievement of class-II students in mathematics

Gender	SC			ST			Others			Total			* CR value	** CR value
	N	Mean	SD	N	Mean	SD	N	Mean	SD	N	Mean	SD		
Boys	117	13.95	5.27	29	12.66	5.35	166	13.7	5.36	312	13.7	5.32	0.39	0.96
Girls	111	13.15	5.16	41	11.66	4.94	203	13.26	5.02	355	13.04	5.07	0.18	1.89
Total	228	13.56	5.22	70	12.07	5.1	369	13.46	5.17	667	13.35	5.19	0.24	2.08

* indicates that CR value is significant at 0.05 level

**indicates that CR value is significant at 0.01 level

गणित विषय में किये गये कक्षा 2 के सर्वेक्षणानुसार सभी वर्ग के बालकों की उपलब्धि सभी वर्ग की बालिकाओं से अच्छी है। उपलब्धि स्तर में कोई बहुत अधिक अन्तर नही है।

3.7 सामाजिक सर्वेक्षण अध्ययन (Sosial Achievement Survey)

जिले का सामाजिक सर्वेक्षण ' इन्डियन इन्सटीट्यूट ऑफ रुरल डेवलेपमेन्ट जयपुर' द्वारा डी.पी.ई.पी योजना के अन्तर्गत किया गया था। जिले में 55 प्राथमिक विद्यालय है। उनके अध्ययन के आधार पर जिले की जो रिर्पोट तैयार की गई है। उसके अनुसार

- विद्यालओं में अध्ययन -अध्यापन सामग्री की कमी है।
- जिले के 10 विधालयों का एक सैम्पल सर्वे किया गया जिसमें विद्यालय ठहराव दर केवल 19 प्रतिशत पायी गयी जो कि बहुत ही न्युन है।
- अध्यापक छात्र अनुपात ज्ञात करने के लिये एक सैम्पल सर्वे किया गया जिसके अनुसार 1:46 पाया गया।
- दलित एवं पिछड़े वर्ग जैसे नायक, भाट, धाणक, मेघववाल, रेगर, चमार, लोहार, सिकलीगर, बंजारा, कयामखानी मुस्लिम, बाजीगर वर्ग में शिक्षा की बहुत कमी है। इन सबके पिदे समाज में कमजोर आर्थिक स्थिति, पलायनवादी प्रवृति, बालविवाह, पर्दाप्रथा आदि के कारण ये लोग शिक्षा से नही जुड़ पा रहे है।

इस सर्वे के आधार पर डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत 6-14 आयुवर्ग के बच्चो का सर्वेक्षण कर शिक्षा से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया इस प्रयास के द्वारा पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक एवं दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोगो का जुड़ाव शिक्षा के प्रति पाया गया और इस वर्ग के काफी बच्चो को शिक्षा से जोड़कर इस महत्वपूर्ण कार्य को अंजाम दिया गया।

3.8 समस्यायें एवं मुख्य मुद्दे (Problem and Issues)

पिछले दशक में जिले की साक्षरता दर बहुत कम थी, ग्रामीण जनसंख्या का प्रमुख व्यवसाय कृषि था । शहरी जनसंख्या विशेष तौर से व्यापार तथा सरकारी एवं गैर सरकारी कार्यालयों/प्रतिष्ठानों से जुड़ी हुई थी, जिलें की लगभग 20 प्रतिशत आबादी (बच्चों को सम्मिलित करते हुये) श्रमिक वर्ग की थी, गॉवों में महिलाये घरेलु, कार्यो से जुड़ी हुई थी श्रमिक एवं कृषक संवर्ग के लोग अपने बच्चों कि शिक्षा के प्रति कम जागरुक थे ।

(क) शिक्षात्मक पहुँच (Educational Access)

अभिभावकों में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागरुकता न होने से वह बच्चों को विद्यालय में प्रवेश व शिक्षा से जोड़ने में रूचि नहीं रखते थे, इस समस्या का गॉवों में विशेष रूप से सामना करना पड़ता है ।

(अ) निरक्षरता एवं अभिभावकों की अज्ञानता

माता-पिता के निरक्षर व शिक्षा का ज्ञान न होने के कारण वे अपने बच्चों को शिक्षा दिलाने की आवश्यकता नहीं समझते फलस्वरूप जिले के कई विद्यालय जाने योग्य बालक विद्यालयों में प्रवेश से वंचित रह जाते है ।

(ब) शिक्षा की अनुपयोगिता

अभिभावकों में ऐसी भ्रांत धारणा है कि शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात भी युवक युवतियों को नौकरी के लिये दर-दर भटकना पड़ता है, इस भ्रांतिपूर्ण विचारधारा के कारण वह अपने बच्चों को शिक्षा से जोड़ने में हिचकते है ।

(स) नामांकन

पहुँच के बाद जो सबसे बड़ी दूसरी समस्या है, वो है जो बच्चे विधालय तक नही पहँच पा रहे है, उनको विद्यालय तक पहुँचाना व विद्यालय में उनका नामांकन करवाना है। नामांकन सम्बन्धी निम्न प्रकार की समस्यायें है।

(अ)विद्यालयों में सुविधाओं की कमी

कुछ विद्यालय भवन विहीन है तथा कुछ विद्यालय किरायें के भवनों में चल रहे है इसलिये अधिकांश विद्यालयों में मूलभूत सुविधायें नहीं है, वर्षा ऋतु में विद्यालय भवनों में पानी टपकता है तथा कुछ विद्यालय खिड़की व दरवाजों का भी अभाव है ।

(ब) विद्यालय भवन की स्थिति

कुछ विद्यालय भवन सड़क के किनारे स्थित होने के कारण दुर्घटना का अंदेशा बना रहने के कारण भी अभिभावक बालकों को स्कूल नहीं भेजते है ।

शिक्षक की रूचि एवं ज्ञान का अभाव भी बच्चों को विद्यालय आने के लिये भी आकर्षित नहीं करता है ।

(स) मवेशियों का चराना

6-14 वर्ष के अधिकांश बच्चे दिन में अपने पालतु मवेशियों को चराने का काम करते है ।

(द) घरेलु कार्य

6-14 आयु वर्ग के बालक (विशेषतया बालिकायें) गृह कार्य मे व्यस्त रहते है ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकायें अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करने के कारण विद्यालय नहीं जाते है ।

(य) गरीबी

गरीबी भी एक मुख्य कारण है जिससे बालक बालिका शिक्षा से जुड़ने से वंचित रह जाते है गरीबी के कारण 6-14 वर्ष के बालक परिवार की आय बढ़ाने के उद्देश्य से श्रमिक के रूप में कार्य करने लगते है।

(र) जेण्डर संवेदनशीलता

समाज में बालिकाओं की शिक्षा को अधिक महत्व नहीं दिया जाता है अतः बालिका को बालक अपेक्षा परिवार में भी कम महत्व दिया जाता है । बालिका को दूसरे परिवार की धरोहर समझा जाता है अतः बालिका शिक्षा पर किये गये व्यय को व्यर्थ माना जाता है ।

(ल) बाल विवाह

कुछ समुदायो में बाल विवाह की प्रथा आज भी प्रचलित है जिसके कारण भी 6-14 वर्ष के बालक बालिका शिक्षा ग्रहण नहीं करवाते है।

(व) शिक्षण संस्थाओं का अभाव

हनुमानगढ़ जिले के 257 गॉवों में विद्यालय ही नहीं है, इन गॉवों में बालको को वर्षा ऋतु में भी शिक्षा ग्रहण करने के लिये पड़ोसी गॉवों में जाना पड़ता है जो न्याय सम्मत नहीं है ।

(ग) ठहराव

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की दिशा में नामांकन के बाद तीसरी आवश्यकता ठहराव की है । सामान्यतया जुलाई अगस्त माह में वातावरण की गतिविधियों के कारण अधिकांश बालक विद्यालय में प्रवेश ले लेते है परन्तु कुछ महिनो अथवा दिनों के बाद विद्यालय विभिन्न कारणों (यथा विद्यालय में सुविधाओं का अभाव, अनाकर्षक वातावरण आदी के कारण व पलायन आदि) से विद्यालय छोड़ देते है । इन समस्याओ के निम्न कारण है।

(अ) घरेलु कार्य(House hold work)

जिला कृषि प्रधान होने के कारण अधिकतर लोग अपनी घरेलु खेती के कार्य से जुड़े होते है और कार्य की अधिकता होने के कारण वे अपने बालको को दोपहर के समय भी भोजन के लिये बुला लेते है। विशेष रुप से घरेलु कार्य करने के लिये बुलवा लिया जाता है। इस प्रवृति के कारण बालक विद्यालय से विमुख हो जाते है। ऐसे बालको का ठहराव विद्यालय में सुनिश्चित नही होता है।

(ब) कक्षा कक्षो में बच्चो की अधिकता(Over crowded class rooms)

अधिकतर बच्चो का नामांकन राजकीय विद्यालयो मे होता है। जहां कक्षा कक्षो की कमी के कारण एक कमरे में 50-60 बालक बैठते है। जिसके कारण बालको को बैठने के लिये उपयुक्त स्थान नही मिलता है। इस प्रकार बालको की अधिकता के कारण बैठने के स्थानाभाव में बालक निरसता महसुस करते है। विद्यालय में मन न लगने के कारण वहा से पलायन कर जाते है।

(स) छोटे बच्चो की देखभाल(Sibling care)

शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में जो परिवार मजदूरी आदि पर जाते है। वे अपने छोटे बच्चो की देशभाल के लिये अपने विद्यालय जाने वाले आयु वर्ग के बालको को उनकी

देशभाल के लिये छोड़ जाते है जिससे ऐसे बच्चे अपनी प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करने से पहले ही विद्यालय छोड़कर चले जाते है।

(द) महिला शिक्षको की कमी(**Lack of female teachers**)

जिले के ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक पाठशालाओ में महिला अध्यापको की कमी के कारण बालिकाये विद्यालय में नही जुड़ पाती है।

(घ) शिक्षा की गुणवत्ता

छात्र को विद्यालय में घर जैसा तथा आकर्षक वातावरण मिलना चाहिये परन्तु प्राथमिक विद्यालयों में वस्तु स्थिति इसके विपरीत है, बच्चों के विद्यालय में ठहराव न होने के कारणो में शिक्षा के गुणवत्ता सम्बन्धि निम्नलिखित कारण भी जिम्मेदार है।

(अ)भाषा की समस्या (Language problem)

जिला पंजाबी भाषी होने के कारण बालक विद्यालय में बोले जाने वाली कठिन शब्दो की पूर्ण रुप से नही समझ पाते है, जिसके कारण अध्ययन एवं अध्यापन में इनकी रुचि पैदा नही हो पाती है।

(ब) आनन्दायी शिक्षा की कमी (Absence of Joyful Learning)

विद्यालयो में आनन्दायी शिक्षा का अभाव होने के कारण बालक विद्यालयो में पढ़ाये जाने वाली पौराणिक विधि मे रुचि नही लेते और न ही अध्यापक किसी प्रकार की रुचि लेते है। वे केवल मात्र तोतारट्न में ही विश्वास करते है। जिसके कारण बालक विद्यालय की ओर आकर्षित नही हो पाते है।

(स) शैक्षणिक वातावरण की कमी (Poor Academic Enviornment)

जिला कृषि प्रधान होने के कारण एवं कार्य की अधिकता के कारण अभिभावक बालको की शिक्षा में कोई रुचि नही रखते और न ही अध्यापक अध्ययन अध्यापन में रुचि रखते है। इसलिये विद्यालय में शैक्षिक वातावरण नही बन पाता है।

(च) संस्थागत संस्थाओ सम्बन्धी समस्था

संस्थागत संस्थाओ सम्बन्धी प्रकार की समस्यायें है। जो कि नामांकन, ठहराव में बाधा उत्पन करती है।

(d)खण्ड स्तर पर शैक्षिक स्टाफ की कमी(Lack of adequate staff at block level)

ब्लॉक स्तर पर इस प्रकार की कोई संस्था नही है जो अध्यापको के ज्ञान में वृद्धि कर सके और उन्हे शिक्षा के क्षेत्र में आने वाली नवीन विधाओ की जानकारी दे सकें। जिले में अभी तक जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(डाईट) की स्थापना भी अभी नही हुई है। जिसके कारण अध्यापक कहां से शैक्षणिक मार्ग दर्शन प्राप्त करें।

(ख)प्रभावी प्रविक्षण की कमी (Poor school supervision and monitoring)

विद्यालयो का निरंतर प्रवीक्षण होना चाहिये लेकिन प्रवीक्षण करने वाले अधिकारीगण प्रायः गैर शैक्षणिक कार्यो में लगे रहते है, जिसके कारण वे विद्यालयो का निरीक्षण नही कर पाते है जिसके कारण विद्यालय में शैक्षिक निरसता एवं स्थिलता आ जाती है।

******

अध्याय-4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य

प्राथमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण एक अत्यन्त महत्वपूर्ण राष्ट्रीय लक्ष्य रहा है। इसके लिए सतत प्रयास भी किये जा रहे है। विभिन्न योजनायें, परियोजनाएँ तथा अभियान भी समय-समय पर संचालित की जाती रही है। किन्तु कटु यथार्थ यह है कि आज तक इस लक्ष्य को नही प्राप्त किया जा सका। जनसंख्या में निरंतर वृद्धि निर्धनता, अभिभावकों की अशिक्षा तथा शैक्षिक सुविधा एवं उसकी गुणवत्ता का अभाव इसके मुख्य कारक रहे है किन्तु इनकी दुहाई देकर हम अनन्त काल तक इस राष्ट्रीय लक्ष्य की उपलब्धि को लम्बित नही रख सकते है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित अवधि का एक व्यापक कार्यक्रम " सर्वशिक्षा अभियान " के नाम से निर्धारित किया गया।

4.1 सर्व शिक्षा अभियान क्या है ?

- प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु समयबद्ध कार्यक्रम ।
- सम्पूर्ण देश में गुणवत्तापूर्ण एवं आधारभूत शिक्षा की मांग की आपूर्ति ।
- आधारभूत शिक्षा के माध्यम से सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करना ।
- पंचायतीराज संस्थाओं, विद्यालय प्रबन्धन समितियों, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की शिक्षा समितियों, अभिभावक शिक्षक परिषद्, माता-शिक्षिका समितियों, जनजातीय स्वायत्तशाषी परिषदों एवं अन्य आधारभूत स्तरीय रचनाओं में प्रबन्धन की प्रभावी भागीदारी का प्रयास ।
- सम्पूर्ण देश में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राजनैतिक इच्छाशक्ति को बढ़ावा देना ।

- ♦ केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय शासन के मध्य भागीदारी को विकसित करना ।
- ♦ राज्यों को प्रारम्भिक शिक्षा के विकास में अपना स्वयं का दृष्टिकोण रखने का अवसर प्रदान करना ।

4.2 सर्वशिक्षा अभियान क्यों ?

सर्वशिक्षा अभियान 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के समस्त बालक-बालिकाओं को उपयोगी एवं आधारभूत प्रारम्भिक शिक्षा सन 2010 तक उपलब्ध करवाने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम है । इसका अन्य उद्देश्य विद्यालय प्रबन्धन समितियों के माध्यम से जनसमुदाय की सक्रिय सहभागिता से सामाजिक, क्षेत्रीय एवं लिंगभेद हेतु सेतु का कार्य करना है ।

शिक्षा कार्यक्रम की प्रभावी उपयोगिता एवं सार्थकता जनसहयोग के बिना अधूरी है शिक्षा का उद्देश्य बालकों को सिखाना ही नहीं अपितु आध्यात्मिक एवं भोतिक रुप से समाज एवं वातावरण के अनुकूल ढालना भी है । शिक्षा के माध्यम से बालकों में 'वसुधैव कुटुम्बकम्' की भावना जागृत करना भी इस अभियान का लक्ष्य है ताकि बालक व्यक्तिगत हितों को त्यागकर 'सर्वेभवन्तुसुखिनः, सर्वेसन्तु निरामया' की और अग्रसर हो सके ।

सर्वशिक्षा अभियान बाल्यकाल के महत्त्व को समझकर 0-14 आयु वर्ग के प्रत्येक बालक के रख-रखाव (लालन-पालन) के महत्त्व को अनुभव करता है । एकीकृत बाल विकास सेवा एवं गैर एकीकृत बाल विकास सेवा के संयुक्त प्रयास पूर्व प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु महत्त्वपूर्ण कदम है।महिला एवं बाल विकास विभाग भी इस और पूर्णरुप से अग्रसर है।

4.3 सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य

- ♦ वर्ष 2003 तक 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चे स्कूल/वैकल्पिक विद्यालय/वापस स्कूल चलों शिविर में दाखिल हो।
- ♦ वर्ष 2007 तक सभी बच्चे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण करें।
- ♦ वर्ष 2010 तक सभी बच्चे आठ वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करें।
- ♦ जीवनोपयोगी तथा प्रासंगिक शिक्षा पर विशेष बल।

- 2010 तक शिक्षा बीच में छोड़ने वाले बच्चों की दर शून्य पर लाना।

उपर्युक्त राष्ट्रीय लक्ष्यों के सापक्ष्य तथा जनपद की विशिष्ट परिस्थितियों के सन्दर्भ में जिला स्तर पर इस अभियान के निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये है-

4.4 जिले के लक्ष्य

(अ) पहुँच

जिले में इस समय कुल 1905 गांव है। जिनमें से 1726 गांव आबाद है, लेकिल शिक्षा दर्पण दर्पण सर्वे 2000 के पश्चात बहुत से गांव ढानियां आबाद हो गयी है। जिसके कारण बालकों के विद्यालय में पहुंच की समस्या बन गयी है। यद्यपि आबाद गांव में पहँच की समस्या का समाधान हुआ है। लेकिन अभी भी नव आबाद चक एवं ढानियां जिनकी संख्या 297 है में विद्यालय 2 से 4 किमी दूरी पर स्थित है अतः सहज पहँच के लिये वर्तमान समय में 85 प्राथमिक विद्यालय 123 उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता होगी।

(ब) नामांकन

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 2003-04 तक शत प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है।

जिले का अनुमानित नामांकन

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
नामांकन	295322	302510	309868	317415	325641	333054	34161	349465

(स) ठहराव

वर्तमान में जो शिक्षा से वंचित है उनको सर्वप्रथम शिक्षा से जोड़ना और विभिन्न कारणो से जो बालक-बालिका विद्यालय छोड़ जाते है और अपनी शिक्षा बीच में छोड़ देते है, उनके 100 प्रतिशत ठहराव का सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लक्ष्य रखा गया है।

जिले का अनुमानित ठहराव

वर्ष	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
ठहराव	28.33	51	71	92	100	100	100	100

(द) गुणात्तमक सुधार

डी.पी.ई.पी के अर्न्तगत जिले में SAS व BAS का सर्वेक्षण SIERT उदयपुर एवं Indian Institute for rural development Jaipur करवाया गया था उसके अनुसार शहरी एवं ग्रामीण दोनो क्षेत्रो में बालक/बालिकाओ की शैक्षिक स्थिति को संतोषजनक नही कहा जा सकता यद्यपि डी.पी.ई.पी योजना के अन्तर्गत 25 प्रतिशत गुणवत्ता सुधार का लक्ष्य रखा गया है। यदि इस योजना में इस लक्ष्य की पूर्ति नही होती है। तो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लिये गये क्रिया कलापो के माध्सम से लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा।

(य) संस्थागत संस्थाओ का क्षमता विकास

डी.पी.ई.पी के अन्तर्गत जिले में 3 ब्लॉक एवं 57 संकुल संदर्भ केन्द्र रखे गये है लेकिन क्षेत्रीय विषमताओ के कारण इन 3ब्लॉक एवं 57 संकुल संदर्भ केन्द्रो के द्वारा जिले के सभी विद्यालयो का निरीक्षण एवं परिवीक्षण पूर्णतया नही हो पाता है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले में 4 नये ब्लॉक एवं 23 नये संकुल संदर्भ केन्द्रो का प्रावधान रखा गया है। इस प्रकार जिले में उपस्थित 7 सबडीवीजनल हैडक्वार्टर्स पर प्रत्येक पर एक ब्लॉक एवं कुल 80 संकुल संदर्भ केन्द्रो को क्षमता विकास हेतु रखा गया है।

******

अध्याय-5

पहुँच, नामांकन एवं ठहराव

5.1 भूमिका

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के क्षेत्र में सबसे बड़ी बाधा शिक्षा सुविधाओं का कम होना व दूरी अधिक होना है। प्रत्येक बालक-बालिका के लिए 1 किमी की सीमा में शिक्षा की सुविधा होना आवश्यक है। साथ ही ऐसे बच्चें जो इन शैक्षिक सुविधाओं में भी कुछ औपचारिकताओं के कारण नहीं जुड़ पाते है तो ऐसे बच्चों के लिए यह सीमा समाप्त कर स्थानों पर वैकल्पिक व्यवस्था जैसे वैकल्पिक विद्यालय (4 घंटे), ब्रिजकोर्स, शिक्षा मित्र (सांयकालीन विद्यालय) संचालित किये जाने आवश्यक होने से जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में प्रस्तावित किये गये है।

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण की सुनिश्चितता हेतु निम्न व्यूह रचना को क्रियान्वित किया जावेगा -

वैकल्पिक विद्यालय

जिले में 2001 से डी.पी.ई.पी. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना संचालित की जा रही है। इस योजना के तहत 25 वैकल्पिक विद्यालय (6 घंटे), मदरसा विद्यालय संचालित किये जा रहे है। जिनमें अल्पसंख्यक बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जायेगा ।

लेकिन फिर भी लगभग 12720 बालक-बालिका डाइस 2002 के आधार पर अभी भी किसी भी प्रकार की शैक्षिक व्यवस्था/वैकल्पिक व्यवस्था से नहीं जुड़ पाये है। इन्हे वर्ष 2003-04 में विद्यालय से जोड़ लिया जावेगा। उनके लिए डी.पी.ई.पी. सर्व शिक्षा अभियान के तहत आवश्यकतानुसार वैकल्पिक व्यवस्थाऐं जुटाई जाएगी।

5.2 वर्तमान में जिले की सकल पहुँच दर

प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिक के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सभी गांवों/मजरों/ढ़ाणियों में शैक्षिक सुविधाऐं उपलब्ध करना मुख्य कारक है। इसलिए राज्य सरकार के निश्चय किया है कि समस्त बच्चें किसी न किसी प्रकार की व्यवस्था से अवश्य जुड़े तथा शिक्षा से वंचित न रहे।

हनुमानगढ़ जिले में 1726 आबाद गांव है तथा कुल गांवों की संख्या 1905 है। इस प्रकार सकल पहुँच दर निम्न प्रकार से है।

आवासीय वासस्थानो की संख्या	विद्यालय युक्त आवासो की संख्या	सकल पहुँच दर
1726	1377	79.77

5.3 प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक में क्रमोन्नति

सर्व शिक्षा अभियान में 3 किमी की दूरी पर एवं कक्षा 5 में 15 बच्चों की उपलब्धता पर प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक स्तर पर क्रमोन्नत करने का प्रावधान किया गया है। प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 2:1 रखा जाएगा। ब्लॉकवार स्थिति इस प्रकार है –

ब्लॉक का नाम	कुल प्रा.वि.	कुल उ.प्रा.वि.	क्रमोन्नत विद्यालयों की संख्या
हनुमानगढ़	445	165	35
नोहर	265	88	30
भादरा	141	67	10
योग	875	320	75

5.4 प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा कक्ष में निर्माण एवं अन्य सुविधाये–

सर्व शिक्षा अभियान के प्रावधान के अनुसार प्राथमिक विद्यालय से उच्च प्राथमिक विद्यालयो में क्रमोन्नती हेतु 2:1 रखा गया है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये प्रति वर्ष जितने उच्च प्राथमिक विद्यालय क्रमोन्नत होगे उनमें तीन अतिरिक्त कक्षा कक्ष एवं एक प्रधानाध्यापक कक्ष का निर्माण किया जायेगा।

ऐसे क्रमोन्नत उच्च प्राथमिक विद्यालयो को टीएलई के रुप में 50000/- की राशि प्रदान की जावेगी।

जिले में संचालित ईजीएस/एस/शिक्षा कर्मी/राजीवगांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशालाओ को सत्र 2004-05 में प्राथमिक विद्यालयों में परिवर्तित किये जाने का प्रावधान है ऐसी पाठशालाओ में न्यूनतम 100 छात्र अध्ययनरत होने चाहिये तथा कक्षा 1 से 5 भी संचालित होनी चाहिये केवल इन्ही शर्तो को पूर्ण करने वाले विद्यालयो को ही परिवर्तित किया जा सकेगा।

वैकल्पिक विद्यालयो की 2006-07 में प्राथमिक विद्यालयो में परिवर्तित करने का प्रावधान रखा गया है।

5.5 शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक शिक्षा नवाचार

उपलब्ध एवं अन्य प्रस्तावित शैक्षिक सुविधाओं में न जुड़ पाने वाले विशिष्ट फोकस ग्रुप के बच्चों के लिए कम से कम 15 बच्चों के वंचित होने पर शिक्षा गारन्टी योजना एवं वैकल्पिक शिक्षा नवाचार के अन्तर्गत जोड़ा जावेगा। साथ ही रात्रिकालीन पाठशाला, चल विद्यालय एवं माइग्रेट होने वाले बच्चों को कार्ड जारी कर उनकी उपलब्धि का लेखा जोखा रखा जावेगा तथा पुनः बच्चों के लौटने पर उन्हें उपलब्ध शैक्षिक सुविधाओं से कार्ड के उपलब्धि स्तर के आधार पर जोड़ा जावेगा। इस कार्डस् के आधार पर यदि वह माईग्रेट होने वाले स्थान पर भी शिक्षा से जुड़ता है तो उसको बढ़े हुए स्तर के अनुसार जोड़ा जावेगा। जो बच्चें अभियान के अन्तर्गत नामांकित तो हो किन्तु यदि उनका निरन्तर ठहराव नहीं है तो उन्हें भी इन्हीं वैकल्पिक व्यवस्थाओं से जोड़कर ठहराव सुनिश्चित कर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जावेगा तथा 2010 तक शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य प्राप्त किया जायेगा।

प्रस्तावित नवाचार की व्यूह रचना निम्न प्रकार है :-

- रात्रिकालीन पाठशाला

- ब्रिजकोर्स (आवासीय एवं गैर आवासीय)
- माईग्रेट होने वाले बच्चों को कार्ड जारी कर शिक्षा मुख्य धारा से जोडना
- विकलांगो के लिए शिक्षा
- कामकाजी बालकों के लिए शिक्षा
- एस.सी./एस.टी. बालकों के लिए शिक्षा

5.6 अध्यापकों की आवश्यकता

जिले में नामांकन की स्थिति (निम्नानुसार) के आधार पर 1:40 के अनुपात में आवश्यकतानुसार अध्यापकों की नियुक्ति की जावेगी। जिले में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के नामांकन के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति की जावेगी। वर्तमान समय में प्राथमिक विद्यालयो का टीपीआर 52.78 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयो का टीपीआर 38.92 है इसी के आधार पर अध्यापको की नियुक्ति कि जावेगी।

अध्यापको की आवश्यकता (वर्षवार)

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
अध्यापको की आवश्यकता	876	289	192	231	397	90	198

5.7 ठहराव की स्थिति

जिले में 1995 की कक्षा 1 का एवं 2001 में कक्षा 8 का नामांकन के आधार पर ठहराव की स्थिति 33 प्रतिशत है जिनको निम्न प्रकार से बढ़ाने के 2010 तक प्रयास किये जायेगें।

ठहराव की स्थिति

वर्ष	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ठहराव दर	33	51	71	92	100	100	100	100

5.8 सामुदायिक गतिशीलता

सामुदायिक गतिशीलता से आशय समाज के विचारों में सकारात्मक परिवर्तन। परिवर्तन से आशय किसी एक क्षेत्र विशेष से न होकर जीवन के हर पहलू में समाज की सक्रिय भागीदारी से सामाजिक मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, भौतिक विकास एवं संसाधन जुटाने में, बालक के सर्वांगीण विकास योग देने, वंचित एवं पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाने से है।

इस हेतु ग्राम शिक्षा समितियों का गठन, विद्यालयों प्रबन्धन समितियों का गठन, जनप्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग प्राप्त करना, एसएमसी के आठ सदस्यो को 2 दिवसीय प्रशिक्षण करवाना,मनोरंजनात्मक गतिविधियों का आयोजन, शिक्षक-अभिभावक संघ को सक्रिय करना, कला जत्थों, बाल मेलों, विकास प्रदर्शनियों, प्रभात फेरियों, रेली, विभिन्न प्रतियोगिताओं, प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सम्मेलन, झांकियों का प्रदर्शन, पोस्टर-फोल्डर, चार्ट आदि का प्रकाशन कर सहभागिता में वृद्धि करना मुख्य-मुख्य गतिविधियां है। इसके लिए निम्न उपाय काम में लिये जा सकते है -

- जन प्रतिनिधियों से निरन्तर सम्पर्क।
- विद्यालय विकास फण्ड।
- सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन।
- ग्रामीण विकास की योजनाओं का प्रचार-प्रसार करना।
- महिला बैठकों का आयोजन।
- नामांकन अभियान हेतु विशेष आयोजन।
- शत प्रतिशत नामांकन करने वाले संस्था प्रधानों को पुरस्कृत कराना।
- बाल मेलों का आयोजन।

5.9 व्यावसायिक शिक्षा से बच्चों को जोड़ना

आज की शिक्षा व्यवसायोन्मुखी नहीं है और समय की माँग रोजगारोन्मुखी शिक्षा है । इस स्थिति से मजबूती से निपटने के लिए सर्वशिक्षा अभियान में बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा से जोड़ने की बात मजबूती से उभर कर सामने आयी है । यह शिक्षा बच्चों को रोजगार भले ही प्रदान नहीं करे, परन्तु उन्हें स्वावलम्बी बनकर जीने में भरसक मदद करेगी । आज देश के कर्णधार, राजनीतिज्ञों एवं बुद्धिजीवी वर्ग ने बच्चों में शिक्षा के

प्रति उपेक्षा की भावना को जानकर ही व्यवसायिक शिक्षा देने पर जोर दिया है । ऐसी शिक्षा बच्चों को शिक्षण व्यवस्था के साथ-साथ दी जाती है । इस शिक्षा से एक ओर बच्चों की स्वावलम्बी बनने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी ओर उनमें दिल एवं दिमाग से बेरोजगारी की भावना का क्षरण होगा । उसी शिक्षा ग्रीष्मावकाल में विशेष शिविरों का आयोजन कर दी जा सकती है ।

व्यवसायिक शिक्षा में 10 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ऐसे ट्रेड संचालित किये जायें जो उनके भविष्य के जीवन और आमदनी से सम्बन्धित हों । ऐसे ट्रेड्स में सिलाई सिखाना प्रमुख है । इसकी इकाई लागत 1000/- प्रतिमाह तथा साल में 10 माह तक आयोजन किया जाना है ।

5.10 विद्यालय की भौतिक सुविधाऐं

बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मुहैया कराने में भौतिक सुविधाएं महती भूमिका का निर्वहन करती है । आकर्षक विद्यालय परिवेश से विद्यार्थी (बच्चा) शिक्षार्जन की ओर अग्रसर होता है । शिक्षा की कमी भी आकर्षक परिवेश से पूर्ण हो जाती है । भौतिक सुविधाओं में विद्यालय भवन, चारदीवारी, टॉयलेट सुविधा एवं पेयजल सुविधाएं प्रमुख कही जाती है । इसकी पूर्ति हेतु प्रस्तेक प्राथमिक विद्यालय में पांच कक्षा कक्ष तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय में आठ कक्षा कक्ष एवं एक प्रधानाध्यापक कक्ष बनाये जाने का प्रावधान रखा गया है। आकर्षण (Attraction) परिवेश बच्चों के मन एवं मस्तिष्क पर शिक्षार्जन की अमिट छाप छोड़ता है, इस वस्तु स्थिति से परिचित होकर ही विद्यालयों में भौतिक सुविधाएं प्रदान करने की स्थिति सर्वशिक्षा अभियान में प्रदत्त की गयी है । आकर्षक परिवेश हेतु विद्यालयों को भौतिक सुविधाएं मिलें, ऐसी व्यवस्था योजना बनाते समय भी की गयी है ।

भौतिक सुविधाओं की कमी एवं अभाव से वातावरण नीरस तथा बच्चों में कुण्ठा उत्पन्न हो जाती है अतः शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु भौतिक सुविधाएं 'नींव की ईंट' का कार्य करती है ।

5.11 विद्यालय रख-रखाव

विद्यालय की सुन्दरता बच्चों के आकर्षण का केन्द्र कही जाती है । विद्यालय के सौन्दर्य को प्रभावी बनाये रखने हेतु उसका रखरखाव प्रभावी ढंग से किया जाना न्यायसंगत है । उचित एवं सौन्दर्यवर्धक रखरखाव के अभाव में विद्यालय में संख्यात्मक दृष्टि से छात्रों की कमी होना स्वाभाविक है । इसी मनोवैज्ञानिक आधार पर सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर के विद्यालयों को रखरखाव हेतु विशेष ध्यान देने की आवश्यकता एवं भावना व्यक्त की गयी है । इस अभियान के अन्तर्गत प्रति विद्यालय 5000 रुपये प्रतिवर्ष विद्यालय रखरखाव हेतु दिया जाना प्रस्तावित है । इनमें उन माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयो को भी सम्मलित किये जाने का प्रावधान रखा गया है जहां पर कक्षा 6 से 8 संचालित है। इस राशि का उपयोग विद्यालय प्रबन्ध समिति (S.M.C.) के माध्यम से शाला सौन्दर्यीकरण एवं रख-रखाव पर होगा ।

5.12 पूर्व प्राथमिक शिक्षा (ई.सी.ई.)

आई.सी.डी.एस. (समेकित बाल विकास सेवायें) के अन्तर्गत कार्यक्रम की सेवायें निम्न लिखित हैं ।

- टीकाकरण
- स्वास्थ्य जाँच
- संदर्भ (रिफरल) सेवायें
- शाला पूर्व शिक्षा
- पूरक पोषाहार
- पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा

पूर्व प्राथमिक शिक्षा या शाला पूर्वशिक्षा के अन्तर्गत 3 से 6 वर्ष की आयु के बच्चों के मानसिक, बौद्धिक एवं व्यक्तित्व विकास को ध्यान में रखकर चार्ट, कहानी, गीत व खिलौनों द्वारा विकास पर बल दिया जाता है । ग्राम एवं शहरी कच्ची बस्तियों में आई. सी.डी.एस. कार्यक्रम की सेवायें शालापूर्व शिक्षा आंगनबाड़ी केन्द्र के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है । इस आयु के बच्चें का मस्तिष्क कोमल होता है । इस हेतु उन्हें सिखाते समय डाँट फटकार की आवश्यकता नहीं है । इन बच्चों को खेल-खेल के माध्यम से

कहानी सुनाकर, चार्ट एवं खिलौने का प्रदर्शन कर ज्ञान दिया जाता है । हमें बच्चों को भयावह एवं डरावनी कहानियाँ नहीं सुनाकर शिक्षा प्रद, रसवर्धक एवं जीवनोपयोगी कहानी एवं चार्ट ही प्रदर्शित करने हैं । इस शिक्षा के बच्चों को गृहकार्य से वंचित रखा गया है । आंगनबाड़ी कार्यकर्त्ताओं एवं सहायिकाओं से बच्चें से आयु एवं पूर्व प्राथमिक शिक्षा की भावनानुसार कार्य करने की अपेक्षा की जाती है । सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिले में 570 ई सी ई केन्द्र खोले जाने का प्रावधान रखा गया है।

5.13 कम्प्यूटर शिक्षा

संचार के नव विकसित साधनों एवं भौतिकता की दौड़ में बच्चों को दी जाने वाली कम्प्यूटर शिक्षा अति महत्वपूर्ण एवं विशिष्ट है । सर्वशिक्षा अभियान में संचार साधनों के बढ़ते प्रयोग को दृष्टिगत रखते हुए उच्च प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा दिये जाने का प्रावधान है । वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अभिभावकों, जन नायकों, वैज्ञानिकों, बुद्धिजीवियों एवं शासकों का झुकाव इस ओर प्रमुखता से बढ़ा है और इसी मनोवैज्ञानिक तथ्य एवं स्थिति के विश्लेषणोपरान्त उच्च प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा को जोड़ा गया है । इस शिक्षा से जुड़ने के उपरान्त बच्चे स्वावलम्बी बनने के साथ-साथ इन्टरनेट से विभिन्न सूचनाएं जानने में सक्षम एवं समर्थ हो सकेंगे । भारत सरकार एंव राज्य सरकार दोनों ने कम्प्यूटर शिक्षा को विशेष महत्व दिया है । हमारी वर्तमान सरकार ने उच्च शिक्षा के साथ-साथ माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा को महत्व दिया है और अनिवार्य किया है, वहीं सर्वशिक्षा अभियान में उच्च प्राथमिक स्तर पर कम्प्यूटर शिक्षा पर विशेष बल दिया है । इस सबका उद्देश्य वर्तमान के साथ जुड़ाव एवं कदम मिलान है । इस योजना को परिणीत करने के लिये योजना अवधि में 500/- प्रति बालक प्रति वर्ष 3000 बालको को लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

******

अध्याय -6

गुणवत्ता शिक्षा

6.1 भूमिका

शिक्षा के सार्वजनीकरण में गुणात्मक शिक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम है । विद्यालयी परिपेक्ष्य में गुणात्मक शिक्षा के मापन हेतु विभिन्न सूचक तैयार किये गये हैं । इनका उपयोग विद्यालय में गुणात्मक शिक्षा में सुधार लाने हेतु किया जा सकता है । विद्यालयों में गुणात्मक शिक्षा के मापन हेतु नामांकन वृद्धि, उत्तीर्णता प्रतिशत, पुनः अध्ययन दर, शाला त्याग करने वाले बच्चों की दर, उपलब्धि स्तर, विद्यालयी वातावरण की गुणवत्ता तथा कक्षा कक्ष शिक्षण की गुणवत्ता प्रमुखता से उभर कर आयी है ।

उक्त गुणात्मक शिक्षा मापन की नवीन विधायें प्रभावी ढंग से लागू हों, इसके लिए शिक्षकों को भी आधुनिक नवाचारों एवं विधाओं की पूर्ण जानकारी अपेक्षित है । इसके अभाव में गुणवत्ता शिक्षा का मापन सम्भव नहीं है ।

6.2 विद्यालय अनुदान राशि (S.F.G.)

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रति वर्ष प्रति विद्यालय दो हजार रुपये की राशि का अनुदान दिया जाने का प्रावधान किया गया है। इस राशि का उपयोग विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रबन्ध समिति की बैठक एवं सहमति के उपरान्त किया जा सकेगा । संस्था प्रधान (सदस्य सचिव) अपने विद्यालय की आवश्यक आवश्यकताओं से विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यों को आमन्त्रित एंव आहूत बैठक में अवगत करायेगा । संस्था की आवश्यकता एवं राशि के आधार पर विद्यालय प्रबन्ध समिति विद्यालय अनुदान राशि की उपयोगिता की सहमति प्रदान करेगी । इस राशि से विद्यालय में बच्चों के बैठने के लिए दरीपट्टी आदि आवश्यकतानुसार कय की जा सकेंगी। पेयजल आपूर्ति बहाली हेतु पानी की टंकी आदि के खरीदे जाने का प्रस्ताव भी पारित कराया जा सकेगा । इस प्रकार फुटकर एवं छोटी-मोटी आवश्यकताओं की आपूर्ति प्रति वर्ष मिलने वाली विद्यालय अनुदान राशि द्वारा की जावेगी ।

6.3 शिक्षण अधिगम सामग्री (T.L.M.)

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा अधिगम सामग्री हेतु पाँच सौ रुपये प्रति अध्यापक को देय हैं । इस राशि में से चौथाई राशि का उपभोग बाजार से सामग्री क्रय करने में और तीन चौथाई राशि का उपभोग विद्यालय में बच्चों के मध्य बैठकर शिक्षण अधिगम सामग्री निर्माण पर किया जा सकेगा । यह राशि कच्ची सामग्री पर अधिक मात्रा में व्यय को जावेगी । इस राशि व्यय से शिक्षा प्रदान करने वाली शिक्षण अधिगम सामग्री क्रम की जा सकेगी । यह सामग्री बच्चों को शिक्षण विद्या को समझाने में मददगार होगी तथा बच्चों को विषयवस्तु की जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सकेगी । यह जानकारी रुचिकर एवं प्रभावी होगी । इसका स्थायित्व अमिट होगा ।

अतः शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण एवं डिमोन्स्ट्रेशन को सर्वशिक्ष अभियान में प्रबलता से उभारा गया है जो बच्चों के लिए आनन्ददायी, रुचिकर एवं शिक्षाप्रद है।

6.4 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें

'सर्वशिक्षा अभियान' के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर पर सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है । यद्यपि राजस्थान सरकार द्वारा उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें दी जा रही हैं, परन्तु इससे 'जैण्डर वाइस' को बढ़ावा मिलता है । हमारे द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से जैण्डर संवेदनशीलता की बात करना भी बेमानी होगा, यदि सभी को पाठ्यपुस्तकें निःशुल्क उपलब्ध कराने में भेदभव रखा जाता है । इस सम्पूर्ण स्थिति से भली भाँति परिचित होकर ही सर्वशिक्षा अभियान में सभी को उच्च प्राथमिक स्तर पर निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराये जाने का विचार दृढ़ता से उभरा है और इसे अमल में लाया जा रहा है । सभी को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना 'जैण्डर संवेदनशीलता' की सार्थक श्रेणी है, सर्वशिक्षा अभियान में बुद्धिजीवियों एवं शिक्षाविदों ने निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें सभी को दिये जाने की अभिशंसा की है । वास्तव में निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों की उच्च प्राथमिक स्तर पर उपलब्धि से अनगिनत गरीबों की सार्थक राहत मिलेगी जो आर्थिक बोझ वहन करने में असमर्थ हैं ।

6.5 पुस्तकालय अनुदान

अच्छी पुस्तकें ज्ञानार्जन का प्रथम सोपान है । अच्छी पुस्तकों से विद्यार्थियों में भौतिक भावनाओं को पिरोया जा सकता है तथा ज्ञानवर्धन किया जाता है । हमारे समाज में व्याप्त कुरीतियों एवं विषमताओं और अनैतिक मूल्यों का कारण श्रेष्ठ एवं जीवनमूल्यदायी शिक्षा की कमी एवं सत्साहित्य का अभाव है । सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस भावना पर विचार कर उच्च प्राथमिक स्तर तक के विद्यालयों को पुस्तकालय अनुदान दिया जाने का पुरजोर समर्थन किया गया है एवं प्रति विद्यालय प्रतिवर्ष 2000/- की राशि पुस्तकालय अनुदान हेतु रखी गयी है । इस राशि से जहाँ पुस्तकालयों में श्रेष्ठ एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकें मिलेंगी, वहीं बच्चों में इनके अध्ययन से बौद्धिक, नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास होगा जो भावी पीढ़ी के लिए उपयोगी एवं लाभदायिक है । हमारे विद्यालयों के संस्था प्रधानों से अपेक्षा की गयी है कि वे जीवनोपयोगी पुस्तकें क्रय करेंगे एवं पुस्तकालयों को समृद्ध करेंगे । राशि का सही सदुपयोग करना संस्था प्रधानों का नैतिक दायित्व है ।

6.6 अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन

सर्वशिक्षा अभियान में शहरी एवं ग्रामीण परिवेश के आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं अभावग्रस्त बच्चों के लिए वार्षिक परीक्षा से तीन माह पूर्व विशिष्ट अतिरिक्त कक्षाओं के आयोजन का प्रावधान किया गया हैं । इस प्रावधान में मुख्य तीन विषयें के लिए तीन अलग-अलग अध्यापकों द्वारा अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन किया जावेगा तथा उन्हें इसके बदले मानदेय स्वरुप 3000/- (तीन हजार) रुपये की राशि प्रतिमाह 3 माह तक प्रदत्त की जावेगी । इस स्थिति में आर्थिक दृष्टि से गरीब व उन बच्चें को शिक्षा मुहैया कराने में भरपूर सहायता मिल सकेगी, जो उच्च शिक्षा का सपना संजोये हुए हैं, परन्तु अपनी सोचनीय व दयनीय आर्थिक स्थिति के कारण शिक्षा ग्रहण कर पाने में पूर्णतः असक्षम हैं, सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वजनीकरण की भावना में अतिरिक्त कक्षाओं का आयोजन सार्थक एवं सराहनीय प्रयास है , जो उपेक्षित वर्ग को उनकी भावनानुसार शिक्षा मुहैया कराने में मददगार है ।

इस आयोजन में पारदर्शिता एवं ईमानदारी से कक्षाओं का आयोजन अपेक्षित है । सर्वशिक्षा अभियान इस दशा में उत्तम प्रयास है । जिसमें संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों की भावना द्वारा सभी को शिक्षा प्राप्ति सम्भव है ।

6.7 प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु तीन प्रकार के प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हैं -

(अ) 20 दिवसीय प्रशिक्षण

यह प्रशिक्षण सेवारत् अध्यापकों को दिया जावेगा तथा इस प्रशिक्षण के माध्यम से नवाचारों को प्रशिक्षण देकर शैक्षिक गुणवत्ता में अपेक्षित सुधार करना है । सेवारत् अध्यापकों के 20 दिवसीय प्रशिक्षण को क्रमशः 9 दिवसीय विषयवस्तु आधारित, 3दिवसीय टीएलएम निर्माण कार्यशाला आधारित, शेष आठ दिवस में प्रति माह एक बैठक के लिये प्रावधान किया गया है। अप्रशिक्षित अध्यापको का 60 दिवसीय प्रशिक्षण डाइट द्वारा करवाया जावेगा।

(ब) 30 दिवसीय प्रशिक्षण

इस प्रकार का प्रशिक्षण 30 दिवसीय होगा तथा पैराटीचर को प्रति वर्ष ग्रीष्मावकाश में दिया जावेगा । यह प्रशिक्षण विषयवस्तु आधारित होगा तथा निर्धारित मोड्यूल के अनुसार दिया जावेगा ।

(स) 41 दिवसीय प्रशिक्षण

यह प्रशिक्षण पैराटीचर्स के लिए आधारभूत प्रशिक्षण होगा तथा उन्हें चयनोपरांत दिया जायेगा । अप्रशिक्षित पैराटीचर्स हेतु निर्धारित 41 दिवसीय मोड्यूल के प्रशिक्षण से उन्हें नवीन विधाओं एवं नवाचारों की जानकारी प्रदत्त की जावेगी । अप्रशिक्षित पैराटीचर्स में गुणवत्ता शिक्षा एवं नवाचारों के समावेश हेतु इस प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की गयी है ।

******

अध्याय-7

विशिष्ट फोकस ग्रुप

7.1 भूमिका

शिक्षा सभी के लिये का उद्देश्य किसी भी समाज में तभी पूर्ण हो सकता है जब समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षा के लिये बढावा मिलेगा। आज भी समाज में कई ऐसे समुह जैसे एससी, एसटी, लड़कियां आदि है जो विभिन्न कारणो से शिक्षा से अभी तक पूर्णतया नही जुड़ पाये है। इसी कारण आज भी ये समुह समाज में आज भी अपने आपको शैक्षणिक रुप से पिछड़ा हुआ महसुस करते है।

हनुमानगढ़ जिले में भी इस प्रकार के समुह जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, लड़कियां, शहरी अलाभान्वित बच्चे है जो कि अभी तक शिक्षा से पूर्णतया जुड़ नही पाये है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक मुख्य कार्य इस प्रकार के बालक-बालिकाये जो शिक्षा से जुड़ नही पाये है उनको शिक्षा से जोड़ना है।

7.2 जेण्डर संवेदनशीलता

शिक्षा का सार्वभौमिकरण तभी संभव है, जब समाज के दोनो घटक पुरुष और महिलाये दोनो को समान समझा जाये और दोनो को शिक्षा के समान अवसर प्रदान किये जाये। आज भी समाज में महिलाओ और पुरुषो में भेद किया जाता है। महिलाये पुरुषो की अपेक्षा आज भी सभी प्रकार की मुलभूत सुविधाये प्राप्त करने में सफल नही हो पाती है।

हनुमानगढ़ जिला भी समाज की इस रुढिवादी अवधारणा से अलग नही है। जिले में बालको को बालिकाओ की अपेक्षा उनके परिवार के द्वारा शिक्षा के लिये प्रोत्साहित किया जाता है जबकि बालिकाओ को नही। बालको को बालिकाओ की अपेक्षा शिंक्षा के लिये प्रोत्साहन के कारण ही शिक्षा के क्षेत्र में बालका-बालिका का विद्यालय में नामांकन प्रतिशत बालको के 55 प्रतिशत की तुलना में बालिकाओ का नामांकन प्रतिशत केवल 45 प्रतिशत ही है जो जिले में व्याप्त जेण्डर सम्बन्धि विभिन्नताओ का द्योतक है।

जेण्डर सम्बन्धी विभिन्नताओ को दूर करने के लिये ये आवश्यक है कि जिले में विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा जेण्डर संवेदनशीलता लायी जाये। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जेण्डर संवेदनशीलता पर काफी जोर दिया गया है। इसके लिये सामान्य विद्यालयो में कार्यरत अध्यापको के जेण्डर संवेदनशीलता सम्बन्धि प्रशिक्षणो आदि की व्यवस्था की गई है। इसके साथ समाज के विभिन्न वर्गो के शिविरो के जेण्डर संवेदनशीलता सम्बन्धि शिविर लगाये जानें का प्रावधान है। इसके साथ ही विद्यालयो में बालिका शिक्षा बढ़ाने के लिये निःशुल्क पुस्तको का आठवीं कक्षा तक वितरण की व्यवस्था भी अभियान में की गई है।

7.3 ब्रिज कोर्स

हनुमानगढ़ जिले की ऐसी लड़किया जो किन्ही कारणो से शिक्षा से वंचित रह गई है एवं जिनकी उम्र अधिक हो गयी है। उन्हे शिक्षा से जोड़ने एवं उनकी उम्र की लड़कियो के बराबर के शिक्षा स्तर तक लाने के लिये 3 महिने से 12 महिने तक के ब्रिज कोर्स आवासीय एवं गैर आवासीय संचालित किये जाने का प्रावधान है। इन ब्रिज कोर्स में पढाने का तरीका उनकी जरुरत के अनुसार तरीका होगा। इन ब्रिज कोर्स में 25-30 छात्राओ का प्रावधान है।

7.4 विकलांग बालक बालिकाओ के लिये समेकित शिक्षा

विकलांग बालक-बालिकाये अपनी शारीरिक अक्षमताओ के कारण विद्यालय तक पहुँचने में असमर्थ होते है अतः इस प्रकार के निशक्तजनो को विद्यालयो से जोड़ने के लिये विभिन्न कार्यक्रमों जिससे की उनकी निशक्तता उनकी शिक्षा प्राप्ति में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न कर सकें और उन्हें भी शिक्षा का समान अवसर प्राप्त हो सके, का संग्रहण किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत निशक्त बालक बालिकाओ को शिक्षा से जोड़ने के लियें अध्यापको के विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण शिविरो का आयोजन किया जाना प्रस्तावित है जिससे की वे विकलांग बालक-बालिकाओ को शिक्षा से जोड़ने के लिये समाज के लोगो को प्रोत्सहित करे। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति वर्ष प्रति

विकलांग बालक-बालिका के लिये 1200 रुपये प्रति बालक-बालिका का प्रावधान रखा गया है।

7.5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिये शिक्षा

आज भी समाज में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बालक-बालिकाये अन्य समुह के बालक बालिकाओं की तुलना में खासतौर पर शिक्षा के क्षेत्र में उतना आगे नही बढ़ पा रहें है जितना कि अन्य समूह के बालक बालिकाऐ बढ़ रहे है।

हनुमानगढ़ जिला भी इसी अवधारणा से अछूता नही है। जिले में अनुसूचित जाति के परिवारो की संख्या काफी अधिक है। लेकिन उनके बालक बालिकाऐ विभिन्न प्रकार की समस्याओ के कारण आज भी विद्यालय से वंचित है। अनुसूचित जनजाति के परिवार जिले में कम होने के कारण जिले में इस समूह के बालक बालिकाओ की संख्या भी कम है। लेकिन विद्यालयो में उनकी संख्या उनके परिवारो के अनुपात से भी कम है।

सर्व शिक्षा अभियान इस प्रकार के बालक बालिकाओ को शिक्षा से जोड़ने के लिये विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमो का प्रावधान है।

- सामान्य विद्यालयो में कार्यरत अध्यापकों को इस समूह के बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिये प्रशिक्षण देना।
- शिक्षा से जोड़ने के लिये विभिन्न प्रकार के शिविर लगाना।
- बच्चो के ठहराव के लिये विद्यालय में लगातार उनकी उपस्थिति अंकित करना।
- ए आई ई के अन्तर्गत विभिन्न शिविर लगाना।

7.6 घुमन्तु परिवार के गरीब बच्चो के लिये शिक्षा

जिले के कुछ परिवार जैसे की गाड़िया लुहार, सांसी, डूम, भांड, बंजारा, जोगी आदि घुमन्तु प्रवृति के होते है, जो एक जगह पर काफी लम्बे समय तक नही रहते है। इन परिवारो की इसी घुमन्तु प्रवृति के कारण इन परिवारो के बच्चे शिक्षा से जुड़ नही पाते है। इस प्रकार के बालक बालिकाओ को शिक्षा से जोड़ने के लिये सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक कार्ययोजना तैयार करने का प्रावधान है।

7.7 काम काजी बच्चो के लिये शिक्षा

हनुमानगढ़ जिले में पारिवारिक कारणो से या वित्तिय कारणो से कई बच्चे छोटी उम्र में ही विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे चाय की दुकान पर, घरो में सफाई कार्य में, कारखानो में, दुकानो पर छोटे मोटे कार्य करते है। जिससे इस प्रकार के बच्चे शिक्षा से नही जुड़ पाते है। इस प्रकार के बच्चो को शिक्षा से जोड़ने के लिये सर्व शिक्षा अभियान में विभिन्न प्रकार के कार्य जैसे शिविर लगाना, सायंकालीन विद्यालयो को शुरु करना आदि का संग्रहन किया गया है।

******

अध्याय 8

अनुसंधान मुल्यांकन परिवीक्षण एवं प्रबोधन

8.1 भूमिका

राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति 1992में गुणवत्ता शिक्षा में स्थाई सुधार के लिए अधिगम मानक स्तर प्राप्त करने की आवश्यकता के महत्व को प्रतिपादित किया हैं, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम अधिकतम स्तर के महत्व को 1992 में स्वीकार किया है। अब समय आ गया है जब अब तक शिक्षा में जो विकास हुआ है, उसमें आवश्यकतानुसार सुधार लाया जाये ओर नवीन शिक्षा में नवाचार के प्रयोग द्वारा प्राथमिक शिक्षा के रूप की बदला जाय। शिक्षा को जीवनोपयोगी बनाया जाना आज के युग की मांग है। अतः प्रारम्भ से लेकर विद्यालय स्तर तक अनुसंधान कार्य को सुचारु रूप से चलाने के लिए समूहों का निर्माण किया जाय । शिक्षा से जुडे सभी उपांग समुह हो उपयोगी व व्यवहारिक हो। सभी वर्ग संस्थान व प्राधिकरण एक जुट मंच पर आकर प्रारिम्भक शिक्षा में सुधार का समन्वित प्रयास करें । इस लिए संदर्भ समूहो को NCERT, SIET,DIET, इस प्रकार की सभी संस्थाओं को मिलकर अनुसंसधान कार्य करना होगा और यह सभी प्रकार की सूचना का कार्य उनके निर्माण व कार्यनिधी आदि का समस्त व्यौरा प्रायोजनो प्रबन्धन सूचना तन्त्र (Project Management Intormation System) के द्वारा संकलित किया जाय। अतः पर्याप्त अध्ययन अनुसंधान एवं विभिन्न केन्द्रो पर सर्व शिक्षा अभियान व प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु अनिवार्य होंगे। इस अभियान में अनुसधान कार्य को मार्गदर्शक के रूप में रखा जायेगा, और सभी का समन्वित उद्देश्य शिक्षा सुधार व सर्व शिक्षा होना छोटे छोटे प्रायोजना में यथा कियात्मक अनुसंधान जैसे Pilot Project उभरती हुई समस्याओं पर प्रारम्भ किये जायेंगे। यथा स्कूल सेवा हर बच्चो को पुनः शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ा जाना एवं भाषा गणित व कक्षाकक्ष में रूचि के अनुसार बच्चों की योग्यता बढ़ना व सुधार करना, अक्षम बच्चों की शिक्षा अध्यापको का सुगठित कार्य, शिशु शिक्षा अल्संख्यकों की शिक्षा व इन से जुड़े अनेक मुददे है जहॉ अनुसंधान की परम आवश्यकता होगी।

अध्यापकों को भी क्रियात्मक अनुसंधान के लिए प्रोत्साहित करना होगा ताकि प्रति दिन की समस्याओं का अपने स्तर निवारण कर सके।

शैक्षणिक व अशैक्षिणक मुददो पर शोध कार्य की अति आवश्यकता है ताकि सर्व शिक्षा अभियान आ सके। अनुसंधान मुल्यांकन सर्वशिक्षा अभियान का महत्वपूर्ण घटक है, एक निर्धारित समय वाले लक्ष्य आधारित कार्यक्रम के कुशल संचालन हेतु प्रबोधन एवं मुल्यांकन का समय समय पर किया जाना अत्यत ही आवश्यक है।

8.2 अनुसंधान के क्षेत्र

प्रारम्भिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार समस्त अनुसंधानों का उद्वेश्य निर्धारित किया जायेगा अतः हर प्रयास का मूल बिन्दू (Central Print) संसाधन संरचना सहयोगी सेवायें अध्यापक प्रशिक्षण प्रविधि अध्यापक प्रेरण सेवा पूर्व व सेवारत प्रशिक्षण पाठ्यक्रम सिखाने सिखने की सामग्री कक्षा शिक्षण प्रकिया (Class room proceses) मूल्यांकन प्रबोधन व परिवीक्षण आदि अनेक क्षेत्रों को अनुसंधान के क्षेत्र निम्नाकित मुददे हो सकते है।

1. उपयुक्त व सुन्दर टिकाऊ कम खर्चिले विद्यालय भवन व शिक्षण के सहयोगी उपकरण।
2. शिशु शिक्षा व शिशु देखभाल की सभी 0से 6 वर्ष तक के बच्चों को सुविधा ।
3. कम से कम चार से पॉच घन्टे तक बच्चों का विद्यालय में अर्थपूर्ण उद्वेश्य निष्ठ प्रतिदिन ठहराव व रूकना अर्थात रूचीपूर्ण आनन्ददायी स्कूल कार्यक्रम व वातावरण।
4. समर्पित व प्रशिक्षित शिक्षक जो वास्तव में इस व्यवसाय में रूचि रखते हो उनमें स्थाई रूचि व अभिनवन का क्षेत्र ।
5. वर्तमान मे प्रचलित सेवा पूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण व शिक्षा में गुणत्मक सुधार उनके पाटयक्रम शिक्षण प्रविधी (Mehodology)अभ्यास शिक्षण (Practice teaching) आदि ।
6. समय समय पर सेवारत शिक्षकों को नवचार से परिचय हो सके इसलिये समय अनुसार प्रशिक्षण व फोलोअप का क्षेत्र।
7. शिक्षकों में स्थाई प्रेरण पैदा हो व यह निरन्तर बना रहे इस प्रकिया का प्रयास ।

8. प्रारम्भिक शिक्षा से जुडे परिवीक्षण समिति , प्रशासनिक ढाचे को पुनर्जिवित कर सक्रिय बनाने का प्रयास ।
9. दक्षता आधारित व समर्पित अध्यापक अधिगम सामग्री (Contextual Teaching learning Material)के विकास का क्षेत्र ।
10. शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को शिशु केन्द्रित (Child Centred) क्रिया प्रधान (Activity bared) प्रखरता युक्त अधिगम बनाना।
11. पाठ्य पुस्तकें अध्यापक शिक्षण मार्ग दर्शिका व वर्क बुक आदि में सुधार व उन्हें जीवन उपयोगी समर्पित बनाना।
12. सभी कक्षा कक्षों के शिक्षण प्रक्रिया में गुणवत्ता युक्त उपचारात्मक शिक्षण उन्नत कार्यक्रम आदि का क्षेत्र।
13. बच्चे दवावमुक्त होकर अधिगम कर सकें अतः मूल्यांकन में भी सुधार के लिए अनुसंधन की आवश्यकता है। मूल्यांकन को व्यापक व निरन्तर कैसे बनाया जाय।
14. पाठ्यक्रम का बढ़ा हुआ बोझ कैसे कम कर सकें इसके प्रयास का क्षेत्र।
15. समुदाय के सहभागित को बहाना देते हुए समुदाय में स्वामित्व (Ownarship and Particiapatory Managament) का भाव पैदा हो सके इससे सम्बन्धित क्षेत्र।
16. राष्ट्रीय एकता विश्वबन्धुत्व की भावना व समुदाय की समर्पित आदि सदगुणों का भाव पाठ्यक्रम के द्वारा पैदा किया जा सके, इससे जुडे कार्यक्रम, योजनायें, जीवनोपयोगी रोजगारपरक कार्य आदि ऐसे अनेक क्षेत्र. है जहॉ प्रारम्भिक शिक्षा मे अनुसंधान कार्य हो सकते है।
17. स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित पाठ्यक्रम बनाने के लिए उसमें परिवर्तन व पुनः रचना आदि, ताकि उसे नई राष्ट्रीय पाठ्यक्रम रचना 2000 के अनुरूप ढाला जा सके।

अनुसंधान प्रविधि (Research Technology)

प्रायमिक शिक्षा में अनुसंधान की प्रक्रिया सहज सरल व उपयोगी हो जिससे प्रत्येक शिक्षक विद्यालय में अन्य अनुसंधान कर्ता अपने क्षेत्र में खन्ड स्तर व जिला स्तर पर तथा शिक्षा विशेषज्ञ राज स्तर पर अनुसंधान कियान्वित किया जा सकता है।

8.3 मूल्यांकलन (Evaluation)

जिले में प्रायोजना की उपलब्धि में प्रगति के प्रभाव का आकंलन देखने के लिए सर्वशिक्षा अभियान के उद्वेश्य निर्धारित किये गये है जो कियान्वित व प्रगति के संकेतांक और इनका समय समय पर मुल्यांकन से सम्बन्धित है। वस्तुत कियान्वित किये गये कार्य व उनकी प्रगति के स्तर का आंकलन मूल्यांकन के द्वारा किया जायेगा। मुल्याकन एक प्रकार से सभी प्रयास में प्रयुक्त प्रविधि व उसका प्रतिबिम्ब है। इस अभियान में मुंल्याकन के द्वारा विभिन्न प्रयासें व उनके प्रभाव के कियात्मक पहलुओं उद्वेश्यों की उपलब्धि की प्रगति सामुदायिक सहभागित से सहभागी मूल्यांकन तथा इसमें मूल सर्व्रक्षण व मध्य में किये गये सर्वेक्षण द्वारा बच्चों की उपलब्धि स्तर की जाँच सम्मलित होगी। सर्व शिक्षा अभियन गुणवत्ता शिक्षा की गारन्टी है अतः इसमें सभी पहलुओं जैसे पाटयक्रम, पाट्य पुस्तको का विकास अध्यापक शिक्षण कार्यक्रम विद्यार्थियों की अधिगम उपलब्धि व प्रगति आदि का निस्तरण व व्यापक मूल्यांकन आवश्यक होगा। मूल्यांकन एक ऐसी प्रकिया है जिसमे यह निर्धारण किया जाता है कि कार्यक्रम की उपलब्धियों की सफलता की मात्रा का परीदीक्षण शेष क्या रहा है और अब तक कितना कार्य पूर्ण हो चुका है ।

मुल्यांकन के क्षेत्र

प्रारम्भिक शिक्षा से जुडा हर पहलु जो सर्व शिक्षा अाीयान की मदद से विस्तारित होगा उसे समय समय पर मुल्याकित किया जायेगा। बच्चों की अधिगम उपलब्धि तथा प्रगति की बुद्वि को मुल्यांकित करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के सुभारम्भ से प्रत्येक दो साल बाद मुल्यांकन दोनो स्तरों प्राथमिक व उच्च प्राथमिक पर होना चाहिये और बेस लाइन सर्वे की उपलब्धियों को इसका संदर्भ विन्दु मानना चाहए। सर्व शिखा अभियान में निम्नाकित पहलुओं का मुल्यांकन का क्षेत्र बनाया जायेगा।

1. विभिन्न प्रयास और उनके क्रियान्वयन के कियात्मक पहलू।
2. सर्व शिक्षा अभियान के निर्धारित उद्वेश्यों की उपलब्धि में प्रगति ।
3. समुदाय के सहभागिता से सहभागी मूल्यांकन ।
4. बच्चों की उपलब्धि सर्वेक्षण का संचालन बेसलाइन सर्वे और मध्य समय सर्वे ।

8.4 प्रबोधन

प्रबोधन की संरचना शाला प्रबन्धन समिति, ग्राम शिक्षा समिति, खण्ड शिक्षा समिति यथा जिले की कार्यवाही एवं शाषी समिति के स्वरूप को प्रस्तावित किया गया है ताकि विद्यालय स्तर से लेकर जिला स्तर की सूचना संप्रेषण एवं प्रबोधन प्रभावी बन सकें। इस हेतु शाला प्रबन्धन समिति व ग्राम शिक्षा समिति माह में दो बार बैठक रखी जाकर प्रगति का आंकलन कर प्रगति रिपोर्ट खण्ड शिक्षा समिति को प्रेषित करना एवं खण्ड शिक्षा समिति प्रति त्रैमासिक एवं अर्द्ध वार्षिक सूचनाऐं एवं प्रगति की रिपोर्ट जिला स्तर पर प्रस्तुत करेगी। इसमें प्रत्येक स्तर पर बालकों की नामांकन, स्टाफ की स्थिति, उपकरण एवं सहायक सामग्री, उपयोगिता एवं आवश्यकता की समस्त सूचनाऐं प्रगति रिपोर्ट में समाहित की जाएगी तथा जिला स्तर पर इनका त्रैमासिक एवं अर्द्ध वार्षिक विश्लेषण कर प्रबोधन को और अधिक प्रभावी एवं सहज बनाने का प्रस्तावित किया गया है।

इस कार्य को मूर्त रुप एवं गति देने हेतु जिला स्तर पर सर्व शिक्षा अभियान के तहत प्रबोधन हेतु 3 मुख्य कार्यक्रमो को किया जायेगा।

- शैक्षिक प्रबंधन सूचना तन्त्र (EMIS)
- योजना प्रबंधन सूचना तन्त्र (PMIS)
- वित्त प्रबंधन सूचना तन्त्र (FMIS)

प्रबोधन के उद्देश्य

- ◆ प्राथमिक विद्यालय एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर की समस्त जानकारियां जिला स्तर पर हर वर्ष ज्ञात करना व उनका समय पर विश्लेषन करना।
- ◆ नामांकन एवं ठहराव की मॉनिटरिंग करना।
- ◆ विद्यालय में अध्ययनरत छात्रो की परिलब्धियां एवं उपलब्धियां ज्ञात करना जिसमें छात्राओं और सामाजिक संगठनो पर विशेष ध्यान रखना।
- ◆ सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत क्रियान्वित हो रहे सभी कार्यो की मॉनिटरिंग करना।

1. शैक्षिक प्रबंधन सूचना तन्त्र (EMIS)

जिला स्तर पर ई एम आई एस के अन्तर्गत 30 सितम्बर के आधार पर प्रत्येक गांव एवं विद्यालय की सूचना NIEPA द्वारा निर्धारित DISE 2001 के प्रपत्रो में एकत्रित की जायेगी। गांव की सूचनायें हर 3 वर्ष बाद एवं विद्यालय की सूचनाये प्रत्येक वर्ष एकत्रित की जायेगी। ये सूचनाये सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक, एस एम सी के अध्यक्ष, सीआरसीएफ एवं बीआरसीएफ द्वारा प्रमाणित की जायेगी

ई एम आई एस के अन्तर्गत मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है।

- 6-14 आयु वर्ग के बालको को नामांकित करना।
- अध्ययनरत एवं शिक्षा से वंचित बालक बालिकाओ की जानकारी प्राप्त करना।
- अध्यापको की जानकारी देना।
- छात्रो की विभिन्न विषयो में विशेष कार्यो एवं योगयताओ की जानकारी प्राप्त करना।
- नामांकन, ठहराव एवं शिक्षा समाप्ति की जानकारी लेना।
- विद्यालय छात्र अनुपात, कक्षा कक्ष छात्र अनुपात एवं शिक्षक छात्र अनुपात ज्ञात करना।
- विभिन्न हैडस में प्रगति की जानकारी प्रोजेक्ट के अनुसार ज्ञात करना।
- सर्वशिक्षा अभियान के सम्बंध में लक्ष्यो के अनुसार प्राप्ति दर एवं आकड़ो का विश्लेषण करना।
- समय-2 पर समस्त सूचनाओ का आदिनांक करना जिससे की प्रगति की सही समीक्षा की जा सकें।

2. योजना प्रबंधन सूचना तन्त्र (PMIS)

प्रभावी योजना बनाने हेतु सही एवं समयबद्ध सूचना प्राप्त करना एक कठिन एवं जटिल मुद्दा है । सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन हेतु जिला स्तर पर योजना प्रबन्धन सूचना तंत्र (पी.एम.आई.एस.) के द्वारा समस्त सूचनाएं समय-समय पर

एकत्रित की जायेंगी । योजना प्रबन्धन सूचना तंत्र के अन्तर्गत विभिन्न हेड्स के लक्ष्य एवं उनके प्राप्ती के बारे में जानकारी ली जायेगी ।

सर्व शिक्षा अभियान में पी.एम.आई.एस के द्वारा उच्च प्रबन्धन को योजना बनवाने एवं उसके कियान्वयन में सुविधा प्राप्त होगी । इस हेतु पी.एम.आई.एस. के द्वारा समस्त सूचनाएं एक साथ प्राप्त की जा सकेंगी ।

3. वित्त प्रबन्ध सूचना तंत्र (F.M.I.S.)

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सही वित्त प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण एवं जटिल मुद्दा है । इस कार्य हेतु वित्त प्रबन्धन सूचना तंत्र (F.M.I.S.) के द्वारा जिला स्तर पर वित्त सम्बन्धी समस्त खर्चे एवं प्राप्ति की जानकारियां प्राप्त की जा सकती हैं । डी.पी.ई.पी. द्वारा इस कार्य हेतु एक कम्प्यूटर सोफ्टवेयर बनवाया गया है जिसके अन्तर्गत खर्चे, प्राप्तियां, बजट एस्टिमेशन, बजट एलोटमेंट इत्यादि कार्य प्रभावी ढंग से सम्पादित किये जा सकते हैं ।

वित्त प्रबन्धन हेतु विभिन्न रिपोर्ट्स जैसे - कैश बुक, लैजर, कोषप्रवाह, चैक इश्यू, ट्राइल बैलेंस इत्यादि समस्त जानकारियां एक साथ एक ही जगह प्राप्त की जा सकती हैं । अतः वित्त प्रबन्धन सूचना तंत्र (F.M.I.S.) वित्त प्रबन्धन हेतु एक प्रभावी एवं सुदृढ़ सूचना तंत्र हैं ।

प्रबोधन कार्मिक (M.I.S. Staff)

प्रभावी प्रबोधन व्यवस्था हेतु जिला स्तर पर डी.पी.ई.पी. में कार्यरत एम.आई.एस. प्रभारी एवं दो डाटाएन्ट्री ऑपरेटर समस्त कार्य करने हेतु पर्याप्त नहीं हैं । इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला स्तर पर उक्त स्टाफ (एम.आई.एस. प्रभारी एवं दो डाटाएन्ट्री ऑपरेटर) के अतिरिक्त दो कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्य संचालय हेतु आवश्यक हैं ।

इसके अतिरिक्त ब्लॉक स्तर पर एक-एक कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यरत होंगे ।

प्रबोधन संसाधन

सर्व शिक्षा अभियान के प्रभावी प्रबोधन हेतु डी.पी.ई.पी. में उपलब्ध दो कम्प्यूटर सिस्टम के अतिरिक्त दो कम्प्यूटर सिस्टम की जिला स्तर पर आवश्यकता है । ब्लॉक स्तर पर प्रभावी प्रबोधन हेतु एक-एक कम्प्यूटर सिस्टम की आवश्यकता है ।

******

अध्याय-9

प्रबन्धन एवं अनुश्रवण

9.1 भूमिका

वर्तमान वैज्ञानिक एवं तकनीकी युवा में प्रबन्धन न केवल औघागिक क्षेत्र में बल्कि शैक्षिक एवं विकास के अनय क्षेत्रों में भी आवश्यक है । सुदृढ़ प्रबन्धन से ही किसी कार्यक्रम के निहित उद्देश्य समय वृद्ध तरीके से प्राप्त किए जा सकते है । कार्यक्रम की गति, मूल्यांकन प्रगति आदि सुदृढ प्रबन्धन पर ही निर्भर है ।

सर्व शिक्षा अभिसयन की परियाजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जाएगी । इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक होगी इस अवधि में 6-14 आयु वर्ग के सभी बालक बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जाएगी तथा अभियान की क्रियान्विति स्वरूप राज्य स्तर से लेकर ग्राम स्तर पर सुदृढ प्रबंधकीय ढांचा सुनिश्चित किया गया है । अभियान की अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं कौशल विकसित कर लिया जाएगा ।

प्रबन्धन टीम भावना पर आधारित होगी और इसमें व्यक्तिगत पहल को पर्याप्त अवसर उपलब्ध होगें । प्रबन्धन लोकतांन्त्रिक सिद्धान्तों पर आधारित होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता कर सकेगा । समय समय पर समीक्षा और रणनितियों में परिवर्तन के लिए इसे तत्पर रहना होगा । और ये परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होगें।

सबसे नीचले स्तर पर जबाव देही एवं दिन प्रतिदिन के कार्यक्रमों की समीक्षा एवं अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा ।

प्रबन्धन तंत्र के माध्यम से अध्यापकों व छात्रों की नियमित उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी ।

9.2 जिला स्तरीय प्रबन्धन

सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्यो की प्राप्ति के लिये जिला स्तर पर एक कुछ प्रबंधन निम्नानुसार स्टॉफ की व्यवस्था की गई है।

जिला स्तरीय स्टाफ

क्र.सं	पद	संख्या
1	जिला परियोजना समन्वयक	1
2	सहायक जिला परियोजना समन्वयक	4
3	कार्यक्रम सहायक	3
4	कार्यालय सहायक कम स्टेनो (अनुबन्धित)	3
5	सहायक अभियंता	1
6	कनिष्ठ अभियंता	1
7	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर (अनुबन्धित)	2
8	एम आई एस इंचार्ज (अनुबन्धित)	1
9	सहायक लेखाधिकारी	1
10	लेखाकार	2
11	कैशियर कम स्टोर किपर	2
12	सहायक(पीयोन)	5

उपकरण

जिले में 1.50 लाख रुपये की लागत के उपकरण क्रय किये जायेगे जिसके अन्तर्गत एक कम्पयूटर स्थायी रुप से तथा कार्यालय में इन्टरनेट कनैक्शन, जिला परियोजना समन्वयक के निवास पर टेलिफोन कनैक्शन तथा मोबाईल फोन का प्रावधान है।

फर्नीचर

इसके अर्न्तगत एक लाख रुपये का फर्नीचर क्रय करने का प्रावधान है।

जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का सशक्तिकरण

जिला शिक्षा अधिकारी की सशक्त करने के लिये कार्यालय में एक कम्पयूटर मय आपरेटर, फैक्स मशीन, फोटो कोपीयर मशीन के साथ- साथ जिला शिक्षा अधिकारी आवास पर टेलिफोन सुविधा भी प्रदान की जावेगी।

खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रबंधन

खण्ड संदर्भ केन्द्र पर सर्व शिक्षा अभियान की क्रियान्वित के लिये निम्नानुसार स्टॉफ की व्यवस्था रहेगी।

खण्ड स्तरीय स्टॉफ

क्र.सं	पद	संख्या
1	खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी	1
2	कार्यालय सहायक कम स्त्रेनो	1
3	कनिष्ठ अभियंता	1
4	कनिष्ठ लेखाकार	1
5	कम्पयूटर आपरेटर	1
6	सहायक(पियोन)	1

खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण आदि के लिये खण्ड स्तरीय कार्यालय में टीवी, वीसीआर भी देने का प्रावधान रखा गया है।

बीईईओ कार्यालय का सुदृढीकरण

प्रत्येक बीईईओ कार्यालय में टेलिफोन व्यवस्था, फोटो कापीयर मशीन तथा एक कम्पयूटर मय आपरेटर का प्रावधान रखा गया है। बीईईओ को एक रुपये प्रति किमी एवं अधिकतम 1000/- प्रतिमाह वाहन भत्ता दिये जाने का भी प्रावधान है।

संकुल संदर्भ केन्द्र प्रबंधन

जिले के प्रत्येक संकुल संदर्भ केन्द्र पर संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी की नियुक्ति की जाने का प्रावधान है। जो प्रत्येक संकुल के प्रबंधन के कार्य का निर्वाह करेंगा।

क्र.सं	पद	संख्या
1	संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी	1

9.3 अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी (प्रा.शि.) से समन्वयन

जिले में प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम को संचालित करने के लिये एक अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी है। जिनके अधीन एक पूरा कार्यालय चलता है। ये कार्यालय प्राथमिक शिक्षा से जुड़े सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशालाओ के प्रबंधन कार्य को देखते है। इस कार्यालय के पास विद्यालय सम्बन्धी, अध्यापक सम्बन्धी समस्त प्रकार की सूचनाये उपलब्ध होती है। इस कार्यालय से समन्वय स्थापित कर विद्यालय एवं अध्यापक, छात्र नामांकन, ठहराव आदि सूचनाये प्राप्त कर ई एम आई एस तैयार किया जा सकता है। जिले के सभी अध्यापको का प्रशासनिक एवं वित्तिय नियंत्रण मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रा.शि. के पास होने के कारण इनकी सहायता से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत चलाये जाने वाली सभी प्रकार की गतिविधियों यथा प्रशिक्षण, बाल मेले, महिला मिटिंग, स्वास्थय प्रशिक्षण सम्बन्धी कैम्प, वार्षिक बजट तैयार करना आदि-2 कार्यो में सहयोग लिया जावेंगा।

9.4 जिला शाषी परिषद्

योजना के सफल क्रियान्वयन के लिये जिला स्तर पर एक शाषी परिषद् का गठन किया गया है। जो जिले में जिला कार्यालय द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा करेंगी एवं इसी के साथ-साथ जिले में नामांकन, ठहराव एवं गुणवत्ता सुधार की समीक्षा की जायेंगी।शाषी परिषद की बैठक का आयोजन वर्ष में दो बार किया जायेंगा इस परिसद् में जिला परियोजना समन्वयक सदस्य सचिव का कार्य करेंगे। इस समिति के सदस्य निम्नानुसार होंगें।

1.	जिला प्रमुख	अध्यक्ष
2.	जिला कलैक्टर	सदस्य
3.	जिला विधानसभा सदस्यगण	सदस्य
4.	जिला संसद सदस्य	सदस्य
5.	प्रधान पंचायत समिति	सदस्य
6.	अतिरिक्त विकास अधिकारी पंचायत समिति	सदस्य

7.	समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य
8.	महिला एवं बाल विकास अधिकारी	सदस्य
9.	निष्पादक समिति के सभी सदस्य	सदस्य
10	कार्यक्रम अधिकारी	सदस्य
11	जिला परियोजना समन्वयक	सदस्य सचिव

9.5 जिला निष्पादक समिति

परियोजना के लक्ष्यो को प्राप्त करने के लिये जिला स्तर पर एक निष्पादक समिति का गठन किया गया है जो जिला परियोजना समन्वयक को अन्य विभागो के साथ समन्वय स्थापित करने में सहयोग देगी इसी के साथ यह समिति खण्ड संदर्भ केन्द्र एवं संकुल संदर्भ केन्द्र के भवन निर्माण के लिये भूमि उपलब्ध करवायेगी। इस समिति की बैठक त्रैमासिक होगी। इस समिति के सदस्य निम्न प्रकार होंगे।

1.	जिला कलैक्टर	अध्यक्ष
2.	अतिरिक्त जिला कलैक्टर विकास	सदस्य
3.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्	सदस्य
4.	प्रद्यानाचार्य डाईट	सदस्य
5.	उपनिदेशक प्रा.शि.	सदस्य
6.	अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रा.शि.	सदस्य
7.	जिला शिक्षा अधिकारी मा.शि.	सदस्य
8.	उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग	सदस्य
9.	सचिव जिला साक्षरता समिति	सदस्य
10.	अधिक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता (पीडब्लयूडी)	सदस्य
11.	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	सदस्य
12.	युवा समन्वयक नेहरु युवा केन्द्र	सदस्य
13.	जन संपर्क अधिकारी	सदस्य
14.	शिक्षाविद्(2)	सदस्य

अध्यक्ष द्वारा मनोनित

15. सहायता प्राप्त शिक्षण संस्था का प्रतिनिधि(1) सदस्य

अध्यक्ष द्वारा मनोनित

16. अध्यापक संघ के प्रतिनिधि(2) सदस्य

अध्यक्ष द्वारा मनोनित

17. जिला परियोजना समन्वयक सदस्य सचिव

9.6 जिला संदर्भ समुह

जिला स्तर पर एक जिला संदर्भ समुह होगा जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना समन्वयक को अभियान के अन्तर्गत आने वाले क्रिया कलापों के सन्दर्भ में मार्ग दर्शन करेगा।

(अ) उद्देश्य

1. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के संचालन एवं तकनीकी सुझाव देना।
2. सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय द्वारा तैयार किये गये सभी प्रकार के फोल्डर्स, पोस्टर्स व ब्रोसर तथा उनका साहिन्य तैयार करने में मदद करना।
3. जिला संदर्भ समूह विशेष रुप से वर्तमान आवश्यकता के अनुसार नवाचार के बारे में सुझाव देगी।
4. विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय स्थापित किये जाने में जिला संदर्भ समुह अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।
5. सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत साथ-साथ मूल्यांकन एवं उनका निरीक्षण एवं परिवीक्षण की व्यवस्था करेंगी।

जिला संदर्भ समुह में निम्नानुसार सदस्य होंगे।

1. प्रद्यानाचार्य डाइट
2. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रा.शि.
3. सचिव जिला साक्षरता समिति

4. जिला परियोजना समन्वयक
5. गैर सरकारी संगठन के प्रतिनिधि(2)
6. समाचार पत्र के संवाददाता(2)
7. शिक्षा कर्मी सहयोगी(1)
8. महिला प्रतिनिधि(1)
9. विशेषज्ञ(Pedagogy/Training/Gender&ECE/AS/Community mobilization)प्रत्येक क्षेत्र से एक
10. सम्बन्धित कार्यक्रम प्रभारी सदस्य सचिव

इस समिति की बैठक त्रैमासिक होगी जिसमें सम्बन्धित गतिविधि का कार्यक्रम सहायक इस बैठक में उपस्थित होकर कार्यक्रम का संचालन करेंगे।

9.7 खण्ड संदर्भ केन्द्र

ब्लॉक स्तर पर सभी प्रकार के प्रशिक्षण संचालित करने का दायित्व खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी का होगा। सी आर सी एफ की मासिक बैठको का संचालन करेगा एवं इनके द्वारा संकुल संदर्भ केन्द्र से संचालित होने वाली गतिविधियो का लेखा जोखा एवं वित्त सम्बन्धि समस्त लेखे प्राप्त कर जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय में बीआरसीएफ की होने वाली बैठको में प्रस्तुत करेंगें।

9.8 खण्ड शिक्षा समिति

खण्ड स्तर पर शिक्षा सम्बन्धी गतिविधियो के संचालन में सहयोग प्रदान करने के लिये एक शिक्षा समिति होगी जो शैक्षिक गतिविधियो के सुसंचालन में सहयोग प्रदान करेंगी। पंचायत समिति में बनायी गयी शिक्षा समिति के सदस्य ही इस समिति के सदस्य होंगे।

- सम्बन्धित पंचायत समिति प्रधान — सदस्य
- ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी (प्रा.शि) — सदस्य
- बाल विकास परियोजना अधिकारी — सदस्य

- प्रधानाचार्य राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय — सदस्य
- शिक्षाविद् — सदस्य
- प्रचेता बाल विकास परियोजना कार्यालय — सदस्य
- सरपंच ग्राम पंचायत (अधिकतम तीन जिनमें महिलाआवश्यक है) — सदस्य
- पंचायत समिति सदस्य (अधिकतम-3) — सदस्य
- जिला परिषद सदस्य — सदस्य

अधिकार एवं दायित्व

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लॉक संसाधन केन्द्र एवं संकुल संसाधन केन्द्रों के बीच समन्वयन स्थापित करना, जिला परियोजना समिति के निर्णयों की अनुपालना सुनिश्चित करना एवं खण्ड संकुल तथा ग्राम स्तर की गतिविधियों का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण करना होगा । यह समिति ग्राम शिक्षा समिति एवं जिला रियोजना शिक्षा समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगा ।

9.9 संकुल संदर्भ केन्द्र

जिले में आने वाले समस्त प्रा., उ.प्रा., राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ति पाठशाला को मिलाकर पूरे जिले को संकुल केन्द्रो में बांटा जायेगा। इस संकुल संदर्भ केन्द्र का प्रभारी अपने संकुल संदर्भ केन्द्र में आने वाले विद्यालयो में शैक्षिक सम्बलन प्रदान करेंगे एवं विभिन्न गतिविधियो के संचालन के लिये वित्त का भी निरीक्षण करेंगे। समय-समय पर संकुल संदर्भ केन्द्र पर शिक्षको की बैठक आयोजित कर समस्त प्रकार की गतिविधियो का मूल्यांकन करेंगें एवं इसकी सूचना खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी को देंगें।

9.10 संकुल संदर्भ समूह

संकुल स्तर पर अध्यापको का एक विषयवार समूह तैयार किया जायेगा जो विषयवार अध्यापको को नवाचार एवं शैक्षिक गतिविधियो की जानकारी दे सकें।

9.11 विद्यालय प्रबन्धन समिति

प्रत्येक विद्यालय में एक विद्यालय प्रबन्धन समिति का गठन किया जायेगा जिसमें अध्यक्ष उस ग्राम पंचायत का पंच अथवा सरपंच होगा इसके साथ अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं महिला सदस्यो को लिया जायेगा। इसके सदस्य निम्नानुसार होंगें।

1. पंच/सरपंच ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
2. सम्बन्धित विद्यालय का प्रधानाध्यापक	सदस्य सचिव
3. पंच/सरपंच	सदस्य
4. महिला प्रतिनिधि	सदस्य
5. अनुसूचित जाति/ जनजाति/वंचितवर्ग	सदस्य(2)
6. आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	सदस्य
7. सेवानिवृत कर्मचारी	सदस्य
8. प्रतिनिधि युवा क्लब	सदस्य
9. महिला कार्यकर्ता	सदस्य
10. अभिभावक प्रतिनिधि(एक पुरुष/एक महिला)	सदस्य

विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्य

1. समिति के सदस्य प्राथमिक शिक्षा से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियो को संचालित करेंगे
2. विद्यालय के लिये स्थान का उपयुक्त चयन करेंगे।
3. विद्यालयो को मिलने वाली विद्यालय सहायता राशी का उपयोग विद्यालय की आवश्यकता के अनुसार करेंगे।
4. गांव के सभी बालको का नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करेंगें।
5. विद्यालय में होने वाली सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं बाल मेंले आदि के संचालन में सक्रिय भुमिका निभायेंगे।

6. आंगनबाड़ी केन्द्रो वैकल्पिक विद्यालयों के उपलब्धि एवं सफलताओ का मुल्यांकन करेंगे।
7. विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र मे उत्कर्षठ उपलब्धियां प्राप्त करने वाले छात्रो एवं अध्यापको को सम्मानित किया जायेंगा।
8. समय-समय पर प्रवेशोत्सव आदि कार्यक्रम आयोजित करेंगें।
9. गांवो में ही उपलब्ध संसाधनो का उपयोग कर अध्ययन अध्यापन में शैक्षिक गुणवत्ता प्राप्त करेंगें।
10. विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यो का भ्रमण आयोजित करवायेंगे।

9.12 भवन निर्माण समिति

प्रत्येक विद्यालय में एक भवन निर्माण समिति का गठन किया जायेगा जो विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्यो में से ही चुनी जायेंगी। यह समिति विद्यालय में होने वाले मरम्मत कार्य/नवनिर्माण आदि कार्य करेंगे। इस समिति के सदस्य निम्न प्रकार होंगे।

सरपंच/पंच/पार्षद सम्बन्धित ग्राम पंचायत	अध्यक्ष
प्रधानाध्यापक सम्बन्धित विद्यालय	सचिव
ग्राम का प्रमुख मिस्त्री	सदस्य
उत्साहित ग्रामीण जन(2)	सदस्य
जागरुक व जिम्मेदार महिला	सदस्य

9.13 कोष प्रवाह

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कोष का प्रवाह राज्य स्तरीय कार्यालय से जिला स्तरीय कार्यालय को होगा तत्पश्चात जिला स्तरीय कार्यालय से खण्ड संदर्भ केन्द्र कार्यालय एवं खण्ड संदर्भ केन्द्र कार्यालय से संकुल संदर्भ केन्द्र कार्यालय पर होगा।

राज्य परियोजना कार्यालय

↓

जिला परियोजना कार्यालय

↓

ब्लॉक संदर्भ केन्द्र

↓

संकुल संदर्भ केन्द्र

↓

विद्यालय प्रबन्धन समिति

9.14 जिला स्तरीय संरचना

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला स्तरीय संरचना निम्न प्रकार होगी।

जिला शिक्षा समिति

↓

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.

↓

जिला परियोजना समन्वयक(प्रोजेक्ट)

↓

खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी

↓

संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी

9.15 प्रशासकीय प्रबन्धन

जिला शिक्षा अधिकारी प्रा.शि.

↓

खण्ड शिक्षा अधिकारी

9.16 शैक्षिक संबलन

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शेक्षिक संबलन हेतु निम्न प्रकार की संरचना रहेगी।

जिला परियोजना समन्वयक(प्रोजेक्ट)

↓

खण्ड संदर्भ केन्द्र प्रभारी

↓

संकुल संदर्भ केन्द्र प्रभारी

******

अध्याय-10

निर्माण कार्य

10.1 भूमिका

विद्यालय स्तर पर रुचिकर एवं आनन्ददायी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा व्यवस्था उपलब्ध करवाने के लिए पर्याप्त मात्रा में आधारभूत भौतिक संसाधन उपलब्ध करवाना सर्व शिक्षा अभियान की पहली प्राथमिकता है । विद्यालय का भौतिक वातावरण एवं परिवेश इतना आकर्षक और प्रभावशाली हो की लर्नर स्वतः ही विद्यालय की और आकर्षित हो, तभी सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सार्वजनीकरण के लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है । इसी अवधारणा को ध्यान में रखकर सर्व शिक्षा अभियान में विद्यालय में दी जाने वाली विभिन्न व्यवस्थाओं यथा, विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय/मूत्रालय/पेयजल सूविधा एवं फिसलन पट्टी निर्माण को प्राथमिकता प्रदान की गई है ।

10.2 नये विद्यालय भवन

तीन कक्षा कक्ष मय बरामदा बनवाने हेतु 3.60 लाख रुपये की लागत से नया भवन बनवाना प्रस्तावित है । हनुमानगढ़ जिले में 55 विद्यालय में 3 कक्षा कक्ष मय बरामदा बनाने का प्रावधान एवं 5 विद्यालयो में 2 कक्षा कक्ष मय बरामदा में रखा गया है। विद्यालय भवन का निर्माण के कार्य हेतु विद्यालय प्रबन्धन समिति इस कार्य हेतु उत्तरदायी होगी।

तीन कक्षा कक्ष मय बरामदा (लागत - 3.60 लाख रुपये)

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-2010
संख्या	22	-	-	13	-	-	-
लागत (लाखो में)	79.2	-	-	46.8	-	-	-

दो कक्षा कक्ष मय बरामदा (लागत - 2.56 लाख रुपये)

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-2010
संख्या	-	-	5	-	-	-	-
लागत (लाखो में)	-	-	12.8	-	-	-	-

10.3 अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण -

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक को शिक्षण व्यवस्था हेतु एक कक्षा कक्ष उपलब्ध करवाने का प्रावधान है । इस कार्य हेतु डी.पी.ई.पी., हनुमानगढ़ द्वारा करवाये गये डाइस 2002 सर्वेक्षण के अनुसार आवश्यकता में से 325 अतिरिक्त कक्षा कक्षों की व्यवस्था सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखी गयी है शेष का निर्माण डी.पी.ई.पी के अन्तर्गत करवाया जायेंगा । यह कक्षा कक्ष छात्रों को शिक्षण व्यवस्था हेतु न्यूनतम जगह उपलब्ध करवाने हेतु कृत संकल्प है । अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण हेतु 1.20 लाख रुपये निर्धारित हैं । अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण का दायित्व विद्यालय प्रबन्धन समिति का होगा ।

अतिरिक्त कक्षा कक्ष - (लागत - 1.20 लाख रुपये)

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-2010
संख्या	30	75	100	120	-	-	-
लागत (लाखो में)	36	90	120	144	-	-	-

10.4 शौचालय निर्माण -

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रत्येक प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं हेतु प्रथक्-प्रथक् शौचालय उपलब्ध करवाने का प्रावधान है । इस कार्य हेतु डी.पी.ई.पी., हनुमानगढ़ द्वारा करवाये गये डाइस 2001 सर्वेक्षण के आयी आवश्यकता में से 200 शौचालय का निर्माण सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत करवाये जाने का प्रावधान रखा गया है शेष का निर्माण डी.पी.ई.पी. योजना के अन्तर्गत किया जायेंगा।यह शौचालय छात्रों को विद्यालय में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने हेतु आवश्यक

है । शौचालय निर्माण हेतु प्रति शौचालय 10,000 रुपये निर्धारित हैं । शौचालय निर्माण का दायित्व भी विद्यालय प्रबन्धन समिति का होगा

शौचालय - (लागत - 10,000 रुपये)

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-2010
संख्या	50	50	50	50	-	-	-
लागत (लाखो में)	5	5	5	5	-	-	-

10.5 पीने के पानी की सुविधा -

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 6-14 आयु वर्ग के ज्यादा से ज्यादा छात्रों को सुविधाऐं उपलब्ध करवाने हेतु पीने के पानी की व्यवस्था का प्रावधान है। इस हेतु शहरी क्षेत्र में P.H.E.D. कनेक्शन द्वारा पानी की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी और ग्रामीण क्षेत्र में हैण्ड पम्प सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी । ऐसे स्थान जहाँ पेय जल की अत्यधिक कमी है वहाँ बरसाती पानी के एकत्रीकरण हेतु टांका निर्माण की सुविधा उपलब्ध करवायी जायेगी । हनुमानगढ़ जिले के समस्त ब्लॉकों में डाइस 2002 के अनुसार आयी आवश्यकता में से 105 विद्यालयों में पेय जल व्यवस्था उपलब्ध करवाने की व्यवस्था सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत रखी गयी है शेष का निर्माण डी.पी.ई.पी योजना के द्वारा किया जायेगा। P.H.E.D. द्वारा पेय जल सुविधा उपलब्ध करवाने हेतु 20,000 रुपये का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपम्प व्यवस्था एवं टांका निर्माण हेतु 50,000 रुपये उपलब्ध करवाने का प्रावधान है । विद्यालय प्रबन्धन समिति इस कार्य हेतु उत्तरदायी होगी ।

पेय जल सुविधा - P.H.E.D. द्वारा पेय जल सुविधा (लागत - 20,000 रुपये)

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-2010
संख्या	10	20	20	20	-	-	-
लागत (लाखो में)	20.00	40.00	40.00	40.00	-	-	-

हैण्डपम्प/टांका निर्माण द्वारा पेय जल सुविधा (लागत - 50,000 रुपये)

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-2010
संख्या	5	10	10	10	-	-	-
लागत (लाखो में)	2.5	5.00	5.00	5.00	-	-	-

10.6 रैम्प निर्माण (Ramp)

शिक्षा क्षेत्र का में शतप्रतिशत उपलब्धि तभी अर्जित होगी जब 6-14 आयु वर्ग के प्रत्येक बालक/बालिकाएं शिक्षा से जुड़े होंगे । इस हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विकलांग बालक/बालिकाओं को अतिरिक्त सुविधा के रुप में आवश्यकता होने पर रैम्प (Ramp) निर्माण करवाया जायेगा । डाइस 2002 के अनुसार हनुमानगढ़ जिले के समस्त ब्लॉकों में 80 विद्यालयों में रैम्प निर्माण की आवश्यकता है । प्रत्येक रैम्प की लागत 20,000 रुपये रखी गयी है । यह कार्य विद्यालय प्रबन्धन समिति द्वारा करवाया जायेगा ।

रैम्प - (लागत - 20,000 रुपये)

वर्ष	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-2010
संख्या	20	20	20	20	-	-	-
लागत (लाखो में)	4.00	4.00	4.00	4.00	-	-	-

10.8 निर्माण कार्य की प्रक्रिया

निर्माण कार्य जनसहभागिता के आधार पर करवाया जायेगा जिसमें प्रति विद्यालय के लिये एक भवन निर्माण समिति का गठन होगा जो डी.पी.ई.पी योजना के अन्तर्गत पूर्व में करवा लिया गया है। इस समिति के द्वारा ही विद्यालय में भवन, शौचालय, चारदिवारी, पीने के पानी की व्यवस्था के लिये टांके/हैण्डपम्प/पीएचईडी कनैक्शन आदि का निर्माण एवं मरम्मत कार्य करवाया जायेगा। इस कार्य को तकनीकी सहायता देने के लिये सहायक अभियन्ता एवं कनिष्ठ अभियंता लगाये जायेंगे जो सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत दिये

गये डिजाइन के अनुसार सम्बन्धित विद्यालयो में बीआरसी/ सीआरसी/ अतिरिक्त कक्षा कक्षा/ शौचालय का निर्माण राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशानिर्देशो के अनुसार तखमिना तैयार कर सभी प्रकार के निर्माण में भवन निर्माण समिति का तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे।

निर्माण कार्य की आवश्यकता एवं पूर्ती

क.सं.	विवरण	जिले की आवश्यकता	सर्वशिक्षा अभियान के प्रस्ताव	डी.पी.ई.पी. के प्रस्ताव	अन्तर
1	विद्यालय भवन 3 कक्षा कक्ष मय बरामदा	377	35	-	342
2	विद्यालय भवन 2 कक्षा कक्ष मय बरामदा	7	5	-	2
2	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	3065	425	-	2640
3	शौचालय	1080	200	564	316
4	पीने के पानी की सुविधा हैण्डपम्प	438	35	380	25
5	PHED/ टांका निर्माण	115	70	45	-
6	रैम्प	110	80	-	30

******

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

DISTRICT- HANUMANGARH

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**												
	1.1	**Honorarium of additional para teacher**	Number	0.84		0		0		0		0	0	0
		1st year	Number	0.18										
		11nd year	Number	0.204										
		111rd year	Number	0.228										
		1V year	Number	0.252										
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**												
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	15755	133.12975	14142	119.5	12449	105.194	10672	90.178	53018	448.0021
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**				0		0		0		0	0	0
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	0	0		0		0	13	6.5	13	6.5
	3.2	Salary of Head Master in 1st year	Number	0.9	0	0	0	0	0	0	13	11.7	13	11.7
		Salary of Head Master in next year	Number	1.2	22	26.4	22	26.4	22	26.4	22	26.4	88	105.6
	3.3	Salary of Teacher in 1st year	Number	0.63	0	0		0		0	13	8.19	13	8.19
		Salary of Teacher in next year	Number	0.84	44	36.96	66	55.44	66	55.44	66	55.44	242	203.28
4		**Class Room**												
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	30	36	75	90	100	120	120	144	325	390
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	20	10	20	10	20	10	20	10	80	40
5		**Free Text Book**												
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	7500	7.5	7700	7.7	7900	7.9	8100	8.1	31200	31.2
6		**Civil Work**				0		0		0		0	0	0
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56		0		0	5	12.8	0	0	5	12.8
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	22	79.2		0		0	13	46.8	35	126
	6.3	Toilets	Number	0.1	50	5	50	5	50	5	50	5	200	20
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	5	2.5	10	5	10	5	10	5	35	17.5
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	10	2	20	4	20	4	20	4	70	14
	6.6	Ramps	Number	0.2	20	4	20	4	20	4	20	4	80	16
	6.7	Construction of BRC	Number	6		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.8	Construction of CRC	Number	2		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50	1	50	1	50	1	50	4	200
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	20	2.5	40	5	40	5	50	6.25	150	18.75
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	15	3.75	25	6.25	50	12.5	100	25	190	47.5
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.5	150	37.5	100	25	100	25	400	100
7		**Maintinance & Repairs**												
	7.1	Primary School	Number	0.05	536	26.8	566	28.3	596	29.8	626	31.3	2324	116.2
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	313	15.65	313	15.65	313	15.65	313	15.65	1252	62.6
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**												
	8.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.1	30	3	30	3	30	3	30	3	120	12
	8.2	Teacher Salary in first year	Number	0.63	30	18.9	30	18.9	30	18.9	30	18.9	120	75.6
		Teacher Salary in next year		0.84			30	25.2	60	50.4	90	75.6	180	151.2
	8.3	Honorarium of Para Teacher (2)												
	8.3.1	Ist Year	Number	0.135	30	4.05	30	4.05	30	4.05	30	4.05	120	16.2
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204		0	30	6.12	30	6.12	30	6.12	90	18.36
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228		0	0	0	30	6.84	30	6.84	60	13.68
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252		0		0	0	0	30	7.56	30	7.56
10		**School Grant**				0		0		0		0	0	0
	10.1	Primary School	Number	0.02	536		566		596		626		2324	0
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	313	6.26	313	6.26	313	6.26	313	6.26	1252	25.04
11		**Teachers Grant**				0		0		0		0	0	0
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	1570		1630		1690		1750		6640	0
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2488	12.44	2510	12.55	2510	12.55	2536	12.68	10044	50.22
12		**Teachers Training**												

DISTRICT: HANUMANGARH

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	1540		1570		1600		1630		6340	0
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	2488		2510	35.14	2510	35.14	2536	35.504	10044	105.784
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042		0	227	9.534		0		0	227	9.534
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	30	0.63	60	1.26	90	1.89	120	2.52	300	6.3
14		**Training for Community Leaders**												
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2504	1.5024	2504	1.5024	2504	1.5024	2504	1.5024	10016	6.0096
15		**Provision for Disabled Children**												
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	497	5.964	497	5.964	497	5.964	497	5.964	1988	23.856
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**												
	16.1	Primary School	Number	0.014	536	7.504	566	7.924	596	8.344	626	8.764	2324	32.536
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	313		313	4.382	313	4.382	313	4.382	1252	13.146
17		**Management Cost**				0		0		0		0	0	0
	17.1	***District Project Office***				0		0		0		0	0	0
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4		0		0		0	1	1.2	1	1.2
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	1	2.04	1	2.04	1	2.04	4	5.1	7	11.22
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	1	1.44	1	1.44	1	1.44	3	2.88	6	7.2
	17.1.4	Salary of Asstt. Engg. (1)	Number	1.8		0		0		0	1	0.9	1	0.9
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68		0		0		0	1	0.84	1	0.84
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2		0		0		0	1	0.6	1	0.6
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.84	1	0.84	1	0.84	1	0.84	4	3.36
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0		0		0	1	0.3	1	0.3
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	1	0.48	1	0.48	1	0.48	4	0.96	7	2.4
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306		0		0		0	3	0.459	3	0.459
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306		0		0		0	1	0.153	1	0.153
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3	2	3	2	3	2	3	8	12
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.5		0		0		0	1	1.5
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84		0		0		0	5	2.1	5	2.1
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1		0		0		0	1	1
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	5	1	5	1	5	1	5	1	5	4	20
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***				0		0		0		0	0	0
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	1	1.5	4	6
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.1		0		0		0	1	1.1
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.84	1	0.84	1	0.84	1	0.84	4	3.36
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	4	0.8
	17.3	***BRCF Office***				0		0		0		0	0	0
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96		0		0		0	3	2.94	3	2.94
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44		0	0	0	0	0	11	7.92	11	7.92
	17.3.3	Salary of Junior Engg.	Number	1.44		0	0	0	0	0	3	2.16	3	2.16
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	3	3.24	3	3.24	3	3.24	3	3.24	12	12.96
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6		0	0	0	0	0	3	0.9	3	0.9
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48		0	0	0	0	0	3	0.72	3	0.72
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306		0	0	0	0	0	3	0.459	3	0.459
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***				0		0		0		0	0	0
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	3	2.55		0		0		0	3	2.55
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	3	0.36	3	0.36	3	0.36	3	0.36	12	1.44
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	3	0.3	3	0.3	3	0.3	3	0.3	12	1.2
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	3	2.52	3	2.52	3	2.52	3	2.52	12	10.08
	17.5	***CRCF Office***				0		0		0		0	0	0
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2		0		0		0	57	34.2	57	34.2
18		**Innovation**	Districts	50	1	50	1	50	1	50	1	50	4	200
19	19.1	**Block Resource Center**				0		0		0		0	0	0

SARVA SHIKSHA ABHIYAN 2003-07

DISTRICT HANUMANGARH

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0		0		0		0	0	0
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	3	0.375	3	0.375	3	0.375	3	0.375	12	1.5
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	3	0.18	3	0.18	3	0.18	3	0.18	12	0.72
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	3	0.15	3	0.15	3	0.15	3	0.15	12	0.6
	19.2	**Cluster Resource Center**				0		0		0		0	0	0
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	0.1		0		0		0		0	0	0
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	57	1.425	57	1.425	57	1.425	57	1.425	228	5.7
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	57	1.368	57	1.368	57	1.368	57	1.368	228	5.472
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	57	0.57	57	0.57	57	0.57	57	0.57	228	2.28
20		**Interventions for Out of School Children**				0		0		0		0	0	0
	20.3	Different Intervention for out of school children	Child	0.00845	2000	16.9	1500	12.675	1000	8.45	500	4.225	5000	42.25
21		**Community Mobilisation**				0		0		0		0	0	0
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	Village	0.01	849	8.49	879	8.79		0		0	1728	17.28
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	1	0.2	4	0.8
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	251	5.02	251	5.02	251	5.02	251	5.02	1004	20.08
		Grand Total				626.72815		714.039		748.524		924.26		3013.5507
		Total of Civil work				207.45		216.75		253.3		325.05		1002.55
		% of Civil works				33.100476		30.3555		33.8399		35.169		33.268065
		Total of Management				24.67		18.52		18.52		30.052		91.762
		% of Management				3.9363159		2.59369		2.4742		3.2515		3.0449795

अध्याय-12

वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2003-04

12.1 ई.जी.एस.

- इस योजना के अन्तर्गत 15755 बालक बालिकाये नामांकित होगी जिसके लिये प्रत्येक बालक/बालिका पर विभिन्न मदो में 845 रुपये प्रति बालक की दर से खर्च किया जायेगा।

12.2 अतिरिक्त कक्षा कक्ष

- जिले में संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालयो में कक्षा कक्षो की पूर्ति हेतु 105 अतिरिक्त कक्षा कक्ष बनाये जाने का लक्ष्य रखा गया है।
- जिन उच्च प्राथमिक विद्यालयो में प्रधानाध्यापक कक्ष नही है ऐसे विद्यालयो के लिये इस वर्ष 20 प्रधानाध्यापक कक्ष रखा गया है।

12.3 फ्री टैक्सट बुक

- उच्च प्राथमिक विद्यालयो में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के 7500 बालको के लिये फ्री टैक्सट बुक का प्रावधान रखा गया है।

12.4 निर्माण कार्य

- वित्तीय वर्ष 2003-04 में 22 विद्यालय भवन तीन कक्षा कक्ष बनाने का प्रावधान रखा गया है।
- वित्तीय वर्ष 2003-04 में 150 शौचालय निर्माण कराने का प्रावधान रखा गया है।
- वित्तीय वर्ष 2003-04 में 10 पीएचईडी कनैक्शन निर्माण कराने का प्रावधान रखा गया है।
- वित्तीय वर्ष 2003-04 में 20 रैम्प निर्माण कराने का प्रावधान रखा गया है।
- 50 विद्यालयो में खेल गतिविधियो हेतु प्रावधान रखा गया है।
- 536 प्राथमिक एवं 313 उच्च प्राथमिक विद्यालयो को 5000/- प्रत्येक विद्यालय को मेन्टेनेन्स राशि देने का प्रावधान किया गया है।

12.5 ईजीसी एवं वैकल्पिक विद्यालयो की प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तण

- ऐसे ईजीसी एवं एएस विद्यालय जो सर्व शिक्षा अभियान के निर्धारित मापदण्ड पूर्ण करते है ऐसे 30 विद्यालयो को इस वर्ष प्राथमिक विद्यालय में परिवर्तित किया जायेगा।

12.6 विद्यालय सुविद्या राशि

- 536 प्राथमिक विद्यालय 313 उच्च प्राथमिक विद्यालय तथा

12.7 अध्यापक प्रशिक्षण

- प्राथमिक एवं नये प्राथमिक विद्यालये के 1570 अध्यापको को प्रशिक्षण दिया जायेगा इसी प्रकार उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं नये उच्च प्राथमिक विद्यालये के अध्यापको को भी 2488 20 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।

12.8 निशक्त बालको को सहायता

- 497 निशक्त बालको को विकलांग भत्ता दिया जायेगा।

12.9 सामुदायिक गतिशीलता

- 849 गांवो में ग्राम स्तर पर शैक्षिक उब्नयन हेतु बैठको का आयोजन किया जायेगा।
- 251 ग्राम पंचायतो पर पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था की जायेगी।

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
1		**Additional Teacher**								
	1.1	Honorarium ofAdditional Para Teacher								
		Ist Year	Number	0.18	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IInd Year	Number	0.204	0	0.000	0	0.000	0	0.000
		IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
		IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
2		**Education Gaurantee Scheme (EGS)**								
	2.1	No. of Children in Primary School	Child	0.00845	15755	133.130		0.000	15755	133.130
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**								
	3.1	Teaching Learning Equipments	New UPS	0.5	0	0.000	22	11.000	22	11.000
	3.2	Salary of Head Master in Ist year	Number	0.9	0	0.000		0.000	0	0.000
		Salary of Head Master in Next year	Number	1.2	22	26.400		0.000	22	26.400
	3.3	Salary of Teacher in Ist Year	Number	0.63	0	0.000		0.000	0	0.000
		Salary of Teacher in Next Year	Number	0.84	44	36.960		0.000	44	36.960
4		**Class Room**								
	4.2	Additional Class Room in UPS	Room	1.2	30	36.000	83	99.600	113	135.600
	4.3	HM Room in UPS	Room	0.5	20	10.000		0.000	20	10.000
5		**Free Text Book**								
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	Child	0.001	7500	7.500		0.000	7500	7.500
6		**Civil Work**								
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)	Number	2.56	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	Number	3.6	22	79.200		0.000	22	79.200
	6.3	Toilets	Number	0.1	50	5.000	137	13.700	187	18.700
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	Number	0.5	5	2.500		0.000	5	2.500
	6.5	PHED Connections	Number	0.2	10	2.000		0.000	10	2.000
	6.6	Ramps	Number	0.2	20	4.000		0.000	20	4.000
	6.7	Construction of BRC	Number	6	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.8	Construction of CRC	Number	2	0	0.000		0.000	0	0.000
	6.9	Boundary Wall	Lumpsum	50	1	50.000		0.000	1	50.000
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	Number	0.125	20	2.500		0.000	20	2.500
	6.11	Major Repairs (per classrooms	Number	0.25	15	3.750		0.000	15	3.750
	6.11	Provision of Play Elements to School	Number	0.25	50	12.500		0.000	50	12.500
7		**Maintinance & Repairs**								
	7.1	Primary School	Number	0.05	536	26.800		0.000	536	26.800
	7.3	Upper Primary School	Number	0.05	313	15.650		0.000	313	15.650
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**								
	8.1	Teaching Learning Equipments	New PS	0.1	30	3.000		0.000	30	3.000
	8.2	Teacher Salary in Ist Year	Number	0.63	30	18.900		0.000	30	18.900
		Teacher Salary in next Year	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3	Honorarium of Para Teacher								
	8.3.1	Ist Year	Number	0.18	30	4.050		0.000	30	4.050
	8.3.2	IInd Year	Number	0.204	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3.3	IIIrd Year	Number	0.228	0	0.000		0.000	0	0.000
	8.3.4	IVth Year	Number	0.252	0	0.000		0.000	0	0.000
10		**School Grant**								
	10.1	Primary School	Number	0.02	536	0.000		0.000	536	0.000
	10.3	Upper Primary School	Number	0.02	313	6.260		0.000	313	6.260
11		**Teachers Grant**								
	11.1	Teachers in Primary School	Number	0.005	1570	0.000			1570	0.000

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	11.3	Teachers in Upper Primary School	Number	0.005	2488	12.440		0.000	2488	12.440
12		**Teachers Training**								
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)	Number	0.014	1540	0.000			1540	0.000
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)	Number	0.014	2488	0.000	1266	17.724	3754	17.724
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)	Number	0.042	0	0.000		0.000	0	0.000
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	Number	0.021	30	0.630		0.000	30	0.630
14		**Training for Community Leaders**								
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	Number	0.0006	2504	1.502		0.000	2504	1.502
15		**Provision for Disabled Children**			0	0.000			0	0.000
	15.1	Disabled Children	Number	0.012	497	5.964		0.000	497	5.964
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**								
	16.1	Primary School	Number	0.014	536	7.504	0	0.000	536	7.504
	16.3	Upper Primary School	Number	0.014	313	0.000	301	4.214	614	4.214
17		**Management Cost**								
	17.1	*District Project Office*			0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)	Number	2.4	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	Number	2.04	1	2.040		0.000	1	2.040
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	Number	1.44	1	1.440		0.000	1	1.440
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)	Number	1.8	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.5	Salary of AAO (1)	Number	1.68	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.7	Salary of UDC (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.1.8	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	Number	0.48	1	0.480		0.000	1	0.480
	17.1.10	Peon on Contract (3)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.11	Watchmen (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	Number	1.5	2	3.000		0.000	2	3.000
	17.1.13	Equipment	Lumpsum	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)	Number	0.84	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.1.15	Furniture	Lumpsum	1	1	1.000		0.000	1	1.000
	17.1.16	Reccuring Expanditure	Lumpsum	2	1	5.000		0.000	1	5.000
	17.2	*Strengthening of DEEO Office*								
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	Number	1.5	1	1.500		0.000	1	1.500

Norms	S.No.	Name of Activities	Unit	Unit Cost	Fresh Proposals		Spillover		Total	
					Phy	Fin	Phy	Fin	Phy	Fin
	17.2.2	Equipment	Lumpsum	1.1	1	1.100		0.000	1	1.100
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	1	0.840		0.000	1	0.840
	17.2.4	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	17.3	***BRCF Office***								
	17.3.1	Salary of BRCF	Number	1.96	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.3	Salary of Junior Engg.	Number	1.44	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	Number	1.08	3	3.240		0.000	3	3.240
	17.3.5	Salary of LDC (1)	Number	0.6	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)	Number	0.48	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.3.7	Peon on Contract (1)	Number	0.306	0	0.000		0.000	0	0.000
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***								
	17.4.1	Equipment	Lumpsum	0.85	3	2.550		0.000	3	2.550
	17.4.2	Vehicle Allowance	Number	0.12	3	0.360		0.000	3	0.360
	17.4.3	Reccuring Expanditure	Lumpsum	0.1	3	0.300		0.000	3	0.300
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	Number	0.84	3	2.520		0.000	3	2.520
	17.5	***CRCF Office***								
	17.5.1	Salary of CRCF	Number	1.2	0	0.000		0.000	0	0.000
18		**Innovation**	Districts	50	1	50.000		0.000	1	50.000
19	**19.1**	**Block Resource Center**								
	19.1.1	Furniture	Lumpsum	1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.1.2	Contingency	Lumpsum	0.125	3	0.375		0.000	3	0.375
	19.1.3	Travel Allowance	Number	0.06	3	0.180		0.000	3	0.180
	19.1.4	TLM Grant	Number	0.05	3	0.150		0.000	3	0.150
	19.2	**Cluster Resource Center**								
	19.2.1	Furniture	Lumpsum	3.1	0	0.000		0.000	0	0.000
	19.2.2	Contingency	Lumpsum	0.025	57	1.425		0.000	57	1.425
	19.2.3	Travel Allowance	Number	0.024	57	1.368		0.000	57	1.368
	19.2.4	TLM Grant	Number	0.01	57	0.570		0.000	57	0.570
20		**Interventions for Out of School Children**								
	20.1	Different Interventions for Out of School Children	Child	0.00845	2000	16.900		0.000	2000	16.900
21		**Community Mobilisation**								
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	school	0.01	849	8.490		0.000	849	8.490
	21.2	Doveloping Awarness Material	Lumpsum	0.2	1	0.200		0.000	1	0.200
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	Panchayat	0.02	251	5.020		0.000	251	5.020
		Grand Total				**626.728**		**146.238**		**772.966**
		Total of Civil work				207.450		113.300		320.750
		% of Civil works				33.10		77.48		41.50
		Total of Management				24.670		0.000		24.670
		% of Management				3.94		0.00		3.19

DISTRICT- HANUMANGARH

Norms	S.No.	Name of Activities	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
1		**Additional Teacher**				
	1.1	**Honorarium of additional para teacher**				
		1st year				
		11nd year				
		111rd year				
		1V year				
2		**Education Guarantee Scheme (EGS)**				
	2.1	No. of Children in Primary School	*	*	*	*
3		**Upgradation Primary School to Upper Primary School**				
	3.1	Teaching Learning Equipments				*
	3.2	Salary of Head Master in 1st year				*
		Salary of Head Master in next year	*	*	*	*
	3.3	Salary of Teacher in 1st year				*
		Salary of Teacher in next year	*	*	*	*
4		**Class Room**				
	4.2	Additional Class Room in UPS	*	*	*	*
	4.3	HM Room in UPS	*	*	*	*
5		**Free Text Book**				
	5.1	Free Text Book for UPS SC/ST Boys	*	*	*	*
6		**Civil Work**				
	6.1	Construction of School Building (Two Rooms)			*	
	6.2	Construction of School Building (Three Rooms)	*			*
	6.3	Toilets	*	*	*	*
	6.4	Handpump/ Water Harvesting	*	*	*	*
	6.5	PHED Connections	*	*	*	*
	6.6	Ramps	*	*	*	*
	6.7	Construction of BRC				
	6.8	Construction of CRC				
	6.9	Boundary Wall	*	*	*	*
	6.10	Minor Repairs (per classrooms)	*	*	*	*
	6.11	Major Repairs (per classrooms	*	*	*	*
	6.11	Provision of Play Elements to School	*	*	*	*
7		**Maintinance & Repairs**				
	7.1	Primary School	*	*	*	*
	7.3	Upper Primary School	*	*	*	*
8		**Upgradation of EGS/AS to Primary School**				
	8.1	Teaching Learning Equipments	*	*	*	*

DISTRICT- HANUMANGARH

Norms	S.No.	Name of Activities	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
	8.2	Teacher Salary in first year	*	*	*	*
		Teacher Salary in next year		*	*	*
	8.3	Honorarium of Para Teacher (2)				
	8.3.1	Ist Year	*	*	*	*
	8.3.2	IInd Year		*	*	*
	8.3.3	IIIrd Year			*	*
	8.3.4	IVth Year				*
10		**School Grant**				
	10.1	Primary School				
	10.3	Upper Primary School	*	*	*	*
11		**Teachers Grant**				
	11.1	Teachers in Primary School				
	11.3	Teachers in Upper Primary School	*	*	*	*
12		**Teachers Training**				
	12.1	Teachers in PS & New PS (20 days)				
	12.2	Teachers in UPS & New UPS (20 days)		*	*	*
	12.3	Refresher Course for Untrand Teachers (60 days)		*		
	12.4	Training for Fresh Teachers (30 days)	*	*	*	*
14		**Training for Community Leaders**				
	14.1	Training of SMC Membars (2 days)	*	*	*	*
15		**Provision for Disabled Children**				
	15.1	Disabled Children	*	*	*	*
16		**Research, Evaluation, Supervision & Monitoring**				
	16.1	Primary School	*	*	*	*
	16.3	Upper Primary School		*	*	*
17		**Management Cost**				
	17.1	***District Project Office***				
	17.1.1	Salary of District Project Coordinator (1)				*
	17.1.2	Salaries of Asstt. Project Coordinator (4)	*	*	*	*
	17.1.3	Programme Asstt. (3)	*	*	*	*
	17.1.4	Salary of Asstt. Enng. (1)				*
	17.1.5	Salary of AAO (1)				*
	17.1.6	Salary of MIS Incharge (1)				*
	17.1.7	Salary of UDC (1)	*	*	*	*
	17.1.8	Salary of LDC (1)				*
	17.1.9	Computer Operators on Contract (4)	*	*	*	*
	17.1.10	Peon on Contract (3)				*

Norms	S.No.	Name of Activities	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
	17.1.11	Watchmen (1)				*
	17.1.12	Hire of Vehicles (2)	*	*	*	*
	17.1.13	Equipment	*			
	17.1.14	Hire of Computers with Operator (5)				*
	17.1.15	Furniture	*			
	17.1.16	Reccuring Expanditure	*	*	*	*
	17.2	***Strengthening of DEEO Office***				
	17.2.1	Hire of Vehicle (1)	*	*	*	*
	17.2.2	Equipment	*			
	17.2.3	Hire of Computer with Operator (1)	*	*	*	*
	17.2.4	Reccuring Expanditure	*	*	*	*
	17.3	***BRCF Office***				
	17.3.1	Salary of BRCF				*
	17.3.2	Salary of Resource Person/APO				*
	17.3.3	Salary of Junior Enng.				*
	17.3.4	Salary of Accountant/ Junior Accountant	*	*	*	*
	17.3.5	Salary of LDC (1)				*
	17.3.6	Computer Operator on Contract (1)				*
	17.3.7	Peon on Contract (1)				*
	17.4	***Strengthening of BEEO Office***				
	17.4.1	Equipment	*			
	17.4.2	Vehicle Allowance	*	*	*	*
	17.4.3	Reccuring Expanditure	*	*	*	*
	17.4.5	Hire of Computer with Operator (1)	*	*	*	*
	17.5	***CRCF Office***				
	17.5.1	Salary of CRCF				*
18		**Innovation**	*	*	*	*
19	**19.1**	**Block Resource Center**				
	19.1.1	Furniture				
	19.1.2	Contingency	*	*	*	*
	19.1.3	Travel Allowance	*	*	*	*
	19.1.4	TLM Grant	*	*	*	*
	19.2	**Cluster Resource Center**				
	19.2.1	Furniture				
	19.2.2	Contingency	*	*	*	*
	19.2.3	Travel Allowance	*	*	*	*
	19.2.4	TLM Grant	*	*	*	*

DISTRICT- HANUMANGARH

Norms	S.No.	Name of Activities	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
20		**Interventions for Out of School Children**				
	20.3	Different Intervention for out of school children	*	*	*	*
21		**Community Mobilisation**				
	21.1	Mobilisation Activities at Village Level	*	*		
	21.2	Doveloping Awarness Material	*	*	*	*
	21.3	Panchayat Library / Reeding Room	*	*	*	*